Seventeenth Series, Vol. XXVI No.11 Thursday, August 3, 2023
Sravana 12, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXVI contains Nos. 11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 11, Thursday, August 3, 2023/ Sravana 12, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 201 and 202	12-22
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 203 to 220	23-115
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	116-749

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 750-766

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 767-768

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
43rd Report 769

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
Statements 770

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
27th to 30th Reports 771

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS 772
(i) 19th Report 772
(ii) Statement 772

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
51st Report 773

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
322nd and 323rd Reports 774

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
131st Report 775

STATEMENTS BY MINISTERS 776-777

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Standing Committee on Industry on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 315th Report of the Committee on Demands for Grants (2022- 2023) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 776

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 320th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 776

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy

Shri Arjun Ram Meghwal 777

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2023 778-786

Shri Ashwini Vaishnaw 778, 784-786

Shri Asaduddin Owaisi 779

Shri Gaurav Gogoi 780

Prof. Sougata Ray 780

Shri Manish Tewari 780-781

Shrimati Supriya Sadanand Sule	781-782
Shri N.K. Premachandran	782
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	783
Dr. Shashi Tharoor	784
(ii) PHARMACY (AMENDMENT) BILL, 2023	787
MATTERS UNDER RULE 377	788-817
(i) Need to set up FM Radio Stations in Latur, Maharashtra — **Shri Sudhakar Tukaram Shrangare**	788
(ii) Regarding stoppage of trains at different railway stations in Gorakhpur Parliamentary Constituency — **Shri Ravi Kishan**	789
(iii) Regarding drought situation in Chatra Parliamentary Constituency — **Shri Sunil Kumar Singh**	790
(iv) Need to set up a Maurya Regiment in Army — **Dr. Sanghamitra Maurya**	791
(v) Regarding construction of underpass or overbridge on railway level crossing in Deoria Parliamentary Constituency — **Dr. Ramapati Ram Tripathi**	792
(vi) Regarding development of archaeological sites in Sivasagar, Assam — **Shri Topon Kumar Gogoi**	793

(vii) Regarding increase in number of therapy sessions for children with autism and make provision for caregiver in severe cases of autism

Shri Subrat Pathak 794-795

(viii) Regarding construction of Chhitauni – Tamkuhi railway line in Kushi Nagar Parliamentary Constituency

Shri Vijay Kumar Dubey 796

(ix) Need to extend the benefits of government schemes to people living in areas registered in land records as bush-forests in Chhattisgarh

Shri Chunnilal Sahu 797

(x) Regarding inclusion of Kasaudhan Caste of Jharkhand in the central list of OBCs

Shri Vishnu Dayal Ram 798

(xi) Regarding improvement of railway services in Kharagpur Division under South Eastern Railway

Shri Kunar Hembram 799

(xii) Need to provide escalators and elevators at Shahjahanpur Railway Station in Uttar Pradesh

Shri Arun Kumar Sagar 800

(xiii) Regarding review of projects for development of religious sites in Deoghar

Dr. Nishikant Dubey 801-802

(xiv) Need to expedite works on NH No.351

Shri Naranbhai Kachhadiya 803

(xv) Regarding alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 804

(xvi) Regarding a policy of flexible working hours for women

Shri Bhola Singh 805

(xvii) Need to waive the penalty for not linking Aadhar Number with PAN

Shri Komati Reddy Venkat Reddy 806

(xviii) Need to restore deleted job cards under MGNREGS

Shri V. K. Sreekandan 807

(xix) Regarding development of park and associated area of Payyambalam into an open military museum in Kannur Parliamentary Constituency

Shri K. Sudhakaran 808

(xx) Regarding extension of train services to Salem

Shri S.R. Parthiban 809

(xxi) Regarding Polavaram Irrigation Project

Shri Margani Bharat 810

(xxii) Need to extend rail travel concessions to partially visually impaired persons

Shri Gajanan Kirtikar 811

(xxiii) Regarding sharing of premium subsidy between the Centre and State under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Shri Bhartruhari Mahtab 812

(xxiv) Regarding operationalisation of Shrawasti Airport, Uttar Pradesh.

Shri Ramshiromani Verma 813

(xxv) Regarding construction of bridges on rivers in Khagaria Parliamentary Constituency

Choudhary Mehboob Ali Kaiser 814

(xxvi) Regarding alleged under-utilization of funds under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)

Shri Syed Imtiaz Jaleel 815

(xxvii) Need to regularize the services of temporary employees in government sector and PSUs

Shri Naba Kumar Sarania 816

(xxviii) Need to declare the promotion results of DRDO and DAE Scientists

Shri Mahabali Singh 817

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023 (No. 1 of 2023)
AND
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2023 818-967

Motion to Consider 818-819

Shri Amit Shah 819-824, 951-964

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 825-833

Shri Ramesh Bidhuri 833-842

Shri Dayanidhi Maran 842-852

Shri Kalyan Banerjee	852-861
Shri P.V. Midhun Reddy	862-863
Shri Rahul Ramesh Shewale	863-865
Shri Rajiv Ranjan Singh ' Lalan'	865-871
Shri Pinaki Misra	871-877
Shrimati Meenakashi Lekhi	877-887
Dr. G. Ranjith Reddy	887-891
Shrimati Supriya Sadanand Sule	891-896
Dr. S.T. Hasan	896-898
Dr. Shashi Tharoor	898-908
Shri Hasnain Masoodi	908-914
Dr. M. P. Abdussamad Samadani	914-917
Shri Manoj Tiwari	917-920
Shri Vinayak Bhaurao Raut	920-923
Adv. A. M. Ariff	923-926
Shri Asaduddin Owaisi	926-930
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	931-935
Shri Parvesh Sahib Singh Verma	935-940
Shri Karti P. Chidambaram	940-942
Shri K. Subbarayan	943-944
Shri N.K. Premachandran	944-947
Shri Hanuman Beniwal	947-950
Shri Sushil Kumar Rinku	950-951

Statutory Resolution –Negatived 965

Clauses 2 to 6 and 1 966

Motion to Pass 967

SUSPENSION OF A MEMBER FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374 967

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBER 968

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 907

Member-wise Index to Unstarred Questions 908-914

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 915

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 916

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 3, 2023/ Sravana 12, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**Shri Rajendra Agrawal** *in the Chair*]

माननीय सभापति : प्रश्न काल ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, जब सदन शुरू होता है तब हम अपने स्पीकर साहब को पीठ पर देखना चाहते हैं। … (व्यवधान) स्पीकर पीठासीन हों, यह हमारी मांग है। … (व्यवधान) क्योंकि सारा सदन स्पीकर साहब का मुरीद है। … (व्यवधान) हमारे पूरे सदन के हर मेंबर स्पीकर साहब के मुरीद हैं। … (व्यवधान) यह मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। … (व्यवधान) सर, स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: जी ठीक है।

क्वेश्चन नंबर – 201.

श्री अधीर रंजन चौधरी: हमारा आपस में जो भी मसला है, वह हम हल करेंगे। … (व्यवधान) सर, स्पीकर हमारे कस्टोडियन हैं। … (व्यवधान) हम अपनी बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका संदेश ठीक प्रकार से पहुंचेगा।

… (व्यवधान)

<u>11.01 hrs</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय सभापति: क्वेश्चन नंबर – 201, श्रीमती भावना गवली (पाटील)।

(Q.201)

श्रीमती भावना गवली (पाटील) : सभापति जी, मैं पहले तो प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि यह जो स्वनिधि योजना है**,** इसे वर्ष 2024 तक बढ़ाया गया है। … (व्यवधान)

<u>11.03 hrs</u>

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़ बैठ जाइए। क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती भावना गवली (पाटील): सभापति जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वेंडर्स 50 से 60 लाख के दरम्यान हैं। … (व्यवधान) वर्ष 2014 में यह वेंडर्स एक्ट पारित हुआ था। … (व्यवधान) उस माध्यम से करीब बहुत सारे वेंडर्स को उसका फायदा भी मिला है। … (व्यवधान) सभापति जी, जब कोरोना का टाइम था, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन वेंडर्स के लिए बहुत अच्छी पहल की थी। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स, जो रास्तों पर छोटे-छोटे कामकाज़ करते हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पहल कर के उनकी बहुत अच्छी मदद की थी। … (व्यवधान)

सभापति जी, मैं यह बात यहां पर बताना चाहूंगी कि जो हमारी टाउन कमिटीज़ हैं, जैसे महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। … (व्यवधान) बहुत सारे राज्यों में ये कमिटीज़ बनी हुई हैं। … (व्यवधान) परंतु कुछ राज्यों में अभी तक ये कमिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित नहीं हुई हैं और वे बनी भी नहीं हैं। … (व्यवधान) मैं यह जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे राज्य हैं, जहां पर यह कमिटी नहीं बनी है। … (व्यवधान)

सर, दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि जो महिला वेंडर्स हैं, उनके परिवार में कोई नहीं रहने के बाद उन्हें अपना गुज़ारा करने के लिए पटरी पर, रोड पर बैठ कर काम करना पड़ता है। … (व्यवधान) ये महिलाएं बहुत कष्ट करती हैं, बहुत त्याग करती हैं। … (व्यवधान) अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। … (व्यवधान) लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए हमारे पास क्या पैकेज है? … (व्यवधान) यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसी महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। … (व्यवधान) स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। … (व्यवधान)

मैं यहां पर मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या हम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? … (व्यवधान) क्या कोई पैकेज यहां पर हम महिलाओं को वेंडर्स के रूप में देने जा रहे हैं? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I am eternally grateful to the hon. Member for having raised this. I can say with full confidence that out of all the urban schemes that have been launched under the hon. Prime Minister, SVANidhi Scheme stands out. Why do I say this? As the hon. Member says, in 2014, the Street Vendors Act was promulgated, But it is one thing to bring a legislation and it is quite another to have it implemented so that the street vendors actually receive benefits. When there was an economic lockdown during the pandemic in 2020, it will be recalled that the street vendors, जो रेहड़ी-पटरी लगाते हैं, were particularly disadvantaged because the streets were closed and they ply their trade on the streets.

The scheme was rolled out in the month of June 2020. मुझे यह बताने में बहुत खुशी होती है कि जून 2020 में इस स्कीम की शुरुआत हुई और एक महीने के अंदर ही यानी जुलाई 2020 से लोन मिलने शुरू हो गए।… (व्यवधान) When we devised the scheme, we thought that a total of 42 lakh of our street vendors would benefit. That was the target. But the hon. Member said that ऐसे रेहड़ी-पटरी वालों की संख्या शायद 40 से 50 लाख है।… (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता और अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे यह भी कहा कि शायद 40-50 लाख नहीं, बल्कि हो सकता है कि 2 करोड़ भी ज्यादा वेंडर्स हो।… (व्यवधान) The Street Vendor's

Scheme has several objectives. One is to provide a system of microfinance inclusion. ये हमारे वैसे भाई-बहन हैं, जो हर दो-तीन दिन के बाद बड़े ही हाई रेट ऑफ इंट्रेस्ट पर लोन लेते हैं। जो लोग हाई इंट्रेस्ट रेट पर लोन लेते हैं, उनको लौटाना पड़ता है।... (व्यवधान)

Sir, as the scheme envisaged, today I can say out of 42 lakhs which was the original target, about 38 lakh street vendors have already benefitted from the scheme. I am very happy to inform you that whilst the target is 42 lakhs and we are moving quickly in that direction, for our internal purposes we have already started talking about not 42 lakhs as the objective and target but we are aiming for 50 lakhs also. … (*Interruptions*) I am happy to inform the hon. Member that 41 per cent of the loans have been given to our sisters.

सर, इस लोन का कन्सेप्चुअल डिजाइन है कि पहला लोन 10 हजार रुपये का मिलता है।... (व्यवधान) जिसने लोन लिया है, अगर वह 10 हजार रुपये लौटा देता है तो उसको अगला लोन 20 हजार रुपये का इंट्रेस्ट फ्री मिल जाएगा।... (व्यवधान) जब वह 20 हजार रुपये लौटा देगा तो 50 हजार रुपये का लोन मिल जाएगा। So what happens is, from being street vendors who are borrowing money at very high rates, they have also become micro entrepreneurs and they are also getting benefits of all the other schemes of the Prime Minister. … (*Interruptions*) प्रधानमंत्री जी की जो अन्य योजनाएं हैं, उनका लाभ भी इसके कारण उनको मिल रहा है।... (व्यवधान)

सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपके सामने कुछ और भी बातें रख पाऊंगा।... (व्यवधान) अगर महामारी नहीं हुई होती तो शायद हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पर ही रह जाते।... (व्यवधान) जब हमने अपनी सोसाइटी के मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस को देखा तो उनके लिए ट्रिपल-एस स्कीम बनाई। यह स्कीम स्वनिधि से समृद्धि की है।... (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बाकी योजनाएं हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विस की पीएम सुरक्षा

बीमा योजना है। इसमें में भी 21,36,057 अप्लीकेशंस आए हैं।… (व्यवधान) We have already given benefits to 20,56,763 people. Under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, the number of applications received were 15,50,000. Already, the benefit is given to 14,89,000. Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, applications received were 3,65,000 and number of benefits sanctioned was 3,54,000. … (*Interruptions*) Just like our brothers and sisters who are part of the PM SVANidhi Scheme, they have all become beneficiaries of all the other schemes. I will just name them. One Nation, One Ration Card; PM Shram Yogi Maandhan Yojana registered under BOCW; Janani Suraksha Yojana; and PM Matru Vandana Yojana. … (*Interruptions*)

Sir, in overall terms, one can say that from being vulnerable members of the society, they have now joined the mainstream. Their data has been onboarded and they have become beneficiaries of the other schemes. Along with this, I might say कि हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस घर का मालिकाना हक भी लेडी के नाम पर है।… (व्यवधान)

Sir, I thank you very much. I would have liked to continue to share things. I want to thank the hon. Member for asking this question. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The question is already replied.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please ask the second supplementary question.

… (*Interruptions*)

श्रीमती भावना गवली (पाटील): सभापति जी, मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या हम इसमें महिलाओं को विशेष पैकेज देने जा रहे हैं? … (व्यवधान) जो एक्ट बना है, उसके माध्यम से उनको जो फायदे होने चाहिए, जैसे हेल्थ के बेनेफिट्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो क्या हम इसको इनक्लूड करने जा रहे हैं? … (व्यवधान) महाराष्ट्र में 4,14,032 लोगों को इससे फायदा मिला है। … (व्यवधान) इसे अन्य स्टेट्स में और बढ़ाने का और उनको सपोर्ट करने का हमारे पास में क्या प्लान है? … (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, we regularly monitor the number of vending zones which are there in each State. I want to thank the hon. Member. As she mentioned, Maharashtra has 1,509 vending zones. But in some States like Andaman & Nicobar Islands, they may be less. Vending zones under the scheme, you need mostly in B class towns. जो बहुत छोटे शहर होते हैं वहां पर, I get the feeling, the same pressure is not there. But we are monitoring this. We have a total of 13,403 such zones. Some States like West Bengal do not have any vending zone. I find it very surprising that the State of West Bengal does not have any vending zone! Some other States also have very few vending zones. So, we are monitoring this. We are going to try and incentivise this, and then ensure that more and more States derive the benefits. This, I think is one of the most unique schemes worldwide, and this is being hailed worldwide. The hon. Prime Minister showed a very high degree of sensitivity to the most vulnerable sections in our society; and it has been widely welcomed including by the beneficiaries of the scheme. They have repeatedly expressed themselves on record about being able to take benefit of this.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने : महोदय, मैं भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम इस देश में चलाई जा रही है। …(व्यवधान) जो जवाब हमें मिला है, हम उससे बिल्कुल खुश हैं। … (व्यवधान) यह स्कीम गरीबों के लिए बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है और लगभग 68 लाख लोग उसमें पंजीयन भी करा चुके हैं… (व्यवधान) लेकिन इसमें मैंने देखा कि बैंक के ऋण देने का जो मसला आता है, वहां पर नेशनलाइज्ड बैंक उसको ऋण दे रही है। … (व्यवधान) लगभग 95 पर्सेंट लोन नेशनलाइज्ड बैंक दे रही है, लेकिन कोआपरेटिव बैंक, अदर बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स उसमें लोन नहीं दे रही हैं… (व्यवधान) उसके बारे में कोआपरेटिव बैंकों को कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है… (व्यवधान) स्ट्रीट वेंडर होने के कारण ये स्ट्रीट में फूड भी बेचते हैं, वेजिटेबल्स भी बेचते हैं, लोगों के डेली यूज के बहुत प्रकार के सामान बेचते हैं… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप संक्षेप में पूछिए।

… (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: इस मसले पर मैं क्वैश्चन पूछने जा रहा हूं… (व्यवधान) हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है… (व्यवधान) हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हमारी भी हेल्थ अच्छी रहेगी… (व्यवधान) क्या इनके लिए ईएसआईसी की कोई योजना लागू कर रहे हैं या शासन की कोई अन्य योजना है, जिससे इनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी? … (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I want to thank the hon. Member who has raised three very valuable points. One is the loans which are being drawn, and why the public sector banks are actually in the forefront, and the cooperative banks slightly less and the private sector banks, he said, even less. Yes, that is a fact. I have the figures with me for the State of Maharashtra. The all-India figure of public sector banks is Rs. 5,936 crore. In Maharashtra, it is Rs. 582 crore. The overall number of beneficiaries is 34,94,000. In Maharashtra, the

number is four lakhs. Similarly, about the private banks, SBS Small Finance Banks, the NBFCs, what the hon. Member is saying is correct. The private sector banks are disbursing only a very small percentage. My calculation says that it is only about two per cent. But the public sector banks have come forward. So, we are monitoring the situation. I am confident that with the steps underway and with cooperation of other Central Government agencies like the Department of Financial Services, we are proceeding. So, both the number of beneficiaries and the loans disbursed will be increased. I also want to mention to the hon. Member that street food has also acquired a new salience.

In fact, they have tied-up with Zomato and other entities, and now quality street food can be ordered in our homes through digital technology. … (*Interruptions*) What is very reassuring is that the street vendors themselves have taken to digital technology both for the application of loans and for their repayment or other transactions. … (*Interruptions*) So, it is also adding to the overall situation big thanks to the technology push given by the hon. Prime Minister. … (*Interruptions*), Insofar as sanitary and health conditions are concerned, I want to assure the hon. Member that the concerned agencies both at the local and urban local bodies level are giving full attention to this issue. … (*Interruptions*) In fact, the highest qualities of health are being observed in these outlets. … (*Interruptions*) Ultimately, this is the responsibility of the local bodies, but from the Central Government, etc. whatever assistance

we can give is being provided. … (*Interruptions*) Thank you very much, Sir. …

(*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 202, श्री प्रतापराव जाधव ।

(Q. 202)

श्री प्रतापराव जाधव: सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा है... (व्यवधान) इन सभी को अपनी पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, सिंचाई हेतु कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति और उद्योगों के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। ... (व्यवधान) भारत आज भी बहुत तक तक पानी के लिए मानसून के बारिश पर निर्भर करता है। बारिश अच्छी होने पर हमारे जल भंडारण में पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है अन्यथा जल भंडारण क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। ... (व्यवधान) पानी की कमी होने से कृषि, उद्योग, सामान्य जनजीवन और विद्युत का उत्पादन कुप्रभावित होता है। माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने बलीराजा संजीवनी परियोजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में 2016-17 में जिगांव बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु पिछले दो वर्ष कोविड की वजह से इस परियोजना की लागत बढ़ गई है। ... (व्यवधान) मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार बढ़ी हुई अनुमानित राशि को वहन करे। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be brief while asking your Question.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Question Hour is very important.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप सरकार से सवाल पूछिए, आप सरकार से जानकारी लीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार को कठघरे में खड़ा कीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: क्वेश्चन ऑवर चलने देना चाहिए।

… (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वह देश के बांधों में वर्तमान पानी की स्थिति को लेकर था। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह खासकर महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट को लेकर है। उस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने स्वीकृति दी है, उसकी लागत बढ़ जाने के विषय में यह प्रश्न है। … (व्यवधान) मुझे लगता है कि उसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उन्होंने जानकारी नहीं बल्कि सुझाव दिया है। मैं इस विषय में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। … (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 203 to 220
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530)
(Page No. 23 to 749)

माननीय सभापति: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 5 of the National Highways Act, 1956 and under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-

(i) S.O.1307(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1018(E) dated 28th March, 2017.

(ii) S.O.1308(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(iii) S.O.1305(E) published in Gazette of India dated 20th

March, 2023 notifying entrustment of New National Highway No. 17 in the State of Assam.

(iv) S.O.1306(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(v) S.O.1309(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 notifying entrustment of New National Highway No. 913 in the State of Arunachal Pradesh.

(vi) S.O.1310(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 notifying entrustment of New National Highway No. 913 in the State of Arunachal Pradesh.

(vii) S.O.1311(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(viii) S.O.1424(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2023 notifying entrustment of National Highway No. 109D in the State of Uttarakhand.

(ix) S.O.1634(E) published in Gazette of India dated 5th April, 2023 notifying entrustment of National Highways, mentioned therein, in the States of Assam and Meghalaya.

(x) S.O.1635(E) published in Gazette of India dated 5th April, 2023 making certain amendments in the Notification No.

S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(xi) S.O.2134(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2023 notifying declaration of new National Highway No. NE 1A in the State of Gujarat.

(xii) S.O.2254(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2023 notifying declaration of new National Highway No. 848R in the State of Karnataka.

(xiii) S.O.2326(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2023 notifying entrustment of National Highways, mentioned therein, in the States of Nagaland and Manipur.

(xiv) S.O.2327(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.4149(E) dated 23rd September, 2016.

(xv) S.O.2328(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(xvi) S.O.2757(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2023 notifying declaration of new National Highway No. 319B in the States of Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal.

(xvii) S.O.2797(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2023 notifying entrustment of National Highway No.

30 (Old National Highway No. 43) in the State of Chhattisgarh.

(xviii) S.O.2798(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(xix) S.O.2933(E) published in Gazette of India dated 4th July, 2023 notifying entrustment of National Highway No. 114A in the State of Jharkhand.

(xx) S.O.2934(E) published in Gazette of India dated 4th July, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (i) to (x) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9860/17/23]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O.1193(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Koilwar-Bhojpur section of NH-922 in the State of Bihar.

(ii) S.O.1194(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2023 notifying user fee for the project of two lane of Muzaffarpur-Sonbarsa section of NH-77 (New NH-22) in the State of Bihar.

(iii) S.O.1195(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Gopalganj-Kotwa section of NH-28 (New NH-27) in the State of Bihar.

(iv) S.O.1240(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of DND-Faridabad Bypass-Ballabhgarh section in the State of Delhi and Haryana.

(v) S.O.1241(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Verna Junction to Sada Junction of NH-17B (New NH-566) in the State of Goa.

(vi) S.O.1259(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2023 notifying user fee for the project of 2/4 lane of Rayachoty to Angallu section of NH-340 in the State of Andhra Pradesh.

(vii) S.O.1260(E) published in Gazette of India dated 17th March, 2023 notifying user fee for the project of Four laning of Kanpur-Lucknow section of NH-25 (New NH-27) in the State of Uttar Pradesh.

(viii) S.O.1440(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2023 notifying user fee for the project of Four laning of Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (ToT mode) of Handia-Rajatalab section of NH-19 in the State of Uttar Pradesh.

(ix) S.O.1515(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2023 notifying user fee for the project of two lane paved shoulder of Wardha-Arvi section of NH-647 in the State of Maharashtra.

(x) S.O.1516(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2023 notifying user fee for the project of two lane of Dornala T Junction-Penchalakona-Yerpedu section on the NH No.-565 in the State of Andhra Pradesh.

(xi) S.O.1517(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Ausa-Chakur section of NH-361 in the State of Maharasthra.

(xii) S.O.1554(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying user fee for the project of Four and more lane of Udhampur-Ramban section of NH-1A (New NH-44) in the UT of Jammu & Kashmir.

(xiii) S.O.1650(E) published in Gazette of India dated 6th April, 2023 notifying user fee for the project of Two lane paved shoulder of Amath-Bhawanipatna section on NH-201 (New NH-26) in the State of Odisha.

(xiv) S.O.1825(E) published in Gazette of India dated 21st April, 2023 notifying user fee for the project of Four and more lane of Ujjain-Jhalawar (upto Rajasthan Border) section of NH-552(G) in the State of Madhya Pradesh.

(xv) S.O.1827(E) published in Gazette of India dated 21st April, 2023

notifying user fee for the project of Four and more lane of Madurai-Chettikulam-Natham-Thuvarankurichi section of NH-785 in the State of Tamil Nadu.

(xvi) S.O.1861(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2023 notifying user fee for the project of Four and more lane of Thalassery-Mahe Bypass section of NH-17 (New NH-66) in the State of Kerala.

(xvii) S.O.1862(E) published in Gazette of India dated 21st April, 2023 notifying user fee for the project of 2/4 lane of Khutar-Lakhimpur section of NH-730 in the State of Uttar Pradesh.

(xviii) S.O.2027(E) published in Gazette of India dated 2nd May, 2023 notifying user fee for the project of 2/4 lane from Dewas-Ujjain Section of NH-148NG and Ujjain Bypass of NG-148 NG and Dewas Bypass of NH-752D in the State of Madhya Pradesh.

(xix) S.O.2120(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2023 notifying user fee for the project of two lane paved shoulder of Asind-Mandal section of NH-158 in the State of Rajasthan.

(xx) S.O.2176(E) published in Gazette of India dated 12th May, 2023 notifying user fee for the project of Four and more lane from Pandoh Bypass to Takoli Section and Takoli to Kullu section of NH-21 (New NH-3) in the State of Himachal Pradesh.

(xxi) S.O.2186(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2023 notifying user fee for the project of Four and more lane of

Forbesganj–Jogbani section of NH-527 (Old NH-57A) in the State of Bihar.

(xxii) S.O.2187(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2023 notifying user fee for the project of Four and more lane of Sitarganj-Bareilly section of NH-74 (New NH-30) in the State of Uttar Pradesh.

(xxiii) S.O.2215(E) published in Gazette of India dated 17th May, 2023 notifying user fee for the project of two lane of Kiratpur to Nerchowk section of NH-21 (Now 205 & 154) in the State of Himachal Pradesh.

(xxiv) S.O.2388(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2023 notifying user fee for the project of four lane section of New NH-26 (Old NH-43) in the State of Andhra Pradesh.

(xxv) S.O.2389(E) published in Gazette of India dated 1st June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Bakhtiyarpur-Rajauli section of NH-20 (Old NH-31) in the State of Bihar.

(xxvi) S.O.2391(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Chakeri-Allahabad section of NH-2 in the State of Uttar Pradesh on Hybrid Annuity Mode under Bharatmala Pariyojna.

(xxvii) S.O.2567(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2023 notifying user fee for the project of four lane with paved shoulder

of Pathrapali-Katghora section of NH-111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh.

(xxviii) S.O.2580(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Nidagatta- Mysore section of NH-275 in the State of Karnataka.

(xxix) S.O.2677(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2023 notifying user fee for the project of four lane of Chakur-Loha section of NH-361 in the State of Maharashtra.

(xxx) S.O.2678(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Sankha – Khajuri section of NH-39 (Old NH-75) in the State of Jharkhand.

(xxxi) S.O.2679(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2023 notifying user fee for the project of two lane with paved shoulder of Kalyandurg to Molakalmuru section of NH-544DD, in the State of Andhra Pradesh.

(xxxii) S.O.2753(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane section of Gwalior to Shivpuri section of NH-3 (New NH-46) in the State of Madhya Pradesh.

(xxxiii) S.O.2754(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane section of Itarsi to Betul section of NH-46 (Old NH-69) in the State of Madhya Pradesh.

(xxxiv) S.O.2764(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane section of Kiratpur - Nerchowk – Manali section of NH-21 (Now 205 & 154) in the State of Himachal Pradesh.

(xxxv) S.O.2871(E) published in Gazette of India dated 3rd July, 2023 notifying user fee for the project of four and more lane of Belgaum-Khanpur section of New NH-748 (Old NH-4A) in the State of Karnataka.

(xxxvi) S.O.2972(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2023 making certain amendments in the User Fee published in Notification No. S.O. 2032(E) dated 28th April, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 9861/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2023, जो 25 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/09 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी एंड ओपन एक्सेस इन इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, जो 20 मई, 2022 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-21/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण और वितरण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2023, जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/07 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2023'', जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/06 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल ओर उपभोक्ता परामर्श) विनियम, 2023, जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/05 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इससे संबंधित मामले) विनियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/11 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञापी के लिए निष्पादन मानक)

विनियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/10 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापार) विनियम, 2023, जो 25 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. जेईआरसी-टेक/आरईजी/2023/08 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9862/17/23]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/3/2019-सीईआरसी, जो 2 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 मई, 2023 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 प्रवृत्त होंगे।

(दो) अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/1/2019-सीईआरसी, जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020, तारीख 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए लागू थे।

[Placed in Library, See No. LT 9863/17/23]

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/1/0एस44(59)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9864/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992:-

(1) S.O.2690(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2023 notifying amendment in Paragraph 10.08(ix) in the Foreign Trade Policy 2023 to amend the Policy for General Authorisation for Export of Chemicals and related Equipments.

(2) S.O.3152(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2023 notifying amendments in Category 5B of Appendix (SCOMET Items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.

[Placed in Library, See No. LT 9865/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से मैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 89 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार

संहिता) संशोधन नियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9866/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9867/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 40 of the National

Institute of Design Act, 2014:-

(i) The National Institute of Design, Andhra Pradesh Statutes, 2023, published in Notification No. F.No. 24024/59/2022-IPR-V. in Gazette of India dated 17th April, 2023.

(ii) The National Institute of Design, Haryana Statutes, 2023, published in Notification No. F.N. 24024/59/2022-IPR-V. in Gazette of India dated 6th April, 2023.

(iii) The National Institute of Design, Madhya Pradesh Statutes, 2023, published in Notification No. F.N. 24024/59/2022-IPR-V. in Gazette of India dated 18th April, 2023.

(iv) The National Institute of Design, Assam Statutes, 2023, published in Notification No. F.N. 24024/59/2022-IPR-V. in Gazette of India dated 6th April, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9868/17/23]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the India International Convention and Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the India International Convention and Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9869/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Assam, for the year 2021-2022, together with audit report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the National Institute of Design, Assam, for the year 2021-2022.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 9870/17/23]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year

2021-2022.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 9871/17/23]

(8) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2021-2022, together with audit report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Footwear Design and Development Institute, Noida , for the year 2021-2022.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 9872/17/23]

14.03 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 1" August, 2023 agreed without any amendment to the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25'" July, 2023.

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Mediation Bill, 2023 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 1" August, 2023."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st August, 2023 agreed without any amendment to the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25" July, 2023."

---

* Laid on the Table.

(iv) "In accordance with the provisions of Rule 127 of the of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August 2023 agreed without any amendment to the Mine and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th July, 2023."

2. Sir, I lay on the Table the Mediation Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha on the 1st August, 2023.

14.03½hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

43rd Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Pralhad Joshi, I beg to present the Forty-third Report of the Business Advisory Committee.

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statements

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to lay the following statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs:-

(1) The Statement showing Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Eleventh Report of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Eighth Report on 'Demand for Grants of the Ministry of…

(2) The Statement showing Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Nineteenth Report of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Twelfth Report on 'Demand for Grants of the Ministry of External Affairs for the Year 2022-23'.

14.04½hrs

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

27th to 30th Reports

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2022-2023):-

(1) Twenty-seventh Report on the subject- 'BIS-Hallmarking & Jewellery' of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

(2) Twenty-eighth Report on the subject- 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)' of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(3) Twenty-ninth Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the Twenty-fourth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on Demands for Gants (2023-24) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(4) Twenty-fifth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

14.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(i) 19th Report

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय सभापति जी, मैं 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 13, श्री शंकर लालवानी जी।

… (व्यवधान)

(ii) Statement

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, 'मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन – एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार की द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों-टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में की-गई कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय सभापति: आइटम नंबर 14, श्रीमती रमा देवी जी।

... (व्यवधान)

14.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

51st Report

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'युवाओं के मध्य नशीली दवाओं का दुरुपयोग – समस्याएं और समाधान' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 51वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

माननीय सभापति: आइटम नंबर 15, श्री बिद्युत बरन महतो जी।

… (व्यवधान)

14.06½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

322nd and 323rd Reports

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 322वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में समिति के 321वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 323वां प्रतिवेदन।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 16 - Shri Raghu Rama Krishna Raju.

14.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

131st Report

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, I beg to lay the One Hundred Thirty-first Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the subject 'Review of Functioning of Recruitment Organisations of Government of India'.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 17, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी।

… (व्यवधान)

14.07½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Standing Committee on Industry on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 315th Report of the Committee on Demands for Grants (2022- 2023) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 320th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9857/17/23 and 9858/17/23 respectively.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 18 - Shri Bhagwanth Khuba Ji

… (*Interruptions*)

14.08 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Bhagwanth Khuba Ji, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9859/17/23.

माननीय सभापति: आइटम नंबर 19, डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

14.09 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2023*

THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto."

… (*Interruptions*)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 03.08.2023.

माननीय सभापति: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अभी कितना अच्छा लग रहा था, हाउस ठीक से चल रहा था।

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I want to oppose this Bill on four points. … (*Interruptions*)... It is a violation on the right to privacy. Secondly, it amends the RTI. It is again violation of freedom of speech on religion. … (*Interruptions*)… RTI is part of Article 19. … (*Interruptions*)… Thirdly, it empowers the Government to access people's private data and this is likely to create a surveillance state. … (*Interruptions*)… Fourthly, it is anti-women because only one in three women have ever used internet. … (*Interruptions*)… This is what National Family Health Survey-5 has said because it creates a Data Protection Board which will be digital in design to take complaints… (*Interruptions*)…

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप सबको बोलने का अवसर दिया जाएगा। अभी कृपया इनको सुनिए।

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: On these four points, I oppose the introduction of the Bill and I want a division. … (*Interruptions*). Please allow a division. … (*Interruptions*)… Sir, it is my right … (*Interruptions*)…I want a division. … (*Interruptions*)… I am telling you on record. … (*Interruptions*)… Sir, I want a division on this Bill … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अभी इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री गौरव गोगोई जी।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। It is a Bill which impinges on the fundamental rights as per the Puttaswamy judgement on the right to privacy. … (*Interruptions*)… It should be sent to the Standing Committee. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री सौगत राय जी।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1), I beg to oppose the introduction of the Digital Personal Data Protection Bill, 2023. … (*Interruptions*).. This is a cumbersome Bill, and very different from the original Bill which was sent to the Standing Committee … (*Interruptions*)..

The Chairperson of the Standing Committee and the Minister have changed the Bill altogether. … (*Interruptions*) सर, एक मिनट सुन लीजिए। … (व्यवधान) I want this Bill to be again sent to the Standing Committee for a total … (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairman, Sir, under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I hereby rise to oppose the introduction of the Bill. I oppose it on three counts.

First of all, a Bill which was considered by the Joint Parliament Committee, came back to the House and was withdrawn by the Government. It was re-introduced. It cannot be introduced as a finance Bill.

Secondly, it is a Bill which requires serious reconsideration by a Joint Parliamentary Committee for the simple reasons that it is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court in the Puttaswamy judgement.

Thirdly, this Bill cleaves the entire digital universe into two parts. The Bill will apply with full force to all non-Governmental organisations and the entire Government universe is going to be exempt from it. Therefore, the fundamental right to privacy laid down by the Supreme Court in the Puttaswamy judgement stands assaulted by the provisions of this Bill. Therefore, I oppose this Bill. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I stand here to oppose the Bill on two small points. I will not repeat any point.

First, there is excessive centralisation of all the data. Everything will be controlled. It is a complete insult and it is hurting the spirit of the federal structure of the Government of India.

Secondly, even the right to information is diluted. As Manish *ji* rightly said, the Government of India will be completely protected; others will be complexly exposed.

Thirdly, there is a penalty clause. From Rs.500 crore, it has been brought down to Rs.250 crore. What is the meaning? Even a small NGO tomorrow can challenge it. It is Rs.250 crore for a big industrial house which is ridiculous. There is no compensation. There is penalty. But what about a

victim? There is no clarity on compensation. Right to privacy is completely evaded. So, anybody can have our data. There is no privacy. So, I would request the Minister to kindly reconsider and send it to a Joint Parliamentary Committee. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I strongly oppose the Digital Personal Data Protection Bill, 2023. … (*Interruptions*) I would like to make a submission – yesterday also this matter was raised in the House – regarding Rule 72(2). It is not only the legislative competence; any matter can be opposed. Rule 72(1) is a general clause and proviso is saying that to have a full-fledged debate in the House, legislative competence is to be there. But as far as opposing on any ground is concerned, I can oppose the Bill.

So, the first ground is the basic, fundamental human right, that is being accepted as a fundamental right by nine Judge Constitution Bench of the Supreme Court in respect of Puttaswamy case, is being taken away. So, it is totally violating the basic, fundamental human rights of the citizens of the country.

Secondly, day before yesterday, the Standing Committee on Communications and Information Technology has submitted a report on the floor of this House. In that, so many recommendations are there. Without looking into the recommendation of the Standing Committee, coming with a new Bill is not fair and proper on the part of the Minister to introduce the Bill. So, I strongly urge that those recommendations may be taken up so as to respect the Parliamentary Committee. With these objections, I oppose the Bill.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to vehemently oppose the Bill under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The issue is that through this Bill, the Government is going to trample upon the Right to Information Act and right to privacy. So, we are vehemently opposing these kinds of sinister motives being displayed by this Government. The Bill by amending the Right to Information Act wants to introduce an era of corruption because new personal data like assets and liabilities, educational qualification of corrupt Government functionaries cannot be asked for under RTI.

Secondly, the Bill does not provide for compensation to an individual whose personal data has been compromised or who has suffered loss due to theft of personal data.

Thirdly, as has been referred to by other esteemed Members, the Digital Personal Data Protection Bill, 2023 violates the Fundamental Right to Privacy, as laid down in the Puttaswamy case, since the present Bill does not restrict the Government to use and process personal data. Therefore, I will suggest to the Government that they should send this Bill for further deliberation and for wide discussion among all sections of the population. That is why, right now, the time is not opportune for the introduction of this Bill. It is better that the Government should send the Bill to the Standing Committee, or Joint Committee, or any other forum for having a threadbare discussion with regard to this very important Bill.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much. … (*Interruptions*)

As the former Chairperson of the Standing Committee, … (*Interruptions*) let me say that this is a matter that we have repeatedly requested the hon. Minister to take the Committee into confidence. It is a matter of disappointment that to the best of my knowledge the Committee has not been asked to study this Bill which, as has been pointed out, has been repeatedly modified by the Government and is brought in its third iteration to this House in this condition.

Given the vast number of objections you have heard, Mr. Chairperson, I would urge that the Bill be sent to the Standing Committee for a proper examination as a new Bill because the three different versions do not match, and they have been done without consultation with the Committee whose mandate it is. Thank you, Sir.

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज आप बैठ जाइए**।** You did not give any notice.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज बैठिए। प्रो. सौगत राय जी ने अपनी बात कह दी है।

… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: महोदय, किसी भी माननीय सदस्य ने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में प्रश्न नहीं उठाया है। प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह फाइनेंस बिल है, क्या यह मनी बिल है या फिर जनरल बिल है।…(व्यवधान) माननीय मनीष तिवारी जी ने अभी कहा था। मैं स्पष्ट तरीके से सदन और आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहूंगा कि यह एक जरनल बिल है, यह मनी बिल नहीं है।

इसके ऊपर डीटेल में डिस्कशन होगा। अभी सभी माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर जो भी पाइंट्स उठाए हैं, चाहे वह पुट्टुस्वामी जजमेंट से संबंधित है, चाहे कम्पेनसेशन से संबंधित हो।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय**,** हम चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपने अपनी रख दी है। प्लीज बैठ जाइए । आपने अपना विषय रख दिया है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, let the House decide it. Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री अश्वनी वैष्णव: महोदय, जो आरोप लगाया गया है कि दो अलग-अलग व्यवस्था बनी है।…(व्यवधान) सभापति महोदय, हर एक विषय पर डिटेल में डिबेट करने के लिए सरकार तैयार है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल को इंट्रोड्यूज करने की परमीशन दी जाए।…(व्यवधान)

<u>14.17 hrs</u>

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri N.K. Premachandran, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Rajiv Ranjan Singh ' Lalan' and some other hon. Members left the House.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> “कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा का, ऐसी रीति में प्रकमण करने, जो व्यष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, दोनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I introduce** the Bill.

** Introduced with the recommendation of the President.

14.18 hrs

(ii) PHARMACY (AMENDMENT) BILL, 2023*

माननीय सभापति: आइटम नंबर 20.

डॉ. भारती प्रवीण पवार जी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Hon. Chairperson, Sir, on behalf of my senior colleague, Dr. Mansukh Mandaviya ji, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948.

माननीय सभापति:

"कि भेषजी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 03.08.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

14.19 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

(i) Need to set up FM Radio Stations in Latur, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): 2018 में लोक सभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि लातूर में 4 एफ एम चैनल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। लगभग 3 साल पहले मुझे फिर सूचित किया गया कि एफ एम रेडियो फेज 3 के तहत लातूर में चार एफ एम रेडियो चैनल की नीलामी होने वाली है। परन्तु जनवरी 2020 में सरकार ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के 8 शहरों सहित देश के 100 शहरों में एफ एम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। परन्तु इन 8 शहरों में लातूर का नाम तक नहीं था। पांच वर्ष से किए जा रहे मेरे प्रयास अब पूरी तरह उस समय शून्य हो गए जब माननीय मंत्री जी ने अपने 28 जून 2023 के पत्र द्वारा मुझे सूचित किया कि लातूर में एफ एम स्टेशन स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर सरकार ने घोषणा की है कि देश के 284 शहरों में 808 एफ एम चैनल स्थापित किए जाने की योजना है। मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि लातूर के निवासियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लातूर में कम से कम 4 एफ एम रेडियो चैनलों की स्थापना कर उन पर शीघ्रातिशीघ्र प्रसारण शुरू करवाने का कष्ट किया जाए।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding stoppage of trains at different railway stations in Gorakhpur Parliamentary Constituency

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं लंबे समय से क्षेत्रवासियों की ओर से इन ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही है। इन ट्रेनों का विवरण निम्नलिखित है:

गाड़ी संख्या 15051, 15211/15212, 12557/12558, 19270/19271 तथा 15112/15114 का ठहराव पिपराइच रेलवे स्टेशन पर एवं;

गाड़ी संख्या 15069/15070, 18201/18205, 18202/18206, 15065/15067 तथा 15066/15068 का ठहराव पीपीगंज एवं कैम्पिरगंज रेलवे स्टेशन पर।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त ट्रेनों का ठहराव करने की कृपा करें।

(iii) Regarding drought situation in Chatra Parliamentary Constituency

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): झारखंड राज्य में सुखाड़ की स्थिति बन गई है। जुलाई तक बारिश 274.7 निलीमीटर हुई है जबकि 508 दशमलव 20 मिली मीटर होनी चाहिए थी, 46% बारिश कम हुई है राज्य के सभी जिलों में बारिश की कमी है लेकिन 17 जिलों में हालत ठीक नहीं है पूरे झारखंड में अब तक मात्र 15 फेस की बुआई हो पाई है मेरे लोकसभा क्षेत्र के चतरा जिला में 75% कम बारिश हुई है झारखंड में 2023-24 के लिए 2827460 हेक्टेयर में खरीफ की फसल का लक्ष्य था जिसमें 1800000 हेक्टेयर में धान की फसल लगाना था । कम बारिश के कारण झारखंड में सिर्फ 201548 हेक्टेयर में खेती हुई। चतरा गढ़वा सहित कई जिलों में धान की रोपनी नहीं हुई है लातेहार में 1.875%, पलामू में 1.082% ही धान का आच्छादन हुआ है। मक्का, तिलहन, दलहन और अन्य मोटे अनाज का मात्र 14.7 फीसदी ही आच्छादन हुआ है। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों के साथ 7 जुलाई 2023 को सुखाड़ पर एक बैठक का आयोजन किया था मेरे द्वारा जिला प्रशासन चतरा एवं लातेहार को 9 जुलाई 2023 को पत्र लिखा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने सुखाड़ की स्थिति पर कोई कदम नहीं उठाया है। विगत साल भी झारखंड में सुखाड़ पड़ा था। मेरे द्वारा मामला लोक सभा में भी उठाया गया था परंतु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा । मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है कि केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर से टीम भेजकर प्रत्येक जिले सुखाड़ की स्थिति का आकलन किया जाए तथा तत्काल किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष सुखाड़ राहत योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सहायता व वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए तैयारी करवाई जाए, किसानों को सिंचाई की वैकल्पिक सुविधा के लिए कुसुम योजना एवं सोलर वाटर पंप बोरिंग के साथ उपलब्ध कराया जाए, राज्य की सभी लंबित सिंचाई योजनाओं और क्षतिग्रस्त सिंचाई योजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए ।

(iv) Need to set up a Maurya Regiment in Army

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): दुनिया के इतिहास में कई राजा महाराजा, नवाब, प्रिंस और सम्राट हुए, खुद को नायक बताते रहे। वह कुछ समय के लिए चमके भी, पर जल्द ही गायब भी होते गए। गायब ही नहीं बल्कि इतिहास से लुप्त हो गए। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक महान की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। वह आज भी एक ध्रुवतारे की तरह चमकदार बने हुए हैं। दुनियाभर में उन्हें दो वजहों से जाना जाता है। पहला - कलिंग युद्ध के लिए और दूसरा - भारत सहित दुनियाभर में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए। कहते हैं कि जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता उसे दुनिया भूल जाती है, हम तो वो हैं जो आज भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से भारत आए हैं। हमारे समाज का गौरवशाली अध्याय ही नहीं अपितु शौर्यपूर्ण इतिहास भी रहा है जो सिर्फ़ किताबों और ग्रंथों में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों - दिमाग़ में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हमारे युवाओं में आज भी भारत को अखण्ड बनाने का जज्बा है। पूरा विश्व जिसके साहस, वीरता और अखण्डता का लोहा मानता है उसके नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है। जबकि देश में भिन्न-भिन्न जातियों को मिलाकर 31 रेजीमेंट है। कहते हैं जो जीता वही सिकन्दर आगे का नहीं बोला जाता जबकि पूरा है जो जीता वही सिकन्दर और जिसने सिकन्दर को भी जीता वह है मौर्य। अतः मै सरकार से मौर्य रेजीमेंट बनाने की मांग करती हूं।

(v) Regarding construction of underpass or overbridge on railway level crossing in Deoria Parliamentary Constituency

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र देवरिया के सदर रेलवे का पूर्वी दाला जिस को पार करके कसया सड़क एवं महुआपाटन सड़क होते हुए बिहार को जोड़ती है। इन दोनों सड़को से हजारों की संख्या में यात्री और वाहन आते है जिनको ढाला पार करके इस शहर में प्रवेश करना होता है। ट्रेन आने की स्थिति मे जब ढाला बन्द रहता है तो बड़ी संख्या में वाहनों की लम्बी कतार दोनों तरफ से लग जाती है जिससे यातायात भी प्रभावित होता है और फिर जाम लगता है और शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उक्त ढ़ाले पर एक अंडरपास या उपर गामी सेतु बनवाने की कृपा करें जिससे यातायात सुगम हो और शहर को जाम से मुक्ति मिले एवं जन भावना का सम्मान हो।

(vi) Regarding development of archaeological sites in Sivasagar, Assam

SHRI TOPON KUMAR GOGOI (JORHAT): It is matter of great concern that the Union Minister of Finance announced at the Union Budget e2020-2021, that the five archaeological sites would be developed (preservation and beautification) as iconic site with on-site museums. How many of the prominent tourism sites had to been chosen for the development (preservation and beautification) as iconic sites in Sivasagar of Assam the detail work plan, the amounts allocated, details for the preservation and beautification of the iconic sites and onsite museum in Sivasagar, Assam may be provided. I urge the Hon'ble Minister of Culture about the works going on the ground and what measure are taken for the fast completion for the development of the iconic sites along with a onsite Museum in Sivasagar, Assam. It should be developed as a big attraction for the international and domestic tourist which will generate lots of employment.

(vii) Regarding increase in number of therapy sessions for children with autism and make provision for caregiver in severe cases of autism

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फाइल संख्या एस.11030/86/2022-ईएचएस के अंतर्गत दिनांक 01-05-2023 को औटिज्म के संबंध में सीजीएचएस और सीएस (एमए) के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। किन्तु उक्त दिशानिर्देश में जो थेरेपी की सप्ताहवार संख्या निर्धारित की गई है वो बहुत अस्पष्ट है। यदि हम उसी आदेश को आधार माने तो उसके अनुसार प्रत्येक सप्ताह में ओक्युपेशनल थैरेपी, स्पीच थेरेपी, एबीए थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि के लिए, तथा जैसा भी केस हो, के लिए प्रत्येक सप्ताह में माइल्ड टू मोडरेट औटिज्म केस में न्यूनतम सत्र 7-11 सत्र और सीवीयर औटिज्म केस में न्यूनतम 12-21 सत्र अधिकतम थेरेपी सत्र की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि जैसा कि मंत्रालय द्वारा एक सप्ताह में सत्रों की संख्या सुझाई गई है, उसे अधिकतम 6 या 7 सत्र तक निर्धारित न करके सत्रों की संख्या माइल्ड टू मोडरेट औटिज्म केस में न्यूनतम सत्र 7-11 सत्र और सीवीयर औटिज्म केस में न्यूनतम 12-21 सत्र अधिकतम थेरेपी सत्र की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है।

इन को सीखने में बहुत कठिनाई होती है। एक milestone को प्राप्त करने में ही इन्हें काफी समय लग जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को अपनी आंखो से देखा है। ये बच्चे भूख-प्यास, लेटरीन-बाथरूम, यहां तक कि उन्हें चोट भी लग जाती है तो वे इसको बता नहीं पाते! सीवीयर औटिज्म के मामले में तो ये स्थिति और भी दयनीय होती है। ये बच्चे दूसरों पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। इन्हें 24 घंटे देखरेख की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के माता-पिता की मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही तंग होती है, हम उनके कष्टों को महसूस नहीं कर सकते।

सच तो ये है कि इन बच्चों के माता पिता सामान्य जीवन नहीं जी सकते। वे केवल अपने बच्चे में ही लगे रहते हैं। उनको थैरेपी सेंटर लाना ले जाना आदि। कोई भी थेरेपी सत्र 600 रुपए

प्रति सत्र से कम नहीं होती। ये 600 रुपए से 1000 रुपए तक होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि औटिज्म के सीवियर मामले में कम से कम सीवियर केस में;-

थेरेपी सत्रों को सप्ताहवार बढ़ाकर, (स्पीच 6 दिन, ओटी 6 दिन, स्पेशल एजुकेशन 6 दिन, एबीए-3 दिन) कुल 21 दिन की जाए। (उक्त आदेश में भी यह व्यवस्था की गई है किन्तु इसको क्यूमूलेटिव करके 7 तक सीमित कर दिया गया जो कि असंगत है।

यह भी निवेदन है कि प्रत्येक थेरेपी सत्र के लिए 500 रुपए निर्धारित किया जाए।

औटिज्म के सीवियर मामले में बच्चे की केयर के लिए एक केयर गिवर की आवश्यकता भी है। अत: सरकार से यह भी अनुरोध है कि सीवियर औटिज्म के मामले में CAREGIVER का प्रावधान भी किया जाए और इसके लिए एक तय राशि निश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त निवेदन है कि इन थेरेपीज को बीमा में शामिल किया जाए।

(viii) Regarding construction of Chhitauni-Tamkuhi railway line in Kushi Nagar Parliamentary Constituency

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): मै माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन भी नई रेल परियोजनाओं में विगत वर्षों में सरकार द्वारा करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, परन्तु अभी तक वो परियोजनाएं, किसी न किसी वजह से अधर में लटकी हुई हैं। इन लंबित रेल परियोजनाओं के कारण, जहां एक तरफ, सरकार को दोहरे राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ, ग्रामीण अंचल के लोगों के मन में, जो आशा की किरण जगी थी, वह उम्मीद अब टूटने के कगार पर है। ऐसी ही एक रेल परियोजना का ज्वलंत उदाहरण, हमारे लोक सभा क्षेत्र कुशीनगर में 64 किलोमीटर लंबी छितौनी-तमकुही रेल परियोजना है। जिसमें विगत 7 वर्ष पहले, 4 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाने के बाद, कुछ भूमि अधिग्रहण न हो पाने के कारण यह परियोजना अभी तक लंबित पड़ी है। जिसमें सरकार द्वारा भारी धनराशि लगाने के बाद, इस परियोजना को अधर में रोक देने से, भारी राजस्व की क्षति होने के साथ ही क्षेत्रीय जनता में भारी निराशा का माहौल है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस लंबित रेल परियोजना के सभी तकनीकी पहलुओं व अड़चनों को यथाशीघ्र दूर करते हुए, इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जाने की मांग करता हूँ। जिससे सरकार क्षेत्रीय जनता की टूटती उम्मीदों पर खरी उतर सके। धन्यवाद ।

(ix) Need to extend the benefits of government schemes to people living in areas registered in land records as bush-forests in Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छतीसगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र के जंगल राजस्व रिकार्ड में बड़े झाड के जंगल भूमि के रूप में दर्ज होकर अनेक पीढ़ियों से यहाँ मकान बनाकर लोग निवासरत है, किन्तु ऐसे कब्जाधारियों को शासकीय योजनाओं जैसे आवास आदि का लाभ बड़े झाड के जंगल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। जबकि उक्त भूमि में अनेक वर्षों से जंगल ही नहीं है, केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि राज्य सरकार द्वारा घाँस जमीन पर काबिज लोगों की जमीन को आबादी घोषित कर आबादी पट्टा प्रदान किया जा रहा है। वहीं बड़े झाड़ में काबिज लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से कराए जाने की आवश्यकता है। अत: राजस्व विभाग से मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज लोगों के लिए उक्त नियम को शिथिल करते हुए अतिशीघ्र भूमि स्वामी का हक प्रदान किया जावे, ताकि योजना से वंचित लोग शासन की योजनाओं का लाभ ले सकें।

(x) Regarding inclusion of Kasaudhan Caste of Jharkhand in the central list of OBCs

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कसौधन जाति एकीकृत बिहार राज्य में एवं झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद भी राज्य की ओबीसी की सूची में शामिल है परंतु केन्द्रीय ओबीसी की सूची में शामिल नही है। विदित है कि उक्त जाति समाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई है। कसौधन जाति के लोग पलामू संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ झारखण्ड के अन्य जिलों में बड़ी संख्या में निवास करते है तथा उनकी काफी दिनों से मांग रही है कि केन्द्रीय ओबीसी की सूची में उन्हें सम्मिलित किया जाय। उक्त संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के सचिव के Letter No &14/Vi-Vi-Pa&10&02/2019 Ka 4194 (अनु), दिनांक 28/08/2020 को समाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव को पत्र लिखकर अन्य जातियों के साथ-साथ कसौधन जाति को केन्द्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने हेतु भेजा गया है। अतः समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा भेजे गए उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए कसौधन जाति को केन्द्रीय ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने की कृपा की जाय।

(xi) Regarding improvement of railway services in Kharagpur Division under South Eastern Railway

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): I would like to draw the kind attention of the Government to the problems being faced by daily passengers in Kharagpur Division under South Eastern railways due to the revised time table of Santragachi-Jhargram MEMU (08069 up), Kharagpur Tata MEMU (08071), and Tata-Kharagpur MEMU (08056). Jhargram being a district headquarters, many teachers, health workers, bankers, students of different colleges, employees of various offices, traders are take local trains every day from Santragachi, Bagnan, Mecheda, Panskura, Haur, Radhamohanpur, Balichak, Kharagpur to Jhargram for perform their business. With introduction of new time table of Santragachi-Jhargram Memu, daily commuters face utter difficulty. The passengers of Radhamohanpur station suffer a lot as Ghatsila-Howrah Memu Express has no stoppage at Radhamohanpur. In these circumstances, I would request the Hon'ble Minister of Railways to fulfil the following appeals: Revert to the previous time table of Santragachi-Jhargram Memu special at 6.40 am as before Covid Pandemic. Tata-Kharagpur memu (08056) be extended upto Howrah with all stoppages as before. Introduce new stoppage of Ghatsila-Howrah Memu Express at Radhamohanpur. For the interest of daily passengers, introduce a new local train at Jhargram station in between 5.30 pm to 6 pm upto Howrah.

(xii) Need to provide escalators and elevators at Shahjahanpur Railway Station in Uttar Pradesh

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): लोक सभा में मेरे द्वारा पूछे गए और तारांकित प्रश्न संख्या 3386 दिनांक 23-032022 के बारे में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2018-19 में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर दो अदद एस्केलेटर और दो अदद लिफ्ट की स्वीकृति दे दी गई है तथा मौजूदा ऊपरी पैदल पार पुल (एफओबी) पर सुसंगतता न होने का कारण स्वीकृत उपर्युक्त स्केलेटरों और लिफ्टों को अभी संस्थापित नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा दिनांक 24-07-2019 में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5142 के बारे में यह बताया गया कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर 04 अदद एस्केलेटर और 02 अदद लिफ्टें लगाने के लिए प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन मुझे दुख है कि इस संदर्भ में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर स्थित रेलवे स्टेशन पर जन सामान्य, विशेषतः बीमार और वरिष्ठ नागरिकों को सीढ़ियों के उपयोग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा भीड़ भाड़ की स्थिति में गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अतः ऐसी स्थिति में वहां ऊपरी पैदल पार पुल (एफबीओ) पर सुसंगतता बनाकर स्वीकृत एस्केलेटरों और लिफ्टों को जनहित में तुरंत संस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

अत मेरा अनुरोध है कि शाहजहांपुर स्थित रेलवे स्टेशन पर स्वीकृत किए गए एस्केलेटर और लिफ्टों को तुरंत संस्थापित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए जाएं और इसमें अब तक किन कारणों से विलंब हुआ है, इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित कर विभागीय कार्रवाई की जाए।

(xiii) Regarding review of projects for development of religious sites in Deoghar

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar is an important religious hub and is home to one of the twelve Jyotirlingas and a Shaktipeeth with upwards of fifty million people visiting the pious city annually. I urge to chalk out a comprehensive programme in which previously sanctioned projects shall be reviewed and new projects will be tabled for further development in the backward region. Q-Complex, which received a grant of Rs. twenty-five crore from the Government of India in the year 2012 is lying unfinished. The Ministry of tourism has included Deoghar city in the PRASAD Yojana. At the time of its inclusion, I had raised an issue concerning the narrow streets of the city leading to the temple to be widened. The Prime Minister in the year 2015 had announced a package for the development of religious sites in the region, especially the Sultanganj to Deoghar corridor for the betterment of the facilities in the Kanwar Yatra and the overall holistic development of religious sites in the area. The Deoghar, Santhal Pargana, and Jharkhand region is the hub of numerous religions, including Jainism and Hinduism. A comprehensive plan should be chalked out for the development of a circuit which connects the major religious hubs of the pious region. This circuit will impact India's reputation globally. Parasnath, Deoghar, Basukinath, Maluti, Tarapith, Vikramshila, Bateshwarsthan, Mandar, Champapuri, sultanganj, Karangari in Munger are all pivotal religious hubs with hundreds of millions of devotees flocking to these temples annually to pay their respects. The Food Craft

Institute is an incomplete project in Deoghar. Thus, I request to complete the projects for the development of the backward region.

(xiv) Need to expedite works on NH No. 351

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग- 351 के पैकेज-2 से जुड़ा है। जो गाँव बाढ़डा से गाँव गावडका को जोड़ता है । इस राष्ट्रीय राजमार्ग को टू-लेन से फोरलेन में परिवर्तित करने की अनुमति काफी समय पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब तक इसका एलाइनमेंट कार्य चल रहा है और इसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य भी होना बाकि है। इस प्रोजेक्ट के लंबित पड़े एलाइनमेंट कार्य के धीमी गति से चलने के कारण यह प्रोजेक्ट और ज्यादा विलम्बित हो रहा है। जनता द्वारा इस की कई वर्षों से पुरानी मांग है और इस प्रोजेक्ट से जनता को पूरी उम्मीद है की यह राजमार्ग फॉर-लेन में परिवर्तित किये जाने से यातायात और बेहतर होगा । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस कार्य की गति में तेजी लाने के लिए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो सके।

(xv) Regarding alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू): भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन अनुसार देश के हर घर में नल से साफ़ जल पहुंचाने की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य किया गया हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और पानी की भारी किल्लत रहती है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए भारत सरकार द्वारा राजस्थान को सर्वाधिक राशि जारी किये जाने का कार्य किया गया हैं। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र की योजना होने के कारण अभी तक इस पर प्रभावी कार्य नहीं किया गया है। राजस्थान में पिछले दिनों जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार अनियमितता के कई मामले सामने आए हैं, सरकार द्वारा अभी तक इस विषय पर कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। जिसकी वजह से इतनी बेहतरीन योजना का क्रियान्वन सही नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों ही राजस्थान में दो कंपनियों के द्वारा जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ियाँ करने का मामला सामने आया था । मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान राज्य में जल जीवन मिशन के तहत सामने आ रही गड़बड़ियों व अनियमितताओं की शिकायतों की जांच केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा करवाई जाए, और राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि इस योजना का सही क्रियान्वन करे ।

(xvi) Regarding a policy of flexible working hours for women

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): भारत में, अपनी क्षमताओं, शिक्षा और योग्यता के बावजूद, विभिन्न सांस्कृतिक बाधाओं के कारण महिलाएं कार्यबल में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 के दौरान महिलाओं के लिए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 32.8% थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय अमृत काल में 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार कर रहा है। प्रधान मंत्री ने 2022 में श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस बात की वकालत की है कि भविष्य में लचीले कार्यस्थलों, पारिस्थितिकी तंत्र और लचीले कार्य घंटे और घर से काम करने की आवश्यकता है। हम लचीले कार्यस्थलों जैसी प्रणालियों का उपयोग महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी के अवसरों के रूप में कर सकते हैं। सरकार को विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों और विशेष प्रावधानों के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लचीले कार्य घंटों के लिए एक विस्तृत नीति पेश करने का अनुरोध करता हूं।

(xvii) Need to waive the penalty for not linking Aadhar Number with PAN

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): As the House is aware, the Ministry of Finance has issued orders to mandatorily link the Aadhaar and PAN. In this context, it is not out of place to mention here that, people are facing various problems including Internet and server connections due to which they could not link the same and especially in Telangana, people are facing difficulties in Mee Seva Kendras to link Aadhar and PAN. Most people don't know what to do and how to link the same and penalizing the common man with rupees one thousand is an irony. Linking Aadhar and PAN Card numbers is very much sensitive, and cyber security issues will also pose many challenges which is a great concern for all of us. Around 30 crore people in the country have not linked PAN-Aadhar till now and for this they have to shell out Rs. 3 lakh crores which is a unnecessary financial burden. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Finance, to kindly review the matter and re-think about common people for a moment in the interests of the common man and completely waive the penalty.

(xviii) Need to restore deleted job cards under MGNREGS

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Over 5 crore job cards have been deleted in 2022-23 and 7.4 million so far during this financial year as per the Management Information System of MGNREGS and a reply given to a Starred Question in Lok Sabha on 25.07.2023. The main reason for the deletion of such a large number of job card holders was due to the non linkage of job cards with Aadhaar initiated by the Union Government for wage payment and digital attendance and not largely because of the reasons cited in the said reply. It is a well-known fact that net connectivity in rural areas is an issue. During Covid-19 several young children suffered education online due to poor net connectivity in rural areas. Rural masses should not be punished for lack of net connectivity which prevented them from linking job card with Aadhaar. The prime objective of MGNREGS is to take care of rural areas where everything lacks, including internet connectivity. MGNREGS is a right of rural people and not a consideration. Therefore, I request the Government to revert back to the method as existed earlier in respect of Aadhaar and wage payment and restore job cards of those whose names have been deleted urgently.

(xix) Regarding development of park and associated area of Payyambalam into an open military museum in Kannur Parliamentary Constituency

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): The park and associated areas of Payyambalam in my Parliamentary Constituency, Kannur, urgently require rehabilitation as an open military museum. Payyambalam beach is a popular tourist spot within the Kannur Corporation limits, attracting visitors worldwide. The Kerala Tourism Department previously developed a park in the region by removing over 2000 tonnes of sand two decades ago. Additionally, it offers the best view of Payyambalam. However, the current state of the location is deplorable. The approximately 65-cent area is completely neglected and overgrown due to a legal dispute with the Ministry of Defence over ownership. Antisocial elements have taken advantage of the dilapidated condition, causing public disturbances. Transforming the area into a significant tourist center is crucial. Rehabilitating the center as an open military museum would attract thousands of tourists and provide a fresh experience for students and the public. The intervention of the Hon'ble Minister of Defence is requested to rehabilite the park and associated areas in Payyambalam into an open military museum.

(xx) Regarding extension of train services to Salem

SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): Currently, only two trains operate from Salem: the 13351 Alappuzha Express at 5:22 am and the 12626 Kerala Express at 9:45 am. Unfortunately, there is a gap of around four and a half hours between these two services, leaving passengers without transportation options. Similarly, from Coimbatore, the only trains available are the 17229 Sabari Express at 4:25 pm and the 16382 Pune Express at 8:00 pm, leaving a four-hour gap between them. This lack of train services during these intervals has severely impacted the lives of residents. Daily wage workers, contract workers, college students, government and officials, entrepreneurs, who heavily rely on bus transportation, face immense hardship. They are forced to spend a significant portion of their income on bus travel expenses, which creates a substantial financial burden for them and their families. To address this issue, we propose extending Train number 06801, currently running from Erode to Coimbatore at 7:50 am, to start from Salem at around 7 am. Similarly, Train number 06800, travelling from Coimbatore to Erode at 6:10 pm, could be extended to Salem. These extensions would greatly improve transportation options and alleviate the difficulties faced by the residents of Salem and its surrounding areas.

(xxi) Regarding Polavaram Irrigation Project

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): The intermediate benefits from the Polavaram Irrigation Project on the Godavari River can be achieved with the swift execution of the project up to the Minimum Draw Down Level of +41.15 mts. The ad hoc funds required to assessed as Rs. 17,148 cr. I would like to request the Government that additional funds required to complete the project up to the Full Reservoir Level (FRL) +45.72 mts is assessed at Rs. 55,000 crore as revised estimation cost (2019-20) to realise the full contemplated benefits. However, the unprecedented floods in the Godavari experienced during 2021 & 2022 and their subsequent impact on the surrounding areas has expedited the need for immediate rehabilitation and relief provision to the project evacuees. The Centre has agreed to revise ad hoc grant estimates to Rs 17,148 crore from Rs 12,911 crore keeping in view the state government's request. Hence, due to the circumstances created by the Godavari floods, I request the Government to release the sanctioned funds on an ad-hoc basis, pending the final assessment of the revised costs so that the construction works of the project can proceed smoothly and to enable the Government of Andhra Pradesh to continue the execution of the multi-purpose irrigation project including land acquisition and providing rehabilitation facilities without any delay.

(xxii) Need to extend rail travel concessions to partially visually impaired persons

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Railway extends rail travel concessions to persons with disability. In the case of blindness, the rail travel concession is available to persons with 100% disability only and not to those whose disability is less than 100%. It has further been observed that persons with disabilities like hearing disability, the concession is available even if disability is upto 40% only. The denial of railway concession to partially blind persons has caused lot of difficulty to partially blind persons. This is huge injustice meted out to blind person with less than 100% blindness. I urge upon the Government to intervene immediately and carry out necessary amendments in the rules at the earliest to do away injustice being meted out to blind persons with less than 100% blindness.

(xxiii) Regarding sharing of premium subsidy between the Centre and State under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): According to Section 21.5 of Revamped Operational Guidelines of PMFBY perils like hailstorm, inundation, landslide, cloudburst, natural fire due to lightening etc. have been included under risk scenario of localized calamity. However, as mentioned at Section 21.5.10, loss of crops like paddy, sugarcane, jute and mesta due to inundation are not included under this provision as they are considered hydrophilic crops. It is pertinent to mention that because of such exclusion the paddy growing farmers who account for more than 95% of the insured farmers are deprived of the benefits of the PMFB in case of loss to their crops because of inundation. I request the Government for appropriate amendments in the provisions of be Operational Guidelines of PMFBY so that more farmers can covered/benefitted under the Scheme. In Section 5.2.5 of the Revamped Operational guidelines the loss of crop due to attack by wild animals can be covered under PMFBY. However, it has been mentioned that the state government may provide premium subsidy for this risk coverage. I request the Union Government to consider sharing the premium subsidy between the Centre and State in the ratio of 80:20 instead of 50:20 under PMFBY.

(xxiv) Regarding operationalisation of Shrawasti Airport, Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के सबसे अधिक 24 से 25 वर्ष व्यतीत किये थे और धम्म परिवर्तन और विश्व शांति का उपदेश दिया था। इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को देखने के लिए देश के कोने-कोने से और विदेशों से लाखों पर्यटक एवं बौद्ध अनुयायी प्रतिवर्ष श्रावस्ती आते हैं। यह जिला आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आता है। दो साल पहले नागर विमानन मंत्रालय द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट को चालू करने की घोषणा भी की गई थी, परंतु अभी तक श्रावस्ती एयरपोर्ट को चालू नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 'श्रावस्ती एयरपोर्ट' को जल्द से जल्द चालू कराया जाए जिससे श्रावस्ती बलरामपुर की जनता के साथ साथ ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल को देखने के लिए देश के कोने -कोने से और विदेशों से लाखों पर्यटक एवं बौद्ध अनुयायियों को इसका लाभ मिल सकें और इस क्षेत्र का विकास हो सके।

(xxv) Regarding construction of bridges on rivers in Khagaria Parliamentary Constituency

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मैं सरकार का ध्यान खगड़िया लोक सभा के अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर ले जाना चाहता हूं मेरा संसदीय क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है एवं यहां से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं जो क्षेत्रों को कई भागों में बांट देती है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि खगड़िया जिला के अंतर्गत अलौली प्रखंड के मोहरा घाट, बेलदौर प्रखंड के केजरी घाट, सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर सबडिवीजन अंतर्गत चिकन घाट तथा समस्तीपुर जिला के विद्दल प्रखंड के परी घाट पर हाई लेवल पुल का निर्माण किया जाए।

(xxvi) Regarding alleged under-utilization of funds under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): I would like to draw the attention of the Government to a pressing concern regarding the unutilized funds under the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) within your Ministry. Recent reports have disclosed that a substantial amount of approximately Rs 4,500 crore allocated for the PMJVK remains unused by the states. This unfortunate situation arises due to the unavailability of utilization certificates, hindering the disbursement of further funds under the scheme. Equally concerning is the revelation that over 58,000 units of infrastructure projects have been sanctioned between 2008 and 2018-2019 which have been cancelled or dropped due to perceived viability issues, following discussions between the Ministry of Minority Affairs and the states. The Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) earlier known as Multi-sectoral Development Programme (MsDP), a centrally sponsored scheme and is implemented in 1300 identified Minority Concentration Areas(MCAs) of the country with the objective to develop socio-economic assets and basic amenities in these areas. Since May 2018, the scheme has been implemented as the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK). In light of these disconcerting revelations, I earnestly request the Honorable Minister to shed light on the reasons behind the under-utilisation of funds and present concrete measures to rectify this issue.

(xxvii) Need to regularize the services of temporary employees in government sector and PSUs

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों लोग अस्थायी तौर पर सालों से नौकरी कर रहे हैं। उन लोगों की नौकरी अभी तक नियमित नहीं हुई है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। सरकारी पीएसयू में भी ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनकी नौकरी अभी तक नियमित नहीं हुई है। देश में लाखो अस्थायी कर्मचारी अपनी नौकरी स्थायी करने के लिए अभी भी सड़क पर छत्तीसगढ़ से लेकर, मध्यप्रदेश असम तक भूख हड़ताल तथा असहयोग आंदोलन कर रहे हैं और अनुकम्पा के आधार पर भी बहुत से लोगों की नौकरी पक्की नहीं हो पाई है। असम में भी स्कूल के शिक्षकों का नियमितिकरण और स्कूलों का सरकारीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इन लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ विशेष आर्थिक पैकेज राज्यों को प्रदान करें और सभी हमारे अस्थायी कर्मचारी को नियमित करें और सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में उन्हें लाना चाहिए और साथ ही असम के शिक्षकों का नियमितिकरण और स्कूलों का सरकारीकरण जल्द से जल्द हो।

(xxviii) Need to declare the promotion results of DRDO and DAE Scientists

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं डीआरडीओ डीएई वैज्ञानिकों की पदोन्नति परिणाम पूर्व की तरह समय सीमा के अंदर जारी करने के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश की सेवा में डीआरडीओ हमारे सशस्त्र बलों को रडार, मिसाइल, सिस्टम, टैंक, पनडुबी और विमान जैसी कई अत्याधुनिक प्रणालियां प्रदान करता रहा है | वैश्विक महामारी कोविड के दौरान डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने नागरिकों को समय सीमा के अंदर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । मैं सरकार को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व में डीआरडीओ के उच्च ग्रेड वैज्ञानिकों के साथ साथ डीएई वैज्ञानिकों को भी पदोन्नति को प्रदान किया जाता था, लेकिन पिछले दो वर्षों से 2021-2022 के प्रमोशन के नतीजों को रोक दिया गया है। जो कि हमारे वैज्ञानिकों को हतोत्साहित करने वाला निर्णय है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि डीएई वैज्ञानिकों को पदोन्नति के परिणाम शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जाएं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में आइटम नंबर 22 लिस्टेड है, उसके स्थान पर आइटम नंबर 23 और 24 अर्थात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 को ले लिया जाए।

माननीय सभापति: क्या इस पर सभा की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य: हां-हां।

माननीय सभापति: आइटम नंबर 23 और 24 एक साथ लिए जा रहे हैं।

<u>14.19 hrs</u>

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023 (No. 1 of 2023) AND GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2023

माननीय सभापति: अधीर जी, आप अपने स्थान पर आइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will wait. Please join.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury Ji.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move the following resolution:

"That this House disapproves of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 (No. 1 of 2023) promulgated by the President on 19.5.2023."

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया, तब थोड़ा शोर-शराबा भी हुआ। … (व्यवधान)

14.20 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: अगर ऐसे सदन चले, तो अच्छा लगता है।

श्री अमित शाह: कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि यह विधेयक, जिसे हम लेकर आए हैं, उस विधेयक को लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरा, यह मुद्दा उठाया गया कि मैं इस विधेयक को लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, तो यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भावनाओं के विरुद्ध है।

मान्यवर, सबसे पहले मैं इन दोनों चीजों का बहुत डिटेल्ड जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ था, तब विपक्ष का मूड़ सुनने का नहीं था, लेकिन आज कुछ अच्छा मूड़ दिखता है। … (व्यवधान) मान्यवर, जहां तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 239 के एए में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधान सभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है, तो दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है, न संघ शासित प्रदेश है, न संघ शासित प्रदेश विद असेंबली, क्योंकि यह राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 एए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। मैं इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा। अब कहा गया कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने

का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 एए (3)(बी) की तरफ दिलाना चाहता हूं। अनुच्छेद 239 एए (3)(बी) बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज उसका मैं ढंग से जवाब दूं।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने हाथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रखकर यह भी कहा कि सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन करके इसको लाया गया है। मैं उन सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपना मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है।

जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो सम्पूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी होता है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, नहीं रखा, लेकिन मैं रख देता हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक है, इसमें उन्होंने सर्वोच्च अदालत के निर्णय को रैफर किया है। मैं उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेषकर पैरा 164(एफ) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें स्पष्टता से कहा गया है कि संसद को 239 एए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यह अदालत ने अपने जजमेंट के अन्दर बहुत स्पष्ट कर दिया है।

मान्यवर, अब मैं थोड़ा विधेयक पर बात करना चाहूंगा। दिल्ली शासन की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दिल्ली की स्थापना सन् 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली, दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग करके की गई थी। सन् 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया।

आजादी के बाद पट्टाभि सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि, जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, चूँकि मेरा विपक्ष के

सदस्यों से विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। पट्टाभि सीतारमैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल जी, राजाजी, श्री राजेन्द्र प्रसाद जी और डॉ. अम्बेडकर जी जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि यह उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि किस-किसने विरोध किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने किया था, सरदार पटेल जी ने किया था, राजाजी ने किया था, राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया था और डॉ. अम्बेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। उस वक्त पंडित नेहरू जी की एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ – "दो साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारमैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आई है, तब दुनिया बदल गई है। भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा।" एक समय तो नहेरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि "चूँकि नई दिल्ली में तीन-चौथाई सम्पत्ति केन्द्र सरकार की है इसलिए तर्क संगत यही होगा कि इसको केन्द्र के अधीन रखा जाए।" बाद में जब डॉ. अम्बेडकर जी ने समापन किया, तब उन्होंने कहा कि "जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार यहां पर दिए जा सकते हैं।" संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र हैं, इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां पर दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और संविधान सभा में इसको जोड़ना चाहिए। खैर, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, यह सिफारिश किसकी थी, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की सिफारिश थी।

मान्यवर, उसके बाद वर्ष 1951 पार्ट-सी स्टेट्स एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधान सभा दी गई। परन्तु, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली की विधान सभा हटा कर, उसको संघ राज्य घोषित किया गया। लगभग तीन दशक तक यह व्यवस्था चलती रही। वर्ष

1987 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई और वर्ष 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन में पारित किया गया। उसी विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर आर्टिकल 239एए, जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया है।

मान्यवर, समस्या कहां से शुरू हुई है? वर्ष 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था, तब वहां हमारी सरकार थी। कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, तब नीचे हमारा शासन था। मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की थी। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। कोई डिसप्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वर्ष 1915 में स्थिति बदली और यहां … (व्यवधान) सॉरी, वर्ष 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना है।…(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार रिंकू (जालंधर): अध्यक्ष महोदय, हमारा मकसद झगड़ा करना नहीं है।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अनेक पार्टियों के मुख्य मंत्री रहे। अनेक पार्टियों की मिली-जुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही। मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा कि क्या दिक्कत है? मैं उसकी भी डिटेल में बात करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, जिसका सत्य छुपाना है।…(व्यवधान) जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है।…(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार रिंकू : अध्यक्ष महोदय, लोग आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं।…(व्यवधान) आपकी नाक के नीचे…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, उसके बाद में वर्ष 2015 में अचानक ही दिल्ली राज्य सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए। केन्द्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। माननीय हाई कोर्ट का फैसला केन्द्र सरकार के पक्ष में आया। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसमें खंडित जनादेश आया। फिर संविधान पीठ बनी। संविधान पीठ ने कुछ फैसले कर के नीचे फिर से दो जजों की बेंच को दिया। उसमें भी सहमति नहीं बन पाई और फिर से संविधान पीठ बनी, जिसने अभी-अभी फैसला दिया है।

मान्यवर, वह जो इंटरप्रेटेशन है, वह इंटरप्रेटेशन उन्होंने कानूनी और मोरल दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने इंटरप्रेटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए यह कहा है कि फिर भी देश की संसद और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। वह अधिकार का उपयोग करके एक नोटिफिकेशन निकाला गया और वह नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं कर रही थी। मतलब संसद बैठी नहीं थी और बैठकें चल नहीं रही थीं तो नोटिफिकेशन निकला। संसद सत्र की अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला, इसको मैं यहां लेकर आया हूं और जिसे आज सदन में चर्चा के लिए मैंने आप सब के सामने रखा है। मेरी सभी पक्षों के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए किसी का समर्थन हासिल करने के लिए विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं… (व्यवधान) नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। हम विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में स्वीकृति थोड़ी कम है, सब को मिलाना है तो दिल्ली का जो होना है, वह हो, जितना भ्रष्टाचार होना है, वह हो। मंत्री कुछ भी करें, मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये के बंगले बनाएं, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे,

क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है।… (व्यवधान) इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी विपक्ष के सदस्यों से अपील है कि आप दिल्ली के बारे में सोचिये, अलायंस की मत सोचिये। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है।… (व्यवधान) अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनने वाले हैं। इसलिए इस अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइये।… (व्यवधान) जनता सब देख रही है। अगर आप अलायंस करके ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर लिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ रुपये के घपले, घोटाले करे, इसलिए आज आप वहां बैठे हैं।… (व्यवधान) मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब-किताब करेगा।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैंने इस बिल को सदन के सामने रखा है। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करें। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रैलिटी से बात करें। विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को मैं वैसे भी बता देता हूं कि यह बिल पारित होने के बाद वह अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं हैं।… (व्यवधान) जो सच है, वह करिये। इतनी अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

> “कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19.5.2023 को प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।”

और

> “कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बार-बार उठोगे तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यह सदन है। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा । आप एक पार्टी से हो और आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन बीच-बीच में नहीं उठते हैं, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं । आप भी अपनी बात कहना ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आपको विराजमान होते हुए देखकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि कल ही यह मुद्दा सदन में आने वाला था। हम तैयार होकर यहां बैठे भी थे, यह लिस्टेड भी हुआ था, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल मैं आसन पर नहीं था, इसलिए नहीं हुआ ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। हमने संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद संसद ठप कराती है और दूसरा यह देखा कि हमारे गृह मंत्री जी सदन से नदारद रहें तथा स्टेट मिनिस्टर, होम भी नदारद रहें। बाद में पता चला कि अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए थे और सदन को भगवान की मर्जी पर खिलौने की तरह फेंक कर चले गए।

आज जब वे सदन में आए… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर बोलें ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, क्या अमित शाह जी विषय पर बोल रहे थे? … (व्यवधान)

आज जब वे सदन में आए, तो अच्छा लग रहा था कि अमित शाह जी बार-बार जवाहरलाल नेहरू जी की और कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे थे। मुझे लगा, मैं क्या देख रहा हूँ, यह दिन है या रात है। मैंने तो सोचा कि मैं दौड़कर जाऊँ और अमित शाह जी के मुँह में शक्कर और शहद डालूँ क्योंकि अमित शाह जी के मुँह से नेहरू जी की तारीफ और कांग्रेस की तारीफ की बात आई, यह मेरे लिए बहुत अचरज की बात है।... (व्यवधान) लेकिन कुछ ही समय बाद यह पता चला... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पंडित नेहरू जी की तारीफ नहीं की। पंडित नेहरू जी ने जो कहा था, उसको मैंने कोट-अनकोट कहा है। यदि उसको तारीफ मानना है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि:

इधर-उधर की बात न कर,

यह बता कि काफ़िला कैसे लुटा।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको नेहरू जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप बराबर नेहरू जी का सहारा लेते रहते, तो आज हिन्दुस्तान में मणिपुर और हरियाणा हमें देखने को नहीं मिलता। आप यह मानकर चलिए।... (व्यवधान) यह दिल्ली है दिल्ली। यह दिल्ली हमारा दिल है।... (व्यवधान) एक दिन मैंने अपनी रूह से पूछा कि ये दिल्ली क्या है, तो जवाब में यह बताया गया, मानो आसमान जिस्म है, तो दिल्ली उसकी जान है। दिल्ली के साथ बार-बार क्यों छेड़खानी की जा रही है, यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि वर्ष 1911 में कलकत्ता से उठाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। यह आपने बिल्कुल सही बताया। वर्ष 1990 में बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट और रिक्मेंडेशन आई। The Sixty-Ninth Amendment Act 1991 was passed by the Parliament which inserted Articles 239AA and 239BB in the Constitution and provided for a Legislative Assembly in Delhi. In short, the Sixty-Ninth Amendment Act roughly

restored the kind of governance system that was offered to Delhi in 1952 – A Union Territory with a Legislative Assembly, Council of Ministers, and an elected Chief Minister with a limited mandate. यह वर्ष 1956 में यूनियन टेरिटरी बना।

देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी कहें, हमारी शंका सिर्फ इसलिए है कि हिन्दुस्तान में सिर्फ एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरह की छेड़खानी होती रहेगी, तो इसके कारण आप धीरे-धीरे आप हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों में एक किस्म का ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ घोटाले होते रहते हैं, तो क्या घोटाले रोकने के लिए यह बिल लाना जरूरी था? आपके हाथों में ईडी है, सीबीआई है, कितनी सारी फौज है आपके हाथों में, आपकी जेब में कितनी सारी शक्तियाँ हैं, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? घोटाले के चलते, घोटाले का विरोध करने के लिए क्या आपको यह बिल लाना जरूरी था? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ।

मेरा दूसरा सवाल है, देखिए अध्यादेश की घोषणा, लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार-विमर्श को दर-किनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2023 के संविधान पीठ के फैसले के तहत छः दिन बाद ही 17 मई, 2023 को अध्यादेश को मंज़ूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव को पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम को, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया।

इतनी जल्दबाजी क्यों? आपने अध्यादेश के तहत यह बिल लाना क्यों जरूरी समझा? … (व्यवधान) यह अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधे बिल ला सकते थे। ऐसी क्या जरूरत थी? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? उस समय क्या एक्सट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी? आपको सदन में यह बताना पड़ेगा।

In 1991, Parliament passed the Government of the National Capital Territory of Delhi Act to supplement the constitutional provision relating to the

Legislative Assembly and the Council of Ministers, which confers on the Assembly the power to legislate on all matters in the State List as well as the Concurrent List except land, police, and public order. Further, in 2018, the Constitution Bench of the Supreme Court dealt with the issue of the powers of the Delhi Government. The Supreme Court was involved in the interpretation of Article 239AA of the Constitution, which deals with the Government structure of the National Capital. In the ruling, the Constitution Bench held that although Delhi could not be accorded the status of a State, the concept of federalism could still apply to it. हमें संघीय ढांचे के लिए यह चिंता जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में संघीय ढांचा नहीं बचेगा, तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। इस कगार पर हिंदुस्तान न आ जाए, इसलिए हमें चिंता करनी जरूरी है। The 2018 ruling said that with the introduction of Article 239AA in the constitution, Parliament envisages a representative form of Government for Delhi while seeking to provide a directly elected Legislative Assembly with legislative powers over matters within the State List and the Concurrent List, barring those exempted. परसों सदन में इस पर चर्चा होते समय, हमने जब विरोध करना जरूरी महसूस किया, तो कोई ज्ञानी नेता यहां उठकर कह रहे थे कि हम लोग erudite नहीं हैं, यह कानून नहीं समझते हैं। हम यह मानते हैं। उन जैसा flamboyant, legal luminary मैं कम से कम नहीं हूं। यह मैं बिलकुल मानता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था, वह भी हमारे पास है।

वह बयान यह था, आपने माना कि the verdict itself noted that since there is no Central legislation governing the services and the decision-making process in Delhi, the power would lie with the elected Government. यह आपका तर्क है। आपका दूसरा तर्क यह है the Centre has removed the basis and reason for which the

judgement was given. The Supreme Court decision on the interpretation of Article 239AA, Entry 41, in the absence of any specific Parliament legislation dealing with the subject of services seems to be an acknowledgement of the Supreme Court as the superior authority of Parliament to make laws for the National Capital. आपका तर्क यही है? इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका तर्क बिलकुल सही है, लेकिन यह भी सही है कि - the review petition filed by the Centre in the Supreme Court claims that Delhi is not a full-fledged State but only a Union Territory, which is an extension of the Union. आपकी सुविधा के लिए मैं यह बता रहा हूं। The Parliament is Delhi's true Legislature, the Centre has argued. However, the May 11 judgement addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a full-fledged State, its Legislative Assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the State List and the Concurrent List. यह भी आपने कहा था। आपके यहां बहुत बड़े-बड़े वकील बैठे हुए हैं। श्री रवि शंकर प्रसाद जी भी हैं। …(व्यवधान) मैं एक मेनस्ट्रीम पेपर से यह उद्धृत करता हूं कि - the unanimous judgement held that though Delhi is not a State under the First Schedule to the Constitution, it is conferred with power to legislate upon subjects to give effect to the aspirations of the people of NCTD. It has a democratically elected Government that is accountable to the people of the NCTD. Under the constitutional scheme envisaged in Article 239AA, Clause 3, the NCTD was given legislative power that, though limited in many aspects, is similar to that of a State in the sense that, with the addition of Article 239AA, the Constitution created an asymmetric federal model with the Union of India at the Centre, and the NCTD at the regional level.

सर, हमें यह कहना है कि जब नुमाइंदे चुनकर आते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, तो क्या उनको लेजिस्लेट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? क्या वह अधिकार छीन लिया जाएगा? हम बचपन से सुनते आते हैं कि चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ तो लगता है कि चोर सिर्फ कोतवाल को नहीं, कलेक्टर को हुक्म कर रहे हैं। हमारी जो सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहेंगी, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज को खत्म करते हुए सारी जिम्मेदारी, सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स को सौंपे जाते हैं।... (व्यवधान) ब्यूरोक्रेट्स फैसला करेंगे कि सरकार कैसे चलेगी, क्या यह देश के लिए सही होगा?... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): सर, चोर अनपार्लियामेन्टरी है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, जहाँ आपको गलत लगे, छांट दीजिएगा। कोई हर्ज नहीं है।... (व्यवधान) मैंने कहा कि यह कहावत है।... (व्यवधान) मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। The court upheld that the Executive power of the Delhi Government was co-extensive with its Legislative power. That is the Executive arm of the Government. It covers all the subjects, including Services, public order, police, land for which the legislative arm can make laws.

आप यह कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट उससे भी शक्तिशाली है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। आपको इसका अधिकार है, लेकिन इसमें एक और बात है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य कह रहे हैं।

> “When we analyse the key provisions of this Ordinance in terms of article 239AA as well as GNCTD Act, 1991, it will be found to not be in conformity with the Constitution. Article 239AA, clause (7) empowers Parliament to make a law to supplement the provisions contained in that article.”

हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है। To supplement the provisions does not mean making contrary provisions. Parliament has not been given any power by this Article to make a law conferring all powers on the Lieutenant-Governor with respect to the administration of the territory of Delhi.

हमारी आपत्ति यह है। यह कानूनी आपत्ति है। कोई एलायन्स के चलते या किसी दूसरी वजह से हम कोई मनगढ़ंत आपत्ति नहीं करते हैं। इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बड़े संगीन हालात से गुजर सकता है, इसलिए हम पहले ही चेतावनी देना चाहते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि हम एक नया ढांचा एनसीसीएसए बनाएंगे। उसमें क्या होगा? उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उनकी बात नहीं चलेगी। जो सेक्रेटरी होंगे, वे फैसला करेंगे और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर के सिद्धांत में वे वीटो भी दे सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं? The Chief Secretary would represent the will of the officers of the GNCTD, Government of National Capital Territory of Delhi.

सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? The Supreme Court had envisaged a neutral civil service carrying out the day-to-day decisions of the Council of Ministers. The NCCSA is an attempt to bring the civil service officers out of the administrative control of the elected Ministers, who embody the will of the people, and transform them into a power lobby.

हमारा यही कहना है कि अगर आप सारी क्षमता ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ देंगे तो हमें यहाँ चुनकर आने की क्या जरूरत है? हमारा जो ट्रिपल कमांड सिस्टम चलता है, एक बार जनता हमें चुनती है, हम चुनने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ आम लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं। हमें अपनी जवाबदेही आम लोगों के सामने रखनी पड़ती है। यह जो हमारी ट्रिपल चेन कमांड हैं, यह ट्रिपल चेन कमांड हमारे देश के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। आप इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें आपके विरोध में यहाँ खड़े होना पड़ता है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक बात और है। There is yet another provision. It is 45J (4) which introduces a new procedure for summoning and proroguing a Session of the Assembly. Under the present Constitutional system, the decision to convene a Session of the Legislature is taken by the Cabinet. यहाँ भी ऐसा होता है, आप फैसला करते हैं कि कब सदन चलेगा और कब नहीं चलेगा।

Thereafter, it is conveyed to the Governor. आप क्या करते हैं? प्रेजिडेंट को भेजते हैं या पहले गवर्नर को भेजा जाता है, who signed the summon. This is the practice followed in all countries where the parliamentary system of Government exists. But a strange and inscrutable procedure has been introduced by this Ordinance. Under this new procedure, the proposal for convening the Assembly shall be submitted through the Chief Secretary to the Lieutenant Governor and the Chief Minister for their opinion before issuing the summon. क्या आप यहां कभी ऐसा मानेंगे? यदि हम तय नहीं करेंगे और नौकरशाह तय करेंगे, तो क्या हम मानेंगे? दिल्ली में फैसले सूबे की सरकार लेती थी। हमें सोचना पड़ेगा कि हर सूबे की सरकार के अपने-अपने क्षेत्र में सेवा देना जरूरी होता है। इस आर्डिनेंस के कारण दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाली 50 से अधिक संस्थाएं इस व्यापक प्रावधान से प्रभावित होंगी। इनका नियंत्रण दिल्ली के लोगों से लेकर केंद्र के पास चला जाएगा। ये संस्थाएं दिल्ली के ज्यादातर जल, परिवहन और बिजली आपूर्ति जैसी विभिन्न क्षेत्र में काम करती हैं। इनमें दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, दिल्ली विमेन कमिशन, दिल्ली इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी बोर्ड सहित बहुत-सी महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं को विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए गठित किया गया है और ये दिल्ली की जनता की रोजमर्रा की जीवन को प्रभावित करती है। ये संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित हैं। सिविल सर्विसेज के बाद ये संस्थाएं दिल्ली

में प्रशासनिक कार्य करती हैं और प्रशासन का केंद्र है। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधान सभा से पारित किया जाएगा, लेकिन इनमें नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। मेरा कहना है कि मनमाने तरीके से इस तरह का बिल मत लाया कीजिए। आप ब्यूरोक्रेट्स पर सारी जिम्मेदारी मत छोड़िए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में चैक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। इन चैक्स एंड बैलेंसेज को मत तोड़िए। यदि चैक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा, तो हिंदुस्तान नामक जो देश है, इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): इनके पंजाब के माननीय सदस्य बिट्टू जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, अमर सिंह जी बैठे हैं। दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित जी रोज बयान पर बयान देते हैं। मैं अपने माननीय मित्र से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस बारे में इनका क्या मत है?... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश न करें, तो बेहतर होगा।

'इधर-उधर की बात मत कर, बता काफिला कैसे लुटा।'... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: बात तो तब हो, जब दरार न हो। यहां तो दरार आ चुकी है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए। माननीय मंत्री जी केबिनेट मंत्री हैं। आप सभी जानते हैं कि उन्हें बोलने का अधिकार भी है और बैठने का अधिकार भी है।

श्री रेमेश बिधूड़ी जी ।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही संजीदगी के साथ मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। देश की अस्मिता, वैभव को चोट पहुंचाने वाली जो मानसिकता है, उसे रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। दिल्ली भारत का दर्पण है। दिल्ली के अंदर जहां भारत में दुनिया के देशों के दूतावास हैं। यहां सभी राज्यों के भवन हैं। दुनिया भर के डेलिगेट्स भारत में जब आते हैं, तो दिल्ली में वे भारत को देखते हैं कि दिल्ली ऐसी है तो भारत भी वैसा ही होगा। जहां

भारत को शर्मिंदगी से बचाना है, वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं, जब अनार्की वाले लोग सत्ता में बैठ जाते हैं। हम सभी ने बचपन में पढ़ा है और महाभारत पढ़ी है। महाभारत का एक श्लोक है

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।"
"परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।"

अध्यक्ष जी, महाभारत में कहा गया है कि जब-जब धरती पर अधर्म पैदा होगा, तब-तब मैं आगे आता हूं।

14.59 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: जब-जब अधर्म बढ़ता है तब मैं सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आता हूं। दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग-युग में हमेशा जन्म लेता हूं। यह हमारे महाभारत में कहा गया है।

15.00 hrs

सभापति जी, यह बिल दिल्ली में पिछले आठ वर्षों से हो रहे, अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है।

सभापति जी, महाभारत में एक चरित्र था, जिसका नाम था - दुर्योधन। आज दु:ख है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का, उसी नकारात्मक मानसिकता का एक व्यक्ति इस दिल्ली में दुर्योधन के रूप में बैठा हुआ है। फर्क इतना है कि वह दुर्योधन लम्बा-चौड़ा था, यह दुर्योधन थोड़ा बौना है। दूसरा, उसके पास शकुनि था और इस बौने दुर्योधन के पास बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी, ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं।

सभापति जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जन प्रतिनिधि के बीच तालमेल की आवश्यकता होना जरूरी है, मैं सहमत हूं जैसा कि नेता, प्रतिपक्ष ने अभी कहा है। दोनों को मिलकर जनता के काम और जनता की सेवा करनी चाहिए, यह उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, परन्तु, जब छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जन प्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं तब जनसेवा में लगे व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है।

सभापति जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता, मैंने पहले ही कहा कि यह छलिया के रूप में है। मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूं। सदन को और यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्हें अपने आप ही इनके बारे में सब पता चल जाएगा। पहला चरित्र था - विश्वासघात। अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वासघात किया, जिनके दम पर राजनीति में यह कह कर आया था कि पढ़े-लिखे लोग होने जरूरी नहीं हैं, अन्ना जी भले ही अनपढ़ हैं, लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे। यह बौने दुर्योधन ने बोला था, इसीलिए उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ किया, इन्होंने भी वही किया। दुर्योधन ने छल-कपट के साथ सत्ता हथियाई। दिल्लीवासियों के साथ छल-कपट करके, झूठे वायदे करके इस बौने दुर्योधन ने कहा कि मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। पता नहीं ये कांग्रेसी कहां सीसीटीवी कैमरे ढूँढ़ रहे हैं? यह कहा था कि मैं 500 स्कूल्स बनाऊंगा, पता नहीं कहां इन कांग्रेसियों ने 500 स्कूल्स गिन लिए? यह भी कहा था कि मैं 500 स्कूल्स के साथ 20 कॉलेजेज बनाऊंगा, दिल्ली को फ्री वाई-फाई दूंगा, दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल का जल दूंगा। इस छलिए ने छल-कपट करके यह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल लेकर आऊंगा, दो लाख पब्लिक टॉयलेट्स बनाऊंगा, 30,000 बेड्स के नए अस्पताल बनाऊंगा। आप देश की राजधानी दिल्ली में माननीय सांसद के रूप में बैठे हुए हैं, दिल्ली में कोई गिनवाकर यह बताए और यह रिपोर्ट रखे कि इस छलिए ने जो कहा था, उसमें दिल्ली का कितना विकास हुआ है।

सभापति जी, कृष्ण भगवान ने भी अहंकार में पड़े दुर्योधन को बार-बार यह कहा था कि पांडवों को पाँच ग्राम दे दो और दुर्योधन ने बोला था कि उन्हें एक सूई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। उन्हें जन प्रतिनिधि के सेवा भाव के साथ काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है - मैं दिल्ली का मालिक हूं। न खाता न बही, जो यह कहे, वह सही। वह कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, इल्लीगल काम करने के लिए, अनैतिक, असंवैधानिक काम करने के लिए। सभापति जी, यह गुंडागर्दी, दादागिरी का परिचायक बन रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक-एक करके दिल्ली में 1,000 नई बसें लानी थीं। दिल्ली की कैबिनेट ने उसका एक प्राइवेट निजी कम्पनी को अपना एप्रूवल दे दिया। ढाई हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। बस की कीमत होगी एक करोड़ रुपये और बस की मेनटेनेंस में कम्पनी को पैसे दिए जाएंगे - तीन करोड़ रुपये। उस समय जो कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट थीं, उन्होंने कहा कि इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेन्डर होगा, क्या ऐसे टेन्डर दिए जाते हैं? कमिश्नर ने मना कर दिया तो कहा कि हम कह रहे हैं, आप दे दीजिए। बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने आम आदमी पार्टी के … * उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि तुम, जाने के बाद, यह टेन्डर पास कर दो। यह ढाई हजार करोड़ रुपये का घोटाला वह करना चाहता था।

सभापति जी, अभी अधीर दादा कह रहे थे कि अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने की लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन, चीफ सेक्रेटरी को यह कहा गया कि जो हमने कहा, वह करो, वरना विधायकों को बुलाकर, इस देश के 38 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में एक उदाहरण बता दीजिए, चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए। उनके साथ बदतमीजी की गयी, गुंडागर्दी की गयी।

सभापति जी, मैं ऐसे अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता। इसी परेशानी के कारण दिल्ली के आठ अफसरों ने एल.जी. साहब को चिट्ठी लिखी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे सदन के

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

पटल पर रख दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं। लेकिन, यह कहा जाता है कि सदन में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।

सभापति जी, 2 अधिकारियों, शूरवीर और मधु प्रभना, उनका तो नाम मैं लेना चाहता हूँ, उनके परिवार पंजाब में रहते हैं। उन अधिकारियों के परिवारों को वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है। इनका इस प्रकार अहंकार है। इस बौने दुर्योधन ने, भ्रष्टचार के लिए जनता के सामने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य ले कर आऊंगा, यह दलदल है। इसी ने कहा था - सोनिया चोर है, लालू चोर है, डी.के. शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश कुमार चोर है, मुलायम सिंह चोर है, इसने सबको चोर और भ्रष्टाचारी बताया था। सर, इसी ने बताया था, हमने नहीं बताया था। सर, एज़ पर केजरीवाल ये सब चोर बैठे हैं। बाद में इन्हीं के झूले में आ कर झूलने लगा। … (व्यवधान) इससे बड़ा छलिया कौन होगा? उसने कहा था कि इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। सभापति जी, मैंने तो एज पर केजरीवाल बोला है। यह सब मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद यह दुर्योधन जा कर इन्हीं की गोद में झूल रहा है।

सभापति जी, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसके भ्रष्टाचार की सूची – लिकर स्कैम किसको नहीं पता है? उसका मंत्री जेल के अंदर है। हवाला स्कैम किसको नहीं पता है, उसका मंत्री जेल में है।

सर, अभी अधीर दादा कह रहे थे कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, उनसे एक्शन कराओ। जब उनसे एक्शन कराते हैं तो ये तिलमिलाते हैं, जैसे इनको ताते तवे पर बिठा दिया हो, आप लोग उछलते हो। जब सीबीआई से एक्शन नहीं कराते हैं, कानून बदलते हैं तो कह रहे हैं कि आप लोग कानून गलत ले कर आ रहे हो। एक ज़बान पर तो टिकिए। हाउस के अंदर कहिए कि सीबीआई और ईडी ठीक काम कर रही है। हिम्मत है तो फिर दोबारा कर के दिखाइए।

सभापति जी, सीबीआई और ईडी अपना काम करती है। 5,000 लोगों पर सीबीआई और ईडी ने रेड डाली थीं, देश का डेढ़ लाख हज़ार करोड़ रुपये रिकवर किया है। इनके 10 नेताओं पर छापा डल गया तो कहते हैं कि सीबीआई गलत कर रही है। क्योंकि यूपीए के टाइम पर इन्होंने

लाखों-करोड़ों रुपये हज़म किए हुए हैं। इनको डर है कि सीबीआई वह न पकड़ ले। कहीं मोदी साहब यह न कह दें कि वह ढाई लाख करोड़ रुपये भी ले कर आओ, जिसके बारे में अभी माननीय गृह मंत्री जी ने हवाला दिया था।

सर, अब मैं आगे बताता हूँ कि स्कूल के रूम्स बनाने के लिए कमरों के कंस्ट्रक्शन का घोटाला किया गया। जल बोर्ड के अदंर 8 साल तक ऑडिट नहीं हुआ है। जल बोर्ड आज लाखों-करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है। इस प्रकार से दिल्ली में शासन चल रहा है। बिजली के अंदर, बिजली कंपनियों ने दावा किया कि हमारे 26,000 करोड़ रुपये चाहिए। बिजली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही है। मैं उन कंपनियों की वकालत नहीं कर रहा हूँ। वे भी …* हैं। लेकिन किसके नीचे? पहले शीला दीक्षित …* थीं, अब यह बौना दुर्योधन …* आ गया । इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। … (व्यवधान) सर, कर दो, एक्सपंज कर दो। … (व्यवधान) उस 26,000 करोड़ रुपये की लेनदारी के लिए कंपनियां APTEL कोर्ट में गईं APTEL कोर्ट ने कंपनियों के फेवर में आदेश दिया कि सरकार इनका पैसा लौटाए। सर, 26,000 करोड़ रुपये का मतलब है, दिल्ली सरकार का बजट 68,000 करोड़ रुपये का है, उस हिसाब से ये 26,000 करोड़ रुपये दिल्ली के बजट के एक तिहाई होते हैं। क्या होगा, जब यह बौना दुर्योधन छोड़ कर भागेगा, तब उन कंपनियों के पैसे को कौन भरेगा? उन कंपनियों के पैसे को कौन भरेगा? ये कंपनियां अगर दिल्ली छोड़ कर भाग गईं तो दिल्ली अंधेरे में हो जाएगी। सर, कौन संभालेगा, यह प्राइवेट कंपनी है। उसके खिलाफ इस बौने दुर्योधन ने करोड़ों रुपये का वकील कर APTEL कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। डीटीसी का स्कैम आपके सामने है। जो कहता था कि मुलायम सिंह यादव परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है, वहीं इसने अपने साढ़ू को पीडब्ल्यूडी के अंदर 10 करोड़ रुपये का ठेका बिना डीपीआर के दिलावाया है। उस साढ़ू ने, बेचारे ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया। इस बात को शायद देश नहीं जानता होगा। … (व्यवधान)

---

* Not recorded

सर, इसने कहा कि लालू पारिवारवादी है, मुलायम सिंह परिवारवादी है, सोनिया जी परिवारवादी है और आज सारे लोग उसी के पिछलग्गू बने हुए हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है? पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। … (व्यवधान) सर, आप नेताओं के परिवार वालों को पिछले दरवाज़े से, जो इनके विधायक हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, उनके चहेतों को डेढ़ से ढाई लाख रुपये दिए गए। कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई किसी प्रकार का रिज़र्वेशन नहीं, 437 लोगों को ओबीसी रिज़र्वेशन के नाम से 2,000 करोड़ रुपये की बंदरबांट की, जो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, यहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकता, टेबल जरूर करूंगा। इनके खानदानों के लोगों को डेढ़ लाख से ढाई लाख रुपये तक की नौकरी दे कर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। यह 2,000 करोड़ रुपये, इन आदमी पार्टी के विधायकों के बेटी, बेटा, बहु, मौसी, फूफी, चाची, ताई आदि को बांटा जाता है। इसीलिए, इस बारे में जो ये अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, असल में ये बंदरबांट करने का काम कर रहे हैं।

सर, दुर्योधन कायर था, वह लड़ाई नहीं लड़ सकता था। वह शकुनी के माध्यम से चाले चलता था। क्या दुनिया में ऐसा कोई मुख्यमंत्री है, क्या भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री है, जिसके पास एक भी विभाग नहीं है? इसके पास कोई भी विभाग नहीं है। यह इतना कायर है कि अपने ऑफिसरों से साइन कराता है। ऑफिसर मरने के लिए क्यों साइन करेंगे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं साइन करेगा? वह अपने मंत्रियों से साइन कराएगा। उसने अपने दो मंत्रियों को जेल भेज दिया है। क्या यह लीगल है? वह उनसे साइन करवाएगा। इससे बड़ा कायर कौन होगा? जो आदमी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, अगर परिवार का कोई सदस्य अपनी जिम्मेवारी से भागे तो क्या उससे बड़ा नालायक कोई परिवार का मुखिया होगा? वह परिवार की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा कायर कौन हो सकता है? अगर ऐसा कायर व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो यहां का प्रशासन कैसे चलेगा? दिल्ली देश की राजधानी है। सर, 2-जी स्पेक्ट्रम के अंदर गेम चल रहा था। 2-जी स्पेक्ट्रम के दौरान अगर भारत की अस्मिता लूटेगी, तो भारत बदनाम होगा। इनकी एक मंत्री विदेश में गई है। वह एक प्राइवेट प्रोफेसर की कॉल पर गई और यहां मैसेज दिया कि उनको कैम्ब्रिज

यूनिवर्सिटी ने बुलाया है। इनकी मंत्री राहुल बाबा की तरह वहां जाकर कहती है कि दिल्ली में पाँच करोड़ लोग भूखे सोते हैं। उनको पता नहीं, क्या पंजाब से अफीम खाकर लोग सोते हैं? मोदी जी के माध्यम से विगत तीन सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। वह कह रहे हैं कि पाँच करोड़ लोग भूखे सोते हैं। 25 करोड़ लोगों के पास मकान नहीं है।… (व्यवधान)

सर, यह भी रफ्फूगर है। इसके माँ-बाप ने कहीं इसकी फूफी को नौकरी लगा दिया होगा।… (व्यवधान) इसके भी माँ- बाप ने कहीं न कहीं फूफी को नौकरी दे दी होगी।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, जब आपको अवसर मिलेगा तो आप भी बोलिएगा।

… (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं।… (व्यवधान) मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। यह नकारात्मक सोच और शिक्षा की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। भाटी के अंदर कॉलेज खुलना था, उसके लिए आठ एकड़ जमीन चाहिए थी। इसकी डीएम बोलती है कि बिधूड़ी से जमीन ले लीजिए। मैंने कहा कि बिधूड़ी अपने घर के लिए जमीन नहीं मांग रहा है। वहां दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलेगा। उन्होंने मिनट्स में लिखा है। डीएम मिनट्स में लिख कर चली गई कि बिधूड़ी जी को जमीन नहीं देने वाले हैं। ऑनरेबल एल.जी. के पास मुझे कितना भागना पड़ा। एल.जी. साहब को उस लैंड को पहले अर्बनाइज कराना पड़ा, तब वहां जमीन दी गई। क्या दिल्ली के गरीब बच्चे-बच्चियों के पढ़ने के लिए दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं खुलना चाहिए? इसने कहा कि 20 कॉलेज खोलूंगा, लेकिन नकारात्मक सोच के कारण इसने एक कॉलेज की भी इजाजत नहीं दी। मैं बता देना चाहता हूं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रोना रो रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफ की जा रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास 13 हजार करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए हैं, लेकिन रैपिड रेल के लिए 450 करोड़ रुपये नहीं हैं, जिससे दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक रैपिड रेल का संचालन हो। यह किसने टिप्पणी की है? यह टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट की यह बात भी तुम्हें याद करनी

चाहिए। इस बारे में भी बौने दुर्योधन को बताना चाहिए। इसने 13 हजार करोड़ रुपये विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर लगा दिया, लेकिन 450 करोड़ रुपये रैपिड रेल के डीपीआर के लिए नहीं दिये।

सर, दिल्ली में वर्ष 2018 में 'आयुष्मान भारत योजना' को रोक दिया गया। यह उसकी नकारात्मक सोच थी। पूरे देश में गरीबों के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' चल रही है। बीजू पटनायक जी ने अपनी योजना चला रखी है। सभी सरकारों ने अपनी योजना चला रखी है। दिल्ली के अंदर गरीब का बेटा, माँ, बहन, बहू बगैर इलाज के जीवन न खो दें, इसलिए यहां के लोगों को भी इस योजना का लाभ देना चाहिए। दिल्ली में 'आयुष्मान भारत योजना' आज तक इस बौने दुर्योधन ने लागू नहीं की। दिल्लीवासियों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया है। इनकी दुश्मनी बी.जे.पी. से हो सकती है, लेकिन दिल्ली की ढाई करोड़ लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है? मोदी साहब ने गरीबों के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' दी। इस योजना को दिल्ली में आज तक लागू नहीं किया गया। इसलिए, मैं नकारात्मक सोच की बात बता रहा हूं। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर बाहर से विदेशी डेलीगेट्स आते हैं, लेकिन यह बौना दुर्योधन 26 जनवरी को राजपथ पर धरने पर बैठ गया। क्या कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठता है? ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। ये लोग केजरीवाल के पास जाकर पूछें कि देश बड़ा है या बौना दुर्योधन बड़ा है। इन लोगों को उनसे पूछना चाहिए। इनके एक मंत्री ने लंदन में जाकर भाषण दिया है। इसके बारे में मैंने पहले कहा है। अभी अधीर दादा बोल रहे थे। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। अगर जवाहर लाल नेहरु ने बहुत अच्छा किया था तो मणिपुर क्यों जल रहा था? वर्ष 1993 में इसी मणिपुर में 9 महीने तक दंगे हुए और 750 लोगों की हत्याएं हुईं, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने झांका भी नहीं। हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री साहब ने 2 महीने में दंगों को रोक कर देश को एक संदेश दिया है।

ऐसा अब नहीं चलेगा। आपने मणिपुर के बारे में बोला था। क्या कश्मीर की माताओं-बहनों का दर्द याद नहीं है? यह कौन लेकर आया था? कौन देश को चला रहा था? नेहरू जी, पंडित जी ही चला रहे थे। कश्मीर के अन्दर कितने हिन्दुओं को बेघर कर दिया, कितनी माताओं-बहनों की

अस्मितायें लूटी गईं, यह किसने किया? नेहरू जी के कारण देश बर्बाद हुआ। अधीर दादा, मणिपुर की डेढ़ सौ, ढाई सौ मौतें नहीं होनी चाहिए थी - यह शर्मनाक है, लेकिन साढ़े सात सौ मौतें हुईं तो कांग्रेस के राज्य में हुईं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Chairman Sir, for giving us an opportunity to speak on this Bill.

Firstly, I would like to thank the Speaker. It was nice to see the Speaker come to the House. The Speaker had made a request to all the Opposition Leaders, and we have behaved well. All we asked the Speaker was that he should be neutral. Although, he is elected from the BJP, but the moment he sits in the Chair he becomes a neutral person and all we wanted was the Prime Minister to be present in the House not only in this Session, but in the previous Session also when we wanted to speak about the Adani issue. The Prime Minister does not come here. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: He spoke so many things. … (*Interruptions*) Even this time, all we asked was about Manipur. … (*Interruptions*) When you are speaking about G20, Vasudhaiva Kutumbakam -- the whole world is one family, and one part of Manipur is burning and so many people are dying; two women were raped and made to walk nude, all we wanted was the Prime Minister to … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: उसके बारे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: It is related to this. … (*Interruptions*) All we wanted was instead of talking outside the Parliament for him to come into the House, sit in his Chair and answer the question. … (*Interruptions*) This is what we asked. … (*Interruptions*) We never asked anything. … (*Interruptions*) The Speaker should have done it. … (*Interruptions*) The House would have run peacefully, and we would have had more productive conversation in this House. … (*Interruptions*)

Sir, the cat is out of the bag. When our hon. Home Minister said that the Aam Aadmi Government wants to fight, we understand it. For the last 25 years you could not rule Delhi. The frustration is burning in your stomach. … (*Interruptions*) And moreover, now the Aam Aadmi Party is ruling Punjab. How can that happen? … (*Interruptions*) Now, you have to use your friends or your alliance. It is not this alliance, but your ...*, the ...*, the ...*. These are your allies whom you use. … (*Interruptions*)

Sir, I am asking this. What did the Supreme Court say? The Supreme Court said in its judgement that: "… handed over the control of services in Delhi, excluding police, public order and land to the elected Government". Sir, this is a Government elected by the people not once but twice it has been elected. But what do you want to do, you cannot do it. What is your formula? The formula followed by the Home Minister is simple -- wherever BJP cannot win, we will send the ... *, we will send the ... * and ensure all the ... * come to him. … (*Interruptions*) Till then, they are culprits and thieves. … (*Interruptions*)

---

* Expunged as ordered by the Chair

This is what happened in Maharashtra. The NCP – the National ... * Party, that is what their Members have said. In fact, the local BJP leader said that never ever we will have an alliance with NCP. … (*Interruptions*) But when it suited you, you arrested the Ministers whoever are coming in your Cabinet now. They were all arrested on ED charges. They were facing charges and languishing in the prison. But your 'washing machine' and 'nirma' changes all that. The moment they come to you, they become pure. … (*Interruptions*) What formula is that? It is not the peoples' verdict. It is the forced verdict where you are forcing a verdict. And what you did wherever you cannot? What did you do in Madhya Pradesh? You ensured that the Congress MLAs were ....* This is what you were doing throughout. What did you do in Karnataka previously? You ... * the MLAs. I do not know where that money is coming from? … (*Interruptions*) You call yourself not to be corrupt, but where do you get this? … (*Interruptions*) So, all that I am asking is this. … (*Interruptions*) The truth hurts. … (*Interruptions*) When I talk the truth, it hurts. … (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): इनको बिल पर ही बोलना चाहिए।…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; **कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):** इनको बिल पर ही बोलना चाहिए । … (व्यवधान) Sir, he has to talk on the Bill. … (*Interruptions*) तमिलनाडु में क्या हो रहा है? वह भी थोड़ा बोलिए। … (व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DAYANIDHI MARAN: I rise to speak and present myself. DMK stands against the proposed Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. … (*Interruptions*)

Sir, why did you go to the Supreme Court? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: एक सेकेंड रुक जाइए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): पॉइंट ऑफ आर्डर 369, which states that: "A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the member presenting it".

ये जो बोल रहे हैं कि कर्नाटक में हमने खरीद लिया, मध्य प्रदेश में खरीद लिया, इनको आथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी ये बोलेंगे, नहीं तो इसको एक्सपंज कीजिए। … (व्यवधान) यह गलत है।…(व्यवधान) इतना बड़ा एलीगेशन ये कैसे लगा सकते हैं?… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है। एक्सपंज करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसा कोई आरोप मत लगाइए, जिसे हम सिद्ध न कर सकें।

… (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, the same Government, your Government, went to the Supreme Court and the Supreme Court said that you cannot extend the term of the Enforcement Director more than twice. July 31st was the last date. But you had it back. You said that the administrative power is so important and he is the only man who can deliver FATF and you got the extension from the Supreme Court. That means you know the importance of

administration and the administration is in control of the elected Government. It should not be a puppet in your hands. You cannot take it.

The Supreme Court was very, very clear, that the services should come. Now, what have they done? The very fact is that immediately after the Supreme Court gave a ruling, the Government brought an Ordinance. We agree with you. Parliament is the utmost authority for making laws and that is the reason we are called lawmakers. But when any laws are made here, you should make sure that we have the right to speak and if you are bringing the wrong law, we have to say you are bringing a wrong law. Here, your intensions are very clear. Your intention is to control the Delhi Government. Why is that that you want to extend the term of the Director? One of your Members spoke that none of the promises made by Aam Admi Party has been delivered. How can it be delivered? You always trifle the officers. You never allow the officers to function. How can the officers function? How can they deliver? It is because you want to use this as an election platform to say that this Government cannot deliver. This is not the way to do it.

Please do not talk about alliances. In Tamil, they say "*Sattan Vedam Odhugiradhu*". You have gone into unholy alliances. You take care of your family and your party. We know how to take care of our alliance party and INDIA is very strong.

In 2024, you might be here and we will be there. Whatever you are abusing, we will not abuse. We will make sure that the CBI, ED and Income Tax Department behave properly and do their jobs properly unlike you do.

Whatever you are doing, we will do it rightly and time will see who has the last laugh.

The question which comes here is that, in this law which the Government is bringing, the Supreme Court said that it has to be ensured that section 3(a) does not prevail. I also would like to know why we are bringing it. The hon. Home Minister said, "the proposed Act mandates creation of a three-member committee" and basically he wants to say that they are bringing this law because Delhi is a very, very important part of the country. Delhi is the heart of the country. All the foreign countries have their embassies here. Security is very important. The Government has to ensure that the local Government does not disturb it. Anyway, the National Capital Territory's security is with you. Who is in charge of the security of the National Capital Territory? It is the Home Ministry, not the State Government. Why is it that I do not understand? If something wrong is happening in law and order, you are responsible. Nobody else is responsible. Do not try to shy away from your responsibility. If rape is happening in Delhi, it is you because your law and order is weak. If dacoity is happening in Delhi, it is because your law and order is not good.

They have formed a committee now which consists of the Chief Secretary, the Principal Home Secretary, and the Chief Minister. Out of the three members, two members are appointed by them. The quorum is only two. Tomorrow, if the Chief Minister is travelling or he is abroad, these two members will decide which officer can work with them. Even if the three of

them sit together and by some miracle, they come to a conclusion, the decision can be overruled by the Government. What is the point? You are saying that you are giving powers, but you are not giving powers actually. You are giving a lollipop, making sure that the kid stops crying, and then taking back the lollipop. That is what you are doing.

Let me say, in the last nine years, you are making ... *.. out of the Governors and Lieutenant Governors … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. These words will not go on record.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: ऐसे शब्द नहीं जाएंगे।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: वह बिल पर बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। … (व्यवधान) पहले जो चाहते हैं, वही सुनाते हैं। … (व्यवधान) जब चर्चा करते हैं तब इल्लोजिकल बोलते हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude your speech.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: बालू जी, आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बहुत जानकार हैं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay, I have taken note of that.

… (*Interruptions*)

* Expunged as ordered by the Chair

डॉ. निशिकांत दुबे: यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।… (व्यवधान) आप इनसे माफी मंगवाइए। … (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: प्वाइंट ऑफ आर्डर रेज़ कर रहे हैं।। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर 352(5) पर है। … (व्यवधान) बहुत घटिया बात बोली है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।

… (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Okay, Sir. But the constitutional heads which are being appointed by the Union Home Ministry are becoming more dangerous for the development of every State … (*Interruptions*)… This is not only for West Bengal, not for Tamil Nadu … (*Interruptions*)…

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I tell you that in my own State … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I am the only speaker from my Party. You cannot … (*Interruptions*).. Do not ... * … me … (*Interruptions*)…* … … (*Interruptions*)…

---

* Expunged as ordered by the Chair

श्री प्रहलाद जोशी: चेयर को एक्यूज कर रहे हैं… … (व्यवधान).. Sir, he should withdraw his words. … (*Interruptions*). You cannot do like this. … (*Interruptions*)… Sir, he is accusing the *Chair*. चेयर को एक्यूज कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए । … (व्यवधान).. He should apologize … (*Interruptions*)…

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, right from day one, DMK has been against the appointment of Governors. … (*Interruptions*).. We have been very clearly saying that no State needs a Governor … (*Interruptions*)… Sir, our founder, Shri Annadurai had said that as much a goat does not need a beard so does the State Government does not need a Governor. … (*Interruptions*).. Further, I would like to say 13 Bills are sitting idle in the Governor's chambers. … (*Interruptions*).. For what reasons? No one knows. But whereas the Governor has the luxury … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: यह कैसी बात कर रहे हैं? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़, आप बैठिए।

… (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: I said nothing wrong … (*Interruptions*)… When I can speak about Prime Minister, when I can speak about Home Minister, I can say … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech now.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your time is already over.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Dayanidhi Maran, your time is over. The prescribed time has already been taken by him.

… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, let me complete. … (*Interruptions*)…

HON. CHAIRPERSON: You have to conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, let me conclude. … (*Interruptions*). I cannot say Prime Minister; I cannot say President; I cannot say Home Minister. … (*Interruptions*).. Let me conclude.

HON. CHAIRPERSON: You know what to speak and what not to speak. You already know that.

… (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, by keeping more than 13 Bills pending … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, he should speak on the Bill. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay.

Shri Kalyan Banerjee Ji

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I have not concluded. … (*Interruptions*)..

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee Ji.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your time is already over.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House cannot function in this way.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee Ji

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I told you so many times to conclude the speech.

… (*Interruptions*)..

HON. CHAIRPERSON: No. Shri Kalyan Banerjee Ji

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, let me conclude. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. It is done already.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Kalyan Banerjee.

… (*Interruptions*) …*

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, on behalf of my Party, I am strongly opposing the present Bill, The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. … (*Interruptions*)… Allow me to speak. … (*Interruptions*)…

15.29 hrs

At this stage, Shri T.R. Baalu, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members left the House.

---

* Not recorded

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, it is apparent from the speech of the hon. Home Minister that it is a targeted legislation and this targeted legislation has been made to whittle down the powers of the present State Government elected by the people of Delhi.

It is a malicious legislation now. It is very clear from the speech of the hon. Home Minister. Our Constitution does not permit any targeted legislation or any malicious legislation. This is bad. This cannot be done for whittling down the power. I would like to quote an important sentence from the Statement of Objects and Reasons of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act. It reads: "The Committee went into the matter in great detail and considered the issues after holding discussions with various individuals, associations, political parties and other experts and taking into account the arrangements in the national Capitals of other countries with a federal set-up and also the debates in the Constituent Assembly as also the reports by earlier Committees and Commissions." This is one of the objects. The Sixty-ninth Amendment of the Constitution has an important consequence for the special status of Delhi as the National Capital Territory.

It emerges from all the speeches of Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly that India adopted a federal model in which the Union and the States were meant to operate within their assigned legislative domains. The States are not subservient to the Union. The majority of the 2018 Constitutional Bench judgement held that while NCTD could not be accorded the status of a

State, the concept of federalism would still be applicable to NCTD. Therefore, the concept of federalism, structure of federalism as applicable to all the States is applicable to Delhi also. The Constitution Bench judgement itself says so.

Let me talk about the most crucial things of the Bill which are really violative. Many points have been raised and I am not going to repeat them. I will speak about power and impinging provisions of this legislation. Power has been taken; total control has been taken by the Central Government. As we know, all IAS officers are appointed by the Central Government now under this Bill. The Chief Secretary will be appointed by the Central Government. He will be a man of the Central Government.

Clause 45E talks about the Authority which is called the National Capital Civil Service Authority. Who will be its Members? The Chief Minister will be a Member; the Chief Secretary will be a Member; the Home Secretary will be a Member. Decisions will be taken on the basis of majority of votes of the Members. Therefore, who is indirectly, really having the control? The Central Government is having the control. Does it not destroy the concept of federalism itself? Is it not against the wishes of the people of Delhi?

The hon. Home Minister spoke about 2015. All right! If in 2015 they had done wrong things, if they had committed illegal things, why was the same Party has been elected by the people of Delhi a second time? In a democracy, people's verdict is final; people's mandate has to be accepted. If the Central Government makes an allegation or anyone makes an allegation against anybody, and if people say that someone is correct and he should govern

them, the Central Government should hear the voice and wishes of the people. That has not been taken care of. Therefore, you are taking away absolute power. You need all powers. You say, "I, the Central Government will decide". Everything will be decided by them. Who are sitting in the Authority? It is the Chief Minister, the Cabinet Secretary and the Secretary. Correct? What is fundamental to democracy? Regarding fundamentals of democracy, there are triple chains. The first chain is that the civil service officers are accountable to Ministers.

The second chain is that the Ministers are accountable to the Parliament and Legislatures. The third chain is that the Parliament and Legislatures are accountable to the electorates. This is a chain. This is a Parliamentary Democracy. How can you say that a Minister who is answerable under our Parliamentary system, is equated with the Chief Minister or any other Minister in a statute? In a statute, how can it be possible? It destroys the fundamentals of democracy itself.

Hon. Chairperson, Sir, the judgment in the Government of NCT of Delhi *versus* the Union of India, in Civil Appeal No. 2357 of 2017, was delivered by the hon. Supreme Court of India on 11th May, 2023. It has been referred by the hon. Home Minister. The hon. Minister has referred to two or three paragraphs. I will request him to also read paragraph no. 117 of the said judgment, which is laid down in the law. I quote it:

> "An unaccountable and a non-responsive civil service may pose a serious problem of governance in a democracy. It creates a

possibility that the permanent executive, consisting of unelected civil service officers, who play a decisive role in the implementation of Government policy, may act in ways that disregard the will of the electorate."

Hon. Chairperson, Sir, which one is important? It is not important that the Central Government is having the power. It is also not important that the State Government is having the power. The important thing is the will of the electorate. The will of the electorate has elected the State Government. The will of the electorate has defeated the Ruling Party at the Centre in Delhi. That has to be accepted. The will of the electorate shall be implemented by all the Civil Servants. That is what you are destroying.

In a democratic form of Government, the real power of administration must reside in the elected arm of the State and the elected Government needs to have control over its administration. These are not my words. Let me say it very frankly that these are the words of the Five Judges' judgment of the hon. Supreme Court. If a democratically-elected Government is not provided with the power to control the Officers posted within its domain, then the principle underlying the triple-chain of collective responsibility would become redundant.

In paragraph no. 121, it has been said by the hon. Supreme Court in the 11th May judgment that Article 239AA, which conferred a special status to NCTD and constitutionally entrenched a representative form of Government, was incorporated in the Constitution in the spirit of federalism, with the aim that the residents of the capital city must have a voice in how they are to be

governed. It is the responsibility of the Government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who have elected it. I pause here to ask a question. Who is bound by it? The State or the Centre? It is the State who is bound by it. The State has to give an explanation. If anything happens, who will give the answer? They are answerable to the State Legislature. They are not answerable to this Parliament at all. Therefore, it is destroying the power itself.

It has also been said, 'Therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over 'services', subject to exclusion of subjects which are out of its legislative domain -- subjects like, land, police, etc. have already been mentioned. If services are excluded from its legislative and executive domains, the ministers and the executive who are charged with formulating policies in the territory of NCTD would be excluded from controlling the Civil Service Officers who implement such executive decisions'. This Bill destroys the concept of federalism itself in NCTD.

Hon. Chairperson, Sir, I have quoted what Dr. Ambedkar has said. In status, a State is not inferior to the Central Government.

No. Periphery may be different. But they are not subsumed into the Central Government. Therefore, this Bill is destroying the federal character. It is not that today AAP is here in Delhi, BJP is at the Centre and the Congress is there or not. It is not that. Five years or seven years or ten years are not important for the country. What we do now here will have an impact after 25 years. Our next generations will question as to what their previous generations

have done. Do you want to destroy the federal character of this country? That is an important question today I want to pose.

Why are Governors so active in non-BJP ruled States? Why are Governors not active in BJP ruled States? Why is Governor acting in contravention of Articles 162 and 163 of the Constitution?

Sir, I will tell you about these provisions under Article 361, that is Protection of Presidents and Governors and Rajpramukhs. These are given in the Constitution. The makers of our Constitution never thought that a regime will come in which the Governors appointed by the Central Government would violate the Constitution in States where the ruling party of the Central Government would not be there. The makers of the Constitution would not have given the protection to the Governors that no case can be initiated against them. They are taking advantage of that. They are absolutely taking advantage of that because no case can be initiated against them. In every non-BJP ruled State, it is happening. In a non-BJP ruled State, the Ruling Government, this Government, is sending the Chairperson of the National Commission for Women, they are sending the Chairperson of Human Rights Commission. Why is the Chairperson of the National Commission for Women, why is the Chairperson of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Commission, why is the Chairman of the Human Rights Commission did not get any time in the last four months to visit Manipur? What were these Chairpersons doing when these kinds of offences occurred? … (*Interruptions*)…

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, वे वहां होकर आए हैं।…(व्यवधान) कल्याण बाबू, वे होकर आए हैं। मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जानकारी के साथ बात करिए।…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Since they are saying, let me tell you in this House itself.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE: I will conclude. I said that in non-BJP ruled States, the Governors are acting beyond the Constitution. … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Rule 352 says that a Member while speaking shall not reflect upon conduct of the persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms.

The Governor is in the high office. That should be expunged and he should be asked not to talk about the conduct of the Governors.

HON. CHAIRPERSON: Kalyan *da*, you know all these things.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I am not using the word. I am using the expression. Why a person appointed under Article 153 of the Constitution of India can act in complete breach of the Constitution? Why the Chairperson of the National Commission of Women have not gone to Manipur?

Sir, I will tell you. Kindly allow me to use this expression. I have said that it happened in a non-BJP ruled State but I must say with honesty. Let me be candid before you.

I have seen one Governor, that is, the Governor of Manipur.

HON. CHAIRPERSON: Again, you are quoting. Why are you quoting?

… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, do not allow such things. He is going into the conduct of the Governor. The Rule is very clear.

माननीय सभापति: कल्याण दा, आप इन बातों को जानते हैं।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I am not criticising her conduct. Kindly hear me. I am praising her conduct. … (*Interruptions*) I am praising her conduct.

माननीय सभापति: रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

SHRI PRALHAD JOSHI: Then we will have to say what has happened in West Bengal…… (*Interruptions*) We will discuss it.

SHRI KALYAN BANERJEE: Then, I must say that one person appointed by the Central Government under Article 153 of the Constitution of India is really acting at Manipur. … (*Interruptions*) Our team went there. She has said it to us very clearly that the Chief Minister of the BJP Government is not…… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Shri Midhun Reddy.

… (*Interruptions*) … *

माननीय सभापति: रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)…*

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, then we have to discuss about West Bengal also. वेस्ट बंगाल में इन लोगों ने महिला के ऊपर जो अत्याचार किया है, हम उसकी भी चर्चा इसी बिल में करना चाहते हैं। … (व्यवधान)

---

* Not recorded

SHRI KALYAN BANERJEE: Sometimes you should have some degree of tolerance, Sometimes, you should have patience. This is the reason due to which the whole of India is burning. … (*Interruptions*) It is due to your non-tolerance and arrogant attitude. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Midhun Reddy, आप बोलिए। उनका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

… (*Interruptions*) … *

माननीय सभापति: बैठ जाइए। आप भी कृपया बैठ जाइए।

… (*Interruptions*) … *

माननीय सभापति: आप भी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record. Only the speech of Shri Midhun Reddy will go on record.

… (Interruptions) … *

माननीय सभापति: मिथुन जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा का समय बीएसी द्वारा निर्धारित होता है। इसमें चर्चा का समय तीन घण्टे निर्धारित है। आप इस बात को जानते हैं कि उसी के अनुसार समय का विभाजन होता है, समय का अलॉटमेंट होता है। अगर एक-दो मिनट नीचे ऊपर नीचे होता है तो चेयर भी इस बात की चिंता करती है। यदि आप समय-सीमा का बहुत अधिक अतिक्रमण करेंगे तो उसको व्यवस्थित करना मुश्किल होता है।

… (व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय सभापति: मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं। कृपा करके जो समय आपको अलॉटेड है, कभी भी घण्टी उससे पहले नहीं hrsगी। अगर घण्टी बजती है तो within a minute or so, you should conclude your speech.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिए तो सही।

… (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): वह तो गवर्नर की तारीफ कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, आप बैठिए । जो कॉन्स्टीट्यूशनल ऑफिसेस हैं, उन पर कहने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, I thank you for letting me speak on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023.

Sir, I would like to be very brief as this Bill is not related to our State. This is a unique Bill as both the Central and the Delhi Governments are stakeholders in this Bill.

The Central Government, as we all know, operates from Delhi and Delhi is a Union Territory with an elected Assembly. The foundation of the discussion lies in Article 239AA of the Constitution which grants special status to Delhi as a Union Territory with a Legislative Assembly and a Council of Ministers headed by a Chief Minister. The Legislative Assembly possesses the authority to make laws on matters within the State and Concurrent Lists except for those explicitly excluded by the Constitution. However, the Ordinance aims to restore certain powers to the Lieutenant Governor. The

Ordinance also appears to be within the scope of the review of the Supreme Court's judgement.

While the Court recognised the Delhi Government's legislative and executive powers over services, it did not explicitly prevent Parliament from legislating on the same subject. In fact, Article 239AA of the Constitution grants Parliament the authority to pass laws related to services, even though they fall under the exclusive competence of the States.

Sir, I would like to be very brief, as I have already said. I request the Government to take all the stakeholders into consideration and with these words, I also have a request to make.

This is a unique Bill. I hope that this Bill is not replicated for other States.

With these words, the YSR Congress Party supports this Bill. … (*Interruptions*) I asked them to mind their own business… (*Interruptions*)

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय जी, संविधान का अनुच्छेद 239एए दिल्ली विधान सभा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे कुछ विषयों को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद दिल्ली के संबंध में राज्य सूची के तहत विषयों पर भी कानून बना सकती है और ये कानून राज्य कानूनों के प्रतिकूल होने की स्थिति में मान्य होंगे। सभापति महोदय जी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। संविधान में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रतिकूल

स्थिति में दिल्ली में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बना सकती है। दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि केन्द्र सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अध्यादेश को लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार द्वारा तुरंत अधिकरियों के तबादले किए गए, आधी रात को कार्यालय खोले गए और भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलों को नष्ट किया गया। अगर दिल्ली सरकार इतनी साफ-सुथरी होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद तबादले नहीं करती और न ही आधी रात को कार्यालय खोलती।

सभापति महोदय जी, यह सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति क्यों आई? पिछले कुछ सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। जैसे कि सीसीटीवी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बिजली घोटाला, परिवहन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता इत्यादि। वहीं दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रही थी और मनमाने तरीके से उनका ट्रांसफर कर रही थी, जिससे अधिकारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। दिल्ली न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि यह देश की राजधानी भी है। इसलिए दिल्ली सरकार के इन कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह किसी से छिपा नहीं है कि दिल्ली सरकार के एक उप मुख्यमंत्री जेल में हैं और एक मंत्री हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। जो लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर दिल्ली में सत्ता में आए थे और बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। दिल्ली के मुख्य मंत्री कहा करते थे कि अगर सत्ता में आए तो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे और न सिक्योरिटी लेंगे। जनता के आम आदमी हैं और आम आदमियों की तरह ही रहेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही एकदम बदल गए। उन्होंने गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया और सुरक्षा भी ली। और तो और, पंजाब में सत्ता में आने के बाद पंजाब से भी सिक्योरिटी ली।

सभापति महोदय जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शराब लाइसेंस नीति निजी लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसका अर्थ है –

व्यापारियों से रिश्वत कमाना। यह बात जगजाहिर है कि जो मुख्यमंत्री कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, वह बंगला भी लेता है और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाब बनाकर उस बंगले की मरम्मत के नाम पर 53 करोड़ रुपये खर्च करता है। विदेशों से मार्बल मंगवाया जाता है और 9-9 लाख रुपये का एक-एक पर्दा लगाया जाता है।

सभापति महोदय जी, निर्माण कार्य की प्रारंभिक लागत 15-20 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और रिपोर्ट के अनुसार, अब तक लगभग 53 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो प्रारंभिक अनुमान से 3 गुना से अधिक है। यह एमपीडी-2021 का घोर उल्लंघन हुआ। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग पानी पी-पी कर दिल्ली के मुख्य मंत्री को उसके द्वारा किए गए घोटालों के लिए कोसते थे, आज वही लोग दिल्ली के मुख्य मंत्री के घोटालों में उसका साथ दे रहे हैं। आए दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साथी दिल्ली के मुख्य मंत्री के द्वारा किए भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे तो क्या यह केवल जनता को गुमराह करने के लिए थे या फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के मुख्य मंत्री से सांठगांठ कर ली है? ये लोग सत्ता के लिए देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश की सत्ता चाहिए। इसलिए वह जिन लोगों को भ्रष्टाचार के लिए कोसते थे, आज उनके साथ गठबंधन बना रहे हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए, आप सरकार के भ्रष्टाचार को किसी हद तक रोकने और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता हुई। अत: केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान सम्मत यह बिल संसद में लाना पड़ा। सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पास करने में सहयोग करें।

धन्यवाद ।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति महोदय, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली टेरिटोरी (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ पैरा का भी उल्लेख किया है। शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में

संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत की। उन्होंने कई प्रावधान, पैरा पढ़े। उनकी सुविधा के मुताबिक जो उनको सूट करता था, वह पैरा उन्होंने पढ़ा। उन्होंने पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है, लेकिन आपको बैक डोर से शासन करना है। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है। आप 19 मई को अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पीटिशन फाइल करते हैं। क्या यह लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, ऐसे ही आप लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, लोकतंत्र लोक-लाज से चलता है। इस सरकार ने सारे लोक-लाज को ताखे पर रख दिया और डूबो कर दिल्ली में शासन करना चाहती है। आप बैक डोर से शासन करना चाहते हैं! अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार वर्ष 2015 में ऐसे ही बन गई, जो भ्रष्टाचार के मामले में, जिसका काम सेवा करना नहीं है। अरे! दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है या नहीं कर रही है, यह फैसला करने का अधिकार दिल्ली की जनता को है। आप कैसे यहां बैठ कर फैसला कर सकते हैं? आपको यहां फैसला करने के लिए कौन अधिकार दिया है? आप भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप तीन सीट्स पर सिमट जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दिल्ली में जो सरकार है, वह सेवा का काम ही नहीं कर रही है। आप कौन-से काम की व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली की एमसीडी, सभी को मिला कर एक एमसीडी किया, तो आपका क्या हश्र हुआ? आप दिल्ली की एमसीडी के चुनाव में भी हार गए। फिर भी, आप बोलने में बाज नहीं आ रहे हैं। जब आप लोक-लाज ताखे पर रख दीजिएगा, तो यही होगा। चूंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक पैरा पढ़ना चाहते हैं। कई पैराज को यहां पढ़ा गया है।

कल्याण बनर्जी साहब एवं अन्य लोगों ने भी कहा है। फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है। यह संघीय ढांचा पर आघात है, जो आपने ऑर्डिनेंस, बिल लाया है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

सभापति महोदय, मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा 162 की चार लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "162. We reiterate that in light of Article 239AA and the 2018 Constitution Bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters within the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over "services" (excluding 'public order', 'police', and 'land') under Entry 41 in List II, the Lieutenant Governor shall be bound by the decisions of GNCTD on services, as explained above. To clarify, any reference to "Lieutenant Governor" over services (excluding services related to 'public order', 'police' and 'land') in relevant Rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD."

16.00 hrs

सुप्रीम कोर्ट ने सारा स्पष्ट कर दिया है तो फिर आपको अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप क्यों इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी। जब आपने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, तो आप रिव्यू पिटिशन का इंतजार करते कि रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन आपने इंतजार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है और आप 19 तारीख को अध्यादेश जारी करते हैं। आपकी मंशा बैक डोर से शासन करना है। मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना, यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भागों में भी है। आप यह कौन सा शासन

चलाना चाहते हैं? आप यह कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी माननीय गृह मंत्री जी गठबंधन की चर्चा कर रहे थे और इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है। आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की? आज तक बैठक कभी नहीं हुई थी, लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बेंगलुरु में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए की बैठक की। अरे भाई, उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है।… (व्यवधान) इसलिए यहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिये।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : बाबा, आप बैठिये। आपकी यहां विदाई होगी। चलिये, बैठिये। …(व्यवधान) आप यहां भाषण दे रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: राजीव रंजन जी, आप बोलिये। आप उधर ध्यान मत दीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair only.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: राजीव रंजन जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है। किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

… (व्यवधान) …*

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair and also try to conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

* Not recorded

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप प्लीज बैठ जाइये। राजीव रंजन जी, आप बोलिये।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: राजीव रंजन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत दा, आप तो बैठिये। आप अपनी बात पूरी कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। … (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, यह तय करना पड़ेगा कि हाउस कैसे चलेगा? … (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आप ही चलाइयेगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: राकेश जी, आप बैठिये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: राजीव रंजन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी बिल पेश करते हुए चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। भारी भ्रष्टाचारियों का

जमावड़ा हो गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं की। चार दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ और सब को वॉशिंग मशीन में डाल कर बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई! भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। गृह मंत्री जी आपको भी पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन से भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आप चिंता मत करिये, जनता आपको भी देख रही है। वर्ष 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री पिनाकी मिश्रा जी।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : इसी के साथ… (व्यवधान) मेरा समय कैसे खत्म हुआ? आप मुझे कनक्लूड करने दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कनक्लूड कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बिल आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है। वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है कि लोकतंत्र के सारे संस्थानों को ध्वस्त… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपने अपनी सारी बात कह दी है।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सारी संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है और ये कर रहे हैं। लेकिन यह बिल लोकतंत्र विरोधी है और संघीय ढांचे के खिलाफ है, इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं।

माननीय सभापति: श्री पिनाकी मिश्रा जी ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइये ।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, hon. Chairperson, for allowing the BJD to participate in this very important debate.

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए । कोई भी बात रेकॉर्ड में नहीं जा रही है।

… (*Interruptions*) …*

माननीय सभापति: कुछ भी रेकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

… (*Interruptions*)…*

HON. CHAIRPERSON: No permission is given from the Chair.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: उनका कुछ भी रेकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आपका कुछ भी रेकॉर्ड में नहीं जा रहा है। प्लीज बैठ जाइए ।

… (व्यवधान) …*

SHRI PINAKI MISRA: Thank you, hon. Chairperson, for allowing the BJD to participate in this very important debate.

---

* Not recorded

माननीय सभापति: चौबे जी, क्या बात है? आप थोड़ा शांत रहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: उनको शांत कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री चौबे जी, आप प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: No. आप एक सम्माननीय मंत्री हैं। आपको यह व्यवहार शोभा नहीं देता है। आप बिल्कुल चुप बैठिए। यह बिल्कुल गलत बात है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए। आप कुछ भी मत बोलिए। आप लोग उनको शांत कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भी बैठिए। आप सभी वरिष्ठ सांसद हैं।

… (व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा : माननीय सभापति जी, मेरा समय अब शुरू होता है।

माननीय सभापति: जी हाँ, आपका समय अब शुरू होता है।

… (व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा : धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे बीजू जनता दल की तरफ से इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया।

Firstly, let me commend the House, and let me commend my colleagues here who have decided to engage in a debate. We can see straight away, once you engage in a debate on the floor of this house, how rich and enriching the debate can become, how rewarding it can become. Therefore, this is what our Party has always felt under Naveen Patnaik ji's guidance. The idea is to

deliberate; the idea is to debate; the idea is not to disrupt. I hope this healthy practice will continue for the rest of the 17th Lok Sabha.

माननीय सभापति: हम सभी को यही आशा है।

SHRI PINAKI MISRA: Some excitement has been created by the Biju Janata Dal supporting this piece of legislation, as I indicated when the legislation was placed for introduction in the House. The reason it has been done is that we are supporting the BJP. Mr. Dharmendra Pradhan is here, Shri Jual Oram is here, and Shri Sarangi is here. Many of the illustrious MPs are here, who would vouchsafe the fact that we fight a very vigorous fight with the BJP on the ground level in our State. They are our principal opposition party; the Congress Party has been wiped out of Odisha; the Congress Party is reduced to some 10 per cent in Odisha. When I lost in 2004, I was polled at 46 per cent. Today, in this seat, the Congress Party has four per cent vote. That is the tragedy of the Congress Party. The fact is that we are equidistant from both the BJP and the Opposition. The reason we support this is because we have studied the constitutional provision regarding the power of this Parliament to enact a law.

Sir, Section 239AA of the Constitution gives this Parliament certain exclusive and plenary jurisdiction to enact laws with regard to Delhi. Everybody is talking about the Constitution Bench judgement from yesterday. I heard one of AAP's illustrious spokesmen, who is a Member of Parliament from the other party, waxing eloquent in Urdu in the Upper House, say:

कुछ तो वजह रही होगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता।

पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि हमारी वफ़ा उनके साथ कब थी कि हम बेवफ़ा हो गये। हम उनके साथ क्यूँ वफ़ा करें, यह भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि

In this issue, nobody has covered themselves with glory. In the Supreme Court, a specific prayer was made on behalf of the National Capital Territory of Delhi that the Government has sought a stay of the NCT Ordinance on the ground that it prevents the Government of NCTD from meeting its popular mandate.

Mr. Singhvi, the learned senior counsel, has highlighted the instances where the senior bureaucrats have ignored orders. The LG has terminated the contract of 437 consultants working with various Departments of the Government. I cannot understand, for the life of me, why 437 consultants have to be appointed at your end by expense to run certain Departments here. I cannot, for the life of me, understand, and, therefore, let me say this straightaway that the Government of Delhi certainly has not covered itself in glory in this regard. Therefore, to take a high moral position on this, perhaps, is a little unwarranted.

But more importantly, a specific prayer was made to the hon. Supreme Court to stay this Ordinance. That is the prayer made. The judgement of seven pages by the hon. the Chief Justice referring this matter to the five-judge Bench, – kindly see this -- dated 20th July, 2023, barely a fortnight back, expressly says that IA No.130505 of 2023 seeking a stay of the NCT Ordinance is dismissed. The same learned spokesperson yesterday said this Bill borders on contempt of court. I see no contempt petition having been filed.

Why has the contempt petition not been filed in the Supreme Court? Instead, a writ petition has been filed. The reason you cannot file a contempt petition in the Supreme Court is because the Supreme Court itself, as I mentioned the other day, gave the Government a lifeline by saying that if you bring a new law, which the Parliament certainly has the power to bring, then the position will obtain as per the new law. Now the Parliament has brought that new law.

Now, the Supreme Court with five judges will decide whether that law is a good law or a bad law. The fact of the matter is that in regard to Article 239AA(7)(b) and (7)(a), there is confusion and a conundrum about how they can be read harmoniously. There is no question about that. There is a substantial Constitutional point involved here. The Supreme Court, therefore, is seized of that Constitutional point today. That is the point on which Mr. Naveen Patnaik, I think, has studied the entire position and taken a call. Then, to say that an Ordinance will not be allowed to be translated into a Bill, I am sorry, is begging the question because once an Ordinance has been issued, it is the duty of the Government to bring it to the Parliament; and it is the duty of the Parliament to then ratify that, if the Government has the numbers.

Therefore, today, yes, you can take a position politically and say, I will not support. There is no difficulty. But do not say the Parliament does not have the power. Let the Supreme Court decide whether the Parliament has the power or not. The moral position is, as I said, nobody covers themselves with glory in this regard because nobody has covered themselves with glory. But do not say that the Parliament does not have the power. Article 239AA gives Delhi

a peculiar and a special position in our polity. For instance, this law cannot be brought with regard to Odisha or with regard to Rajasthan or with regard to West Bengal. It cannot be brought because the Constitution does not permit you. The Constitution permits you to bring this law with regard to Delhi.

The Government has taken a position because of certain acts of omission or commission or whatever it is, and they have decided that to put an end to it, they will want certain fetters to be put on the Government of Delhi. Now, the Supreme Court will decide whether the Services can be included among the other three provisions which were exclusion provisions in the Constitution. So, it is a pure Constitutional issue. It is not a question of the BJD supporting the BJP. The BJD only supports the Parliament's power to enact this piece of legislation. There is no doubt on that score. Kindly understand that. Therefore, we continue to fight the BJP as we continue to fight the Congress Party in our State.

And, as far as the No-Confidence Motion is concerned, when that is taken up, we will certainly give our reasons as to why we feel that the No-Confidence Motion brought by the Opposition today is, perhaps, not warranted again in the facts and circumstances that obtain today. We will make our position clear on that.

Therefore, I, on behalf of my Party and on behalf of my leader, take the advised position that the Parliament has the power to enact this piece of legislation. It is under the scrutiny of the courts. Yes, we shall await the scrutiny

of the courts. Perhaps, today, this debate ought not to be so fractious as it is made to be. Let us wait for the judgement of the court.

Thank you very much, Mr. Chairman, Sir.

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपने मुद्दे की बात कहने से पहले मुझे लगा कि दिल्ली के जो एक चौथाई मुख्यमंत्री हैं, वे कहानियाँ सुनाते हैं, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली और देश की जनता को सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग शायद इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से अनभिज्ञ हैं, जिसमें यह रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते-करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। वही कहानी इस बिल के मूल में है और वह कहानी यह है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, यह नहीं लूँगा, वह नहीं लूँगा, 53 करोड़ रुपये का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में, जहाँ पर आप ईंट नहीं लगा सकते।… (व्यवधान) 6 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। जब उसकी मीटिंग 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहाँ नहीं पहुँचते और कहते हैं कि मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूँ, तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है। 23 तारीख को भी ये वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। फिर उस तारीख को बढ़ाकर 26 या 30 तारीख किया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि मेरी जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मार्लेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मार्लेना, जो दूसरी मंत्री हैं, वे भी 30 तारीख को नहीं पहुँचती हैं और उस मीटिंग की तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख कर दिया जाता है, जब दिल्ली के अन्दर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। दो साल से दिल्ली फ्लड कन्ट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गयी, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नही आयी। यह बात मैंने इसलिए शुरू

की कि आज जब यहाँ बैठे हुए लोग दिल्ली का जिक्र करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है और इसीलिए मैंने एक चौथाई मुख्यमंत्री कहा। पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान ली कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, All these issues will go to the Central Government. ले-देकर एक विषय बचा था, जिसके ऊपर सारा झगड़ा है। सारा मामला सर्विसेज के ऊपर फँसा। जब सर्विसेज की बात आयी तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई? मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे अन्य दलों के मित्रों ने कहा कि इन्टरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इन्टरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वह स्टेट नहीं है और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पॉन्डिचेरी हो, सेन्टर का उसमें अधिकार है। जब विल ऑफ दी पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेन्ट ऑफ इन्डिया से बड़ा विल ऑफ दी पीपल कोई और रिप्रजेन्ट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रजेन्ट नहीं करता, जहाँ पर सातों सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। जब ऐसी-ऐसी मुश्किलें दिल्ली में आती हैं, मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को कोविड याद दिलाना चाहती हूँ। कोविड से पहले पूरे देश की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 972 मीट्रिक टन थी। यह पूरे देश की रिक्वायरमेंट थी, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) चाहिए होती थी। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया और ले-देकर क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाहें यहाँ लगी रहती हैं, तो केन्द्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि सांसद काम नहीं करेंगे। सांसद बेचारे इन्टरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पांसबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पांसबिलिटी निश्चित की जाती है तो केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 972 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी ऑक्सीजन सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते। पूर्वोत्तर के राज्यों से जहाँ पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को काटकर दिल्ली लाना, और आप अंदाजा लगाइए कि केन्द्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया।

क्रायोजेनिक टैंकर्स, हवाई जहाज, ट्रेन आदि सबके माध्यम से आक्सीजन लेकर आए और आक्सीजन दिल्ली के बार्डर पर खड़ी कर दी और कहा कि बताएं, आक्सीजन कहां भेजनी है। इतनी अव्यवस्था थी कि इन्हें पता ही नहीं था कि आक्सीजन कहां भेजनी है। प्राइवेट अस्पतालों की आक्सीजन लाने या खरीदने की जो व्यवस्था थी, उसे तहस-नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में भेज दिया, जहां कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल से संबंधित चीजों की बात आती है तो 'एम्स' केंद्र सरकार चलाती है, 'सफदरजंग अस्पताल' केंद्र सरकार चलाती है, 'लेडी हार्डिंग', 'आरएमएल अस्पताल' केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपयों का खर्चा केंद्र सरकार, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इन्हें कहा गया कि जी-20 की बैठक दिल्ली में हो रही है और सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है, तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे हो रहा है। दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती है, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग्स और पोस्टर्स पर खर्च करना तय किया है और इसलिए यह बिल लाना पड़ा। यह बिल इसलिए भी लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता हमसे जवाब मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है, तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते हैं। 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में होता है। क्या उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी? इस एक्ट के मूल में जो भावना है, वह यही है कि एक व्यक्ति, सभी ने जिम्मेदारियों और तमाम तरह की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया 'आम आदमी कहते-कहते' और वह भूल गया है कि चुने हुए नेता चाहे कार्पोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेम्बली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हों, सभी की जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है और यहां अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि केंद्र सरकार काम करने नहीं देना चाहती है, लेकिन हम तो काम करना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे मुझसे पहले कई सारे मित्रों ने उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों की बात नहीं करूंगी लेकिन रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास

400 करोड़ रुपये नहीं हैं, तो कौन काम नहीं करने दे रहा है? ये एक तरफ कहते हैं कि हमने इतने स्कूल बना दिए हैं, इतने कालेज बना दिए हैं। वे स्कूल, कालेज केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। वहां 300-300, 500-500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने लगाए हैं, लेकिन ये वहां जाकर अपनी फट्टी टांग कर आ जाते हैं। यदि केंद्र सरकार निर्माण कार्य करती है तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार धारा 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया, वे कांस्टीट्यूशनल मोरालिटी की बात न करें, तो बेहतर होगा । ...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : ईडी, ईडी ।... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: आप शांत रहिए, आपके घर न ...* आ जाए ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, this will not go on record.

*... (Interruptions) ...**

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: महोदय, यह मजाक की बात है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: This is not fair. It will not go on record.

*... (Interruptions) ... **

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: सभापति जी, मैं टूल्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में कहना चाहती हूं। यहां के लोग रूल्स वायलेट करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे, दिल्ली के अंदर डॉनल्ड ट्रम्प जैसा व्यक्ति आता है और रॉएट्स करेंगे, तब पुलिस काम नहीं करेगी, क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि आप ये टूल्स

---

* Not recorded

इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज जब दिल्ली की बात आती है और पर्टिकुलर इनेक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनेक्टमेंट में एक बात याद दिलाना चाहती हूं क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी 'शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की।' शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने कहा कि मेरे पास 370 पेज शीला दीक्षित जी के खिलाफ हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जब वे खुद मुख्य मंत्री बने, तो वे 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेजों का कोई हिसाब-किताब नहीं आया और आज विडम्बना देखिए उन्हीं के हाथ-पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार को रोकने की बजाए कैसे बढ़ावा मिलता रहे। जैसा मैंने पहले कहा कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है लेकिन लाइलाज तो नहीं होती है।

इसी तरीके से, संविधान के अन्दर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। खास तौर पर, दिल्ली के अन्दर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, उसका भी इलाज तो होगा न और यह उसी का इलाज है।

आप अंदाजा लगाइए मैं बाढ़ की बात बार-बार लेकर आ रही हूं। बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपये फ्लड डिपार्टमेंट के खर्च हो जाते हैं। 250-260 लोग उसमें काम करते हैं और जब उसकी बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब नहीं आता, हिमाचल प्रदेश ने काम नहीं किया। बाकी सबने काम नहीं किया, ये बहुत खास हैं, इन्होंने काम किया। फाइनली, उसमें मिलिट्री को इन्गेज करना पड़ता है, आर्मी को लाना पड़ता है। जब आर्मी के गोताखोर लगते हैं तो बीस घंटे लगातार काम करने के बाद आज वे बैराज के गेट खुले। बैराज के गेटों से सक्शन पम्प लगवाकर, कम्प्रेशर लगवाकर हमने सिल्ट को हटाया। भाई, सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई, जब 6,500 करोड़ रुपये खर्च हो गए, यह तो समझा दो। ऐसा पढ़कर लगता है कि बीस घंटे तक पानी में गोते ये ही लगा रहे थे। यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा ।

इससे पहले, हमारे मित्रों ने कुछ कहा है, मैं उनका जवाब देना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मैलिशियस लेजिस्लेशन है। जिन्होंने ये दो शब्द 'टारगेटेड' और

'मैलिशियस' यूज किया है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि यह पर्पसफुल लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन को बनाते हुए वह भी एक कॉन्सेप्ट होता है for achieving the purpose. And what is the purpose? The purpose is to strike a balance between domestic politics or domestic needs and national needs because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements because we are a capital city. So, it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance.

The second aspect has been that throughout there have been misstatements by practicing lawyers by repeatedly saying that India is a federal structure. Either they have not read or they are misleading. I will go by the second that they are misleading, misstating, and misquoting. India is a quasi-federal structure, which is what Constitution demarcates. India is not federal. The Centre will always have a primacy. Otherwise, to govern a complicated State as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That is why Parliament of India, the Central Government of India has been given the primacy even in the Constitution and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law.

The next thing is about power and responsibility. I am purposely addressing the argument that has come from the other side. About power and responsibility, I would say, if a person by whichever method has come to power and becomes irresponsible, will the Parliament… (*Interruptions*) I am so sure the will of the people… (*Interruptions*)

We have also seen ballots being rigged. So, do not tell me things which you do not understand. We also understand how the panchayat elections have been conducted in West Bengal. So, do not tell me all this. I think people of this country are mature enough. … (*Interruptions*)

When power vests with people who act irresponsibly, will this Parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So, the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck and that balance is what this legislation is seeking to address.

'Unaccountable and irresponsible' are the words used. So, I would go by that. Somehow, the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible. The manner in which the mutual democracy has been dealt with, I do not know! I can only quote a great example of our own Prime Minister. When he was the Chief Minister of Gujarat, we know how all kinds of fake cases etc., were filed, and how those Chief Secretaries used to be appointed by the Central Government. Did they beat them up? Did they take them to a *kona*? Did they assault them? The answer is no. You do not do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here, the Chief Secretary, the bureaucracy, has been put under immense pressure to do wrong things. Arvind Kumar, a bureaucrat working with the Office of the Deputy CM is a witness in the case of *sharaab ghotala.* शराब घोटाले में उसकी गवाही है कि किस तरीके से कोने में ले जा कर प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाए जाते थे, क्या उसका कोई इलाज़ नहीं निकलेगा कि आप गलत काम

करवाने के लिए ब्युरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी पिनाकी जी ने पढ़ कर बताया है, जजमेंट में साइटिड है कि 400 से ऊपर लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के नौकरी दी है। स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है। लेकिन इन्होंने बिना सर्विस कमीशन के, बिना वेकेंसी निकाले, बिना कुछ किए, अपने रिश्तेदारों को एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की नौकरी दे दी। बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हुए हैं, जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से सरकार चलाएंगे? यह बिल उसका इलाज़ है। एक सवाल इन्होंने 3 साल और 10 साल का किया है। … (व्यवधान) अरे! एक्शटेंशन हुआ क्योंकि वह आपके … (व्यवधान)

आदरणीय सभापति जी, 370 पेज का नाम इन्होंने शीला जी खिलाफ लिया था । … (व्यवधान) जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं, वहां 3-3, 5-5 हज़ार पेज हैं और उन 3-3, 5-5 हज़ार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है, क्योंकि इतने मोटे-मोटे घोटाले इन्होंने किए हैं।

Now, I am coming to the need of the matter.

HON. CHAIRPERSON: Try to conclude.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I will conclude.

Sir, the States Reorganisation Act was brought in 1956. Several changes have come, and finally in 2023, the Supreme Court gives control over services to Delhi Government. Then, this Ordinance was brought. Now, people are questioning why the Ordinance was brought. It was brought so that the Bill could have been brought. There was a gap of three to five months.

So, my point is that within less than 24 hours -- while the Sheesh Mahal *ghotala* is being investigated by the Vigilance Department -- not just that officer but 70 to 80 officers were transferred overnight. These were the officers who were investigating the scam. Because they were investing the scam, they

tried to circumvent the scheme of governance, and transferred those officers overnight.

Thus, there was a need to bring in the Ordinance. After bringing in the Ordinance, the Bill has been brought in. This Bill has been brought in to correct the status. Why was this brought in? This Bill has been brought in to statutorily balance the interest of the nation with the interest of the Union Territory of Delhi in administration of the Capital by giving a purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the Central Government as well as GNCTD that is, Government of National Capital Territory Region of Delhi.

By virtue of this, what has really happened? What has really happened is that a particular body, namely, the National Capital Civil Services Authority has been established. This National Capital Civil Services Authority will have three Members. It will have the Chief Minister, who is not just the Chief Minister but also the Presiding Officer of this Authority. It will have a Member Secretary. The Home Secretary of the State of the Union Territory of Delhi is going to be the Member Secretary.

Then the Chief Secretary of Delhi is there because he is the principal officer dealing with administrative issues.

What can it do? It can deal with transfers/postings of officials and disciplinary matters; sole discretion on several matters including those related to the National Capital Civil Services; and Summoning/Prorogation/Dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened.

Being the capital of India, Delhi had been administered earlier by the President of India directly, and a *sui generis* status was, however, conferred on Delhi whereby it retained the Union Territory nature with a Legislature.

A lot has been quoted on 239AA, Entry 43, List II. Now, I am reading that part of the judgement, which has been oft quoted. I am sure people familiar with legal procedures know that any judgement records all kinds of arguments and all kinds of facts, and then it gives certain specific subject matter related statements. So, it says that: "… in absence of any specific Parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in Entry 41 of List II of the Seventh Schedule specifically and in detail, the Hon'ble Supreme Court was pleased to pass a judgment dated … and whereas, in view of its special status as a national capital, a scheme of administration has to be formulated by Parliamentary law, to balance both local and national democratic interests which are at stake, which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the Government of India and the Government of National Capital Territory of Delhi. This would statutorily balance the interest of the nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will … Our Constitution, the formation of Delhi as a Union Territory is unique in itself, it may be remembered that every Union Territory is administered by the President acting through an Administrator, and while any UT may have an elected body, it does

not diminish the supreme control of the President and the Parliament over them as per the constitutional scheme”.

आदरणीय सभापति जी, इस मामले में जो ग्रुप-ए और दानिक्स सर्विसेज है, उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीजों का अधिकार केंद्र का है। इसके अलावा, ग्रुप-‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ और बाकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी, वह ओवरसी करेगी। इनके अप्वाइंटमेंट्स ऐसे होंगे कि अगर कोई कॉनफ्लिक्ट है तो वह मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका ही वर्ड सर्वोपरि होगा only in case of conflict. Otherwise, यह काम रायशुमारी से होगा। रायशुमारी करने में कोई बुराई भी नहीं है। This is what balance is all about, and this balance of power to give responsibility is what this legislation is all about.

अंत में, मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। जिस तरीके से इन्होंने मिसएडमिनिस्ट्रेशन और मिसगवर्नेंस की तमाम चीजें की हैं, ऐसे में केंद्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था। जो चौकीदार की सरकार है, वह चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब देना पड़ेगा । वे जिम्मेवारी से बच नहीं सकते है।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much, Sir, for providing me this opportunity to speak on a very important and crucial Bill, which impacts the federal structure of this country, and I feel that this is a leitmotif of the hon. Prime Minister of this country, the values of our democracy which is considered to be the largest in the world. I, on behalf of my party, strongly oppose the Bill lock, stock and barrel.

The fight is very open. The discussions have been going on for a very long time. The matter of discussion is what will happen to the Delhi bureaucracy, whom they should report to, what their responsibility is, and whose accountability this is.

My previous speaker was talking high about the responsibilities of the National Capital Civil Services Authority and वह बोल रही थीं कि हम पब्लिक के लिए जवाबदार हैं। What has happened to the Government elected by the people? No one talks about that. They say that Kejriwal Government is not doing anything. Let us not talk about all those things. Who was elected to be seated there is very important. In this largest democracy, आज के दिन क्या हो रहा है? जिसकी लाठी है, उसकी भैंस है। That is where it is ending up.

When we talk about the responsibilities, हमारे यहां एक ब्लॉकबस्टर मूवी 'ट्रिपल आर' आई थी। There were heroic performances by two important stars, Ram Charan and Rama Rao. The movie was directed by a sensational director, Mr. S. S. Rajamouli, with great creative skills. ये तीन 'आर्' इतने इंपोर्टेंट हैं, they are related to this issue also. Generally, in a Government, the bureaucrats are responsible to the Cabinet of Ministers and the Chief Minister. The Cabinet Minister is the first 'R'. The second 'R' would be the Cabinet of Ministers and the hon. Chief Minister is accountable to the State Assembly. And the final 'R' would be the State Assembly answerable to the people. That movie won the Oscar for dance number 'Naatu Naatu' performed by the two stars. That is what is going to happen in this situation also. So, it has to be 'Naatu Naatu' between the Chief Minister of Delhi and the Union Home Minister, directed by the Prime Minister. Is that what has to happen?

The previous speakers were speaking so much like people who are mature enough to understand what is happening. We will be happy if the people are mature enough and see what is happening in the country. To whom

the Delhi bureaucracy will report is very important. Will they have to report to the LG who is non-elected or report to the people-elected Government? This is what has to be decided today. When the hon. Home Minister was talking about the convenience of the judgment, he says, अच्छा पढ़ना था, सब लोग अच्छा ही पढ़ते हैं। What exactly the Opposition is raising? Give answers for that also. Clause 239AA clearly says that as per the Constitution, the legislative assembly should have the power to make laws for the whole or part of the NCT on items included in the State List and the Concurrent List. When the services are removed, what will happen?

होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि हम तो गठबंधन के पार्ट नहीं हैं, we are not part of *Gathbandhan.* The Centre has overriding powers, but how do these overriding powers have to be used? They have to be used rationally, ethically, democratically, and morally also. Ethically and morally, it is 100 per cent against the 239AA. This is not only applicable to the Delhi Government but also to all the States where opposition parties are there. What has happened to Jammu and Kashmir? The State Government was reduced to a UT status because of some other reasons. But the elected Government was also demolished. We are not against the Ordinance. Ordinance has to be moved. This Government has promulgated 80 Ordinances. But no Ordinance should violate the fundamental, federal and democratic values of the Government. If the bureaucracy has to report to a non-elected person, what should the Government do? That is what is happening here.

As Lekhi ji was saying, they have created an authority, National Capital Civil Services Authority, which is headed by three members. As our other MPs spoke, it is a matter of majority. When two of them are controlled by the Centre, what can the Chief Minister do? This authority will recommend on the postings, transfers, and disciplinary matters of all the bureaucrats. …(*Interruptions*) I am not yielding.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Why is that relevant?

DR. G. RANJITH REDDY: I am not yielding. Why should we yield?

When the authority recommends everything and the LG takes a call on that, what is the role of the authority and what is the role of the Chief Minister there?

It is the LG who decides what exactly has to happen. What is happening? The Ordinance gets spoken about and things are happening in Delhi. The State Vigilance Minister was saying what is happening in some other Departments also? … (*Interruptions*).. Sir, I still have two minutes left. …(*Interruptions*). There are so many Authorities. There are 50 Authorities which are controlled by the Central Government. Then what is the elected Government meant for? All these authorities like Water, Transport, Tourism, Jal Board etc., are controlled by them. These Secretaries have started behaving funnily. They would want to report only to the LG and not to the concerned Minister. if this continues, what will happen? Even there is a verdict of Supreme Court also which clearly states that the LG does not have any recommendation-making power. So, if we can draw lines whenever we want,

and if we do not want the lines to be drawn, what can the Government do? This is not the way to do things. I humbly request the hon. Minister to please retrieve this thing and re-consider and withdraw the Bill.

We, on behalf of our Party, strongly oppose the Bill.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to oppose the Bill brought by the hon. Home Minister. The Bill is about ‘elected’ versus the ‘selected’. India’s democracy is not a dictatorship as yet. How is an elected Government being demeaned, and is it going to be run by the selected? This is my humble question to the Government of India right now. The Bill is completely undemocratic, unconstitutional and is completely against the spirit of cooperative federalism. My learned friend, Meenakashi Lekhi has just left. She was talking about cooperative federalism and talking about control. I was surprised that in a democracy, there is a ‘control’. So, I was slightly confused because these kinds of Committees are only seen in countries like China. I do not think India has this kind of control because I still believe there is democracy.

While she was talking and running down cooperative federalism, I would like to remind her that, Mr. Arun Jaitley Ji from BJP, who I really miss in this House, always eloquently talked about cooperative federalism, and how much they wanted to work with the States and empower the States. That is the beauty of India. She was talking completely against what the BJP originally used to say. Or, maybe, this 2.0 version has a different view! I think I need to have a clarification on this point. I do not know whether it is a generation gap,

but in a democracy, 'control' is not the right word. It is the 'dictatorship' which is the right word. … (*Interruptions*)..

The other thing which I wanted to ask her is this. She was saying in her speech that Delhi is not a full State. I want to very humbly submit to the BJP that in their manifesto during every Delhi election, the BJP always asked for full Statehood for Delhi. If I am wrong, I stand corrected. Anybody can challenge me on this. If I am wrong, I am willing to take my words back. So, when you are talking about full Statehood, were you lying in the manifesto or are you lying to the people in the Parliament? Parliament is supreme. The hon. Prime Minister calls it a temple of democracy. So, how dare you lie in a temple of democracy? If you were lying, then stand up and admit कि हमने जो मैनिफेस्टो में रखा, वह झूठ था, यह एक जुमला था और हम देश से माफी चाहते हैं। They have to apologise to the people because they have lied to the nation. I want a clarification from the hon. Minister. … (*Interruptions*)..

I have to ask another small question. They talk about full Statehood in the election manifesto. I want a clarification from the BJP on this point. They have broken Jammu and Kashmir, which was a full State, into three UTs. They have not had an election there for four years. Standing right here, I had clapped for the hon. Home Minister when he said एक साल में इलेक्शन कराउंगा। We had all supported him and clapped for him. चार साल हो गए, कश्मीर में आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। आपने पूरे स्टेट को तोड़ कर यूटीज बनाए। एक यूटी का पॉवर जिसे आप चाहते थे, जिसे बीजेपी चाहती थी कि फुल स्टेट हो। So, what is this double-faced policy

making all the time of the BJP? This is my clear question to them and they must answer it.

There are two more questions which I want to ask. I want to ask my friend Pinaki Mishra, who has just left, a question. Hon. Home Minister also talked about it. He said, Article 239AA(7) empowers the Parliament to make a law to supplement the provisions, not to violate them. And he in this same reference said that this will have to go back to the Supreme Court which is three kilometres away. If it is going to go back and there is ambiguity in it, then why are we discussing this and wasting our time?

So, this is a clarification which I would like to seek from the Government because the hon. Home Minister also talked about Article 239AA (7). So did Shri Pinaki Misra who is supporting this Bill but is still saying that it will go back because there is an ambiguity. Then, what is the importance and relevance of Parliament? We should get a clear clarification because it is confusing all of us.

Another point about the same Article 239AA is that it says that the Parliament does not enjoy concurrent powers of law making on "services" as contained in Entry 41 of List II. But no exercise of concurrent powers allows the Parliament to withdraw the same power from the Delhi Government. What does this mean? It is a complete contradiction. If what we are discussing is going to get struck down, then whose ego are we pandering to here? Who are we intimidating here? This is my question to this Government.

They talked about Delhi Service Authority. Regarding Delhi Service Authority, I have three questions. This is similar to the China model. Coming to Clause 45D, there is a Committee of three people. Majority wins so far in a democracy unless it will change to a dictatorship. I am not sure! …(*Interruptions*) People in power are intimidating us all the time. …(*Interruptions*) My question to them is this. There are three people, and majority wins. It is two Secretaries *versus* one Chief Minister. So, if the Chief Minister, who is elected by the people of Delhi, is vetoed by two Secretaries, what will happen? So, it is 'selected' *versus* 'appointed'. Will the Chief Minister be rejected? This is my first question. My second question to the Government is this. Will the officers overturn the power of a Chief Minister? My next question is this. Can the LG overrule what the hon. Chief Minister has decided? If he can overrule, then that leaves the Government powerless. Then, why have a Government in Delhi? Is this the final agenda? So, these are my questions on which I really need a clarification.

मैं बड़ी विनम्रता से सरकार से पूछना चाहती हूं। They talked about morality which is a good thing. मोरेलिटी तो होनी चाहिए। हमेशा हमें बीजेपी कहती है कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में डंके की चोट पर हमें जनादेश दिया था। अच्छी बात है। Congratulations. It is a democracy, आप जीते, हम हारे, हम मानते हैं। केजरीवाल जी के लिए एक रूल और इनके लिए एक रूल, कैसे? अगर इस देश की दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को जनादेश दिया है तो वह गलत है और जब इनको जनादेश मिलता है तो वह पापुलेरिटी है। यह कौन सा न्याय है? It is really unfair. यह लोकतंत्र है। ये कहते हैं कि केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला। हां, मिला, यह लोकतंत्र है। Whether anybody likes it or not, today, Punjab and

Delhi are ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. Shrimati Meenakashi Lekhi said that the election is getting rigged. … (*Interruptions*) Then, what was your Government doing? Was Punjab was rigged. Was Delhi rigged? This is my question to the Government. … (*Interruptions*) यह नैतिकता की बात कर रहे थे। … (व्यवधान) इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था। … (*Interruptions*) I did not disturb anybody. नैतिकता की बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि दिल्ली के सैक्रेट्री को पकड़कर मारा। I absolutely agree with her. गलत है। Two wrongs do not make a right. So, let us unanimously say, अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सैक्रेट्री को बांधा है, वह गलत है। I agree with you Meenakashi *ji*; it is wrong. But then, please talk about the Maharashtra Government where your 105 MLAs are there. वहां तीन लोगों ने, एक बीजेपी के एमएलए ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी एमएलए ने उसे बांधा, एक एमपी ने भी एक थप्पड़ अधिकारी को मारा। अगर दिल्ली में यह गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है। So, why cannot we unanimously pass this? Allegations cannot be one way. … (*Interruptions*)

I have two very small points. उन्होंने गठबंधन की बात कही। I have no problem. लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है। इनको दो चीजें बोलने का बहुत शौक है। मैं बहुत संक्षेप में बड़ी विनम्रता से कहूंगी, मैं चैक कर रही हूं। There are checks and balances in a democracy. ये कहते हैं – परिवारवाद। मैं मानती हूं, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूं और मुझे बहुत अभिमान है, मैं जिसकी बेटी हूं। मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूं और मुझे इसका बहुत अभिमान है। मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन पूछ रही हूं। हमारा परिवार तो मेरिट ही नहीं है, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है, उसमें जी.के. वासन जी, चिराग पासवान जी, संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल

जी, दुष्यंत चौटाला जी शायद परिवार नहीं है, हम सिर्फ परिवार से हैं। वे सब मेरिट और हम सब परिवार, इस तरह से हम पर थोड़ा अन्याय हो रहा है।

I am just putting the record straight.

Then, another thing is 'selective amnesia'. इनके एमएलए, एमपी, मंत्री की दूसरी-तीसरी पीढ़ी हो, तो वह चल जाती है, लेकिन हम करें, तो इनको प्रॉब्लम होती है। They have said another thing. My friend, Shri Dayanidhi Maran has raised a point. It needs to come on record. इन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर कहा था कि नैचुरली करप्ट पार्टी इस देश में एनसीपी है। So, can I get a clarification from this Government? Now, they are in Government with … (*Interruptions*) They should take their word back. … (*Interruptions*) It is the Nationalist Congress Party. It is not the Naturally Corrupt Party. इसका जवाब आपकी सरकार को देना चाहिए। … (व्यवधान)

I want to clarify that it does not work. When we are against you, we are bad; when we join you, we are good - ऐसा नहीं होता। In a democratic system, I stand here opposing this thing. They are intimidating people. This will not happen. This country has always fought against intimidation. We will fight it and we will win this game. Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: डॉ. एस.टी. हसन जी।

… (व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): धन्यवाद सर। हम तो यह समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं, लेकिन … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, नियम 357 कहता है कि आप यदि किसी मेंबर का नाम लेते हैं, तो उसे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार है। मीनाक्षी लेखी जी का उन्होंने नाम लिया है। अत: आप कृपया उन्हें इजाजत दें। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: हां, अधिकार तो है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कुछ कहेंगी? मैंने इशारे में उनसे पूछा। मीनाक्षी जी, बोलिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : सर, मैंने यह कहा था कि चुनाव कैसे जीता? झूठे वायदे उसमें हो सकते हैं। रिगिंग वाली जो बात थी, उसमें मैंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया था, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास किया, तो इसलिए यह क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि झूठे वायदे- 'पानी माफ और बिजली हाफ' को भी दिल्ली देख रही है। … (व्यवधान) यह सब दिल्ली देख रही है और इन्हीं वायदों के कारण वे जीते हैं, लेकिन अपने वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। गिरगिट की कहानी में एक कैमियो रोल गिरगिट का रह गया है। आज गिरगिट कह रहा था कि मैं चुल्लू भर पानी में डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरी खुशी के लिए एक शहर के आधे राज्य के एक चौथाई मुख्य मंत्री क्लेम कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है।

डॉ. एस.टी. हसन जी।

… (व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन: सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम तो यह समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारी सरकार द्वारा इसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपने साथियों से यह सवाल है कि क्या आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में हैं या नहीं? मंत्री जी मुझे बताने का कष्ट करें। देश की राजनीति के बहुत बड़े लीजेंड स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस बारे में क्या ख्याल था, वह आप सबको पता है। वह भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में थे, तो फिर आज आप क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हैं? डेमोक्रेटिक

वैल्यूज को आपने कम कर दिया, डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स को हावी कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि जैसे एक मेयर नगर आयुक्त की सीआर लिखता है, उसी तरह से हम सारे सांसदों और विधायकों को अपने यहां के ब्यूरोक्रेट्स की गोपनीय रिपोर्ट लिखनी चाहिए, ताकि इन पर कंट्रोल रहे। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है।

सर, इसी तरह से मुख्य मंत्री को भी एलजी और राज्यपाल की सीआर लिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोटालों की बात हो रही है। ये शब्द कम से कम आपके मुंह से शोभा नहीं देते हैं। आपने इन 9 सालों में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अडानी से लेकर, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी तक, हम कौन-कौन से घोटाले गिनाएं। … (व्यवधान)

17.00 hrs

सर, हर घोटाले की जांच होनी चाहिए। हमारे पास एजेंसीज हैं। जो भी घोटाला कर रहा है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो।… (व्यवधान) अगर आप इस तरह से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हैं? इलेक्शन बंद कर दीजिए। … (व्यवधान) यह ड्रामा क्यों चल रहा है? अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो चीफ मिनिस्टर को पूरा अधिकार दीजिए, ताकि वह ठीक से गवर्नेंस कर सके, वरना ये अधिकारी किसी को कुछ नहीं करने देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। … (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman.

I am rising on behalf of my Party to strongly oppose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023.

Let me make it clear at the outset that this Bill is no ordinary piece of legislation. It represents a great chapter in the history of the Indian Republic seeking to ratify an ordinance that in many ways is an assault on our democratic heritage and the spirit of federalism.

During the introduction of the Bill itself, I had filed a Motion strongly opposing its very introduction in this House at a time when a Motion of No-Confidence is pending for discussion. In fact, the Bhagwat Gita of Parliamentary Practice and Procedure, Kaul and Shakder page 772 explicitly states: 'When the leave of the House to the moving of a Motion of No Confidence has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the Government till the Motion of No Confidence has been disposed of.

Sir, in 27 No-Confidence Motions brought since Independence to this House, no Bills were debated and passed before this Government did so with two Bills in 2018. Therefore, such an improper introduction of a substantive policy change while a No-Confidence Motion is pending is against democratic morality to use a word much favoured by the Treasury Benches.

Let me remind my colleagues in this House that it was almost four years exactly when this Government unceremoniously passed a Bill that sealed the fate of a State Government practically overnight in rampant disregard for the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India without consulting them or their elected representatives. This Government showcased the same attitude that we are seeing today - a breathtaking betrayal of our democratic political traditions, culture and utter contempt for the people of the State and of the value of the political representation that these citizens of India give themselves through elections.

Four years later, we are back in the House with the Government that is clearly bringing the same attitude, same attitude, to our National Capital.

DR. NISHIKANT DUBEY: I have a point of order.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I am sorry. I am not yielding.

माननीय सभापति: प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में यीिल्डिंग की बात नहीं होती है।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, रूल 352 (1), अभी इन्होंने जम्मू-कश्मीर में के बारे में कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कांस्टिट्यूशनल बेंच रोज उसको सुन रहा है। उसके बारे में इन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। … (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I am referring to something that happened in this House four years ago. It is a ridiculous Point of Order.

माननीय सभापति: ओके, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Now, the Home Minister in introducing this Bill attempted to invoke Nehru Ji in his support and I think that the expression that my friend Dayanidhi Maran was quoting in Tamil was that the devil can quote scriptures for his own purposes. The truth is that times changed and with that, facts changed as well. There were no elected representatives for Delhi Assembly in those days.

We were talking about a different Delhi and we were talking about a different India. Today, 76 years have happened since Independence. In any case, I have to say to my dear friends in the Treasury Benches, you oppose everything Nehru said; you oppose everything Nehru stood for; so why not this

one too? Oppose him saying that Delhi should be under the Central Government. That will be the end of the conversation. They also went in for alliance politics. But let me stress Mr. Chairman this is not about alliance politics, this is about the principle and the principle is that the democratic and federal Republic of India sighs a great shadow cast upon it today, Sir.

The Union of States, so original and aspirational in its genesis, faces a crisis of the federal division of powers. We saw the Minister of State for External Affairs choosing to intervene on internal affairs. Fine, that is your party's prerogative. But the fact is she asserted that India is not federal. She said it three times.

Why then do we have a State List, a Concurrent List and a Union List? It is because we are federal. … (*Interruptions*) I am sorry, Madam, I am not yielding. I am responding to a point made in a debate and I have every right to do so. Why does the Government and the Prime Minister speak of cooperative federalism if she is right and we are not federal? Obviously, the Government wants to sing the virtues of cooperative federalism but in stark contrast to that, we see the ruling party impinging upon the sovereign domain of the States, from vacillating on GST dues and MNREGA payments to States, to bulldozing through laws on subjects from the State List. A blatant subversion of the constitutional separation of powers is taking place again today through this Bill. The difference is that this time around, the honourable Supreme Court was loud, clear, and unequivocal and the Government seems determined to ignore

it. Let me set out before the House the three dangerous prongs of this amendment.

It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a Constitution Amendment Bill.

It establishes the National Capital Civil Services Authority consisting of, as everyone has pointed out, the Chief Minister, Chief Secretary of Delhi, Principal Home Secretary of Delhi. Now the Authority in which the elected CM can be outvoted by the other two can even convene on the basis of quorum of two. So, even without the CM, the other two officials can get together and decide anything they like. They can then make recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfers and postings of officials and disciplinary matters. And bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives. If BJP was in power in Delhi, Sir, would they have accepted this? It seems the case of where you stand depends on where you sit.

Thirdly, the Bill empowers the LG to exercise his sole discretion on several matters including those related to Civil Services Authority and the summoning, prorogation, and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. This implies that the elected Chief Minister may even be unable to convene a Session needed for essential Government business. The LG can overrule even a unanimous decision of this Authority. He can define the powers and duties of the officers of the Delhi Government superseding the Ministers.

Now on executive law-making through an Ordinance, as the Supreme Court held in D.C. Wadhwa (1987) is only to "meet an extraordinary situation" and cannot be "perverted to serve political ends." But the Government's arguments even today were all political. What is interesting is that it has intervened on political grounds on a brazen manner. Most crucially, they have added the subject of exemption of services to the existing exemptions in the Constitution like land, public order, and police under Article 239AA which every Member has been citing. To do it without amending the Constitution which requires a two-thirds majority and a different process is an act of constitutional subterfuge.

Now, how ironic that when the Supreme Court has said that there is a complete breakdown of the constitutional machinery in Manipur, you do not want to discuss it but you want to amend the constitutional machinery, when it is functioning in a working order in Delhi without admitting it! What kind of a contradiction is this, Sir? … (*Interruptions*)

Is an Ordinance or a Bill even constitutionally permissible when the very framework of the Constitution's basic structure is being altered? Article 239AA of the Constitution provides the Delhi Legislative Assembly with powers to make laws on subjects in the State List and the Concurrent List barring police, public order, and land. It is agreed. Parliament, of course, may also legislate on subjects under the State List with respect to Delhi but the Bill specifies that the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services which actually comes under the State List. By doing so, the

Bill effectively expands the subjects that the Delhi Assembly cannot legislate on, and therefore, is changing the constitutional framework. Under Article 368 of the Constitution, a constitutional amendment has to be initiated for such an action.

So, I ask, Mr. Chairman Sir, as to how you can admit this Bill except under the rubric of a Constitution Amendment Bill. It seems to me that this is completely out of order in terms of the procedures of this Bill.

Now, let me take you back to what the Court has said in its judgement of May, 2023. The Supreme Court has argued that democratic government rests on a triple chain of accountability. Civil servants are accountable to Ministers. Ministers are accountable to Legislatures and Legislatures are accountable to the electorate. That is how we all function and that is our democracy. If a democratically elected Government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the key principle of the triple chain of collective responsibility becomes redundant.

By severing the first link of the triple chain of accountability, the Bill is essentially contradicting the principles of parliamentary democracy in the very year that the Prime Minister has held us as the mother of all democracies. Can a mother treat her children in this way?… (*Interruptions*) Even a step mother would not do this.

I do want to talk about Article 239AA. It conferred a special status to the National Capital Territory and constitutionally entrenched a representative form of Government. It incorporated the spirit of federalism so that the residents of

the capital of India have a say how they are governed. It is the responsibility of the Government of NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected them.

Now, the Supreme Court has said that Delhi has ‘sui generis’ status. They keep saying that it is not a full-fledged State, but it has a special status. The Supreme Court noted that the principles of federalism and democracy are interlinked since the States’ exercise of legislative power gives effect to people’s aspirations and that federalism – I am quoting the Supreme Court – “creates dual manifestations of the public will in which the priorities of the two sets of Governments are not just bound to be different, but are intended to be different.” What are they talking about in the Treasury Benches?

The Supreme Court’s May Judgement reiterates the principles spelt out by its 2018 judgement that the Ministers bear the responsibility before the legislature for every action undertaken by public officials in their respective departments. The Court has observed that a paramount feature of a federal Constitution is the distribution of powers in such a way that the Ministers exercise their exclusive power over administration. How can you then say that a Minister is responsible for an official who, in fact, can supersede him on the provisions of this Bill?

If you were a Minister, Mr. Chairman, Sir and if your official is taking a decision which you do not approve, how are you accountable? What happened to the core principle of parliamentary democracy? You cannot hold your

officials accountable even for bureaucratic delays. They are larger than you. As Shrimati Supriya Sule has said, the selected are overtaking the elected.

The Lieutenant Governor under Article 239AA has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, except when exercising discretionary powers. The Transaction of the Business Rules of the Government of NCT Delhi, 1993 provides that certain matters must be submitted to the LG through the Chief Minister and Chief Secretary for his opinion prior to the issue of any order. These matters are: peace and tranquillity of Delhi, relations of the Delhi Government with other State Governments and the relation of the Delhi Government with the Supreme Court and High Court of Delhi, and summoning, proroguing, and dissolving of the Legislative Assembly.

The Bill expands those mentioned matters now to include the relations of the Delhi Government with the Central Government. Additionally, it expands the powers of the Lieutenant Governor's opinion to have sole discretionary power on these matters. If there is any difference of opinion even on matters beyond these three matters between the LG and the CM, the LG will take precedence.

This is the point that my respected colleague from DMK was making. Already, there are a lot of controversies about the powers being exercised by Governors in many States. We are now giving the Lieutenant Governor of Delhi an unprecedented degree of power over the elected representatives of the people who are supposed to implement the wishes of the public according even to the Supreme Court

The basic point is that we all know that Lieutenant Governors and Governors are supposed to act on the aid and advice of the Council of Ministers on matters within their executive competence. So, you are contradicting the 2018 judgement of the Supreme Court which stated that the decision-making power lies with the elected Government. How can this pass the filter of this hallowed House?

What we have repeatedly seen under this Government is a brazen effort to curtail the autonomy of States. The PM talks about cooperative federalism, but we are witnessing instead a coercive federalism that seeks to centralise all power in the hands of the Central Government. The problem is it looks as if in the new India, some States will come first if they are ruled by the right party. But others must remain subservient to the political wishes of those in Delhi.

I want to conclude with just two more thoughts. The first is that there are multiple aspects to this Bill, not to the Bill specifically but to what the Bill represents. There is a cultural aspect of assaults on States' rights by the unjustified push towards imposing Hindi on the Southern States. There is a law and enforcement angle through the weaponisation of independent regulatory and investigative bodies like ED, CBI, IT Department etc. There is also definitely the use of legislation like the Disaster Management Act. We saw an obscure provision used to ride roughshod over States' rights in imposing successive lockdowns during COVID-19 without consulting the States.

We have seen this. Sir, in the creation and misuse of the PM CARES Fund which limited the flow of cash to the State-run Chief Ministers' Disaster

Relief Funds. We have seen this when the acceleration of Centrally-sponsored schemes, which sought to… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

… (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I am just illustrating the problem of State's rights and federalism. So, I do want to say this. Finally, the large number of cesses that are currently being levied by the Central Government, the proceeds of which are not being shared with States, Sir. … (*Interruptions*) I am sorry to say: "Is this a new definition of न खाऊंगा, न खाने दूंगा?

I am very, very concerned, Sir, that this legislation is putting uniformity and Central control over the democratic interests of our country that the Prime Minister hails and I do want to stress fundamentally, this is a basic Constitutional question. The highest court of the land has ruled in favour of both, the spirit and the letter, of the Constitution. We owe ourselves more respect. … (*Interruptions*) स्पीकर साहब बोलते हैं कि इस सभा की गरिमा की रिस्पेक्ट कीजिए। We should, definitely, treat this House with more dignity than to let such a travesty of a Bill passed this House.

Thank you, Sir, and Jai Hind.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): चेयरमैन साहब, आपने मुझे इस बिल पर बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपको शुक्रिया।

जनाब, मैं दी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, 2023 की मुखालफत में खड़ा हुआ हूँ। दरअसल, यह आईन पर एक हमला है और आईन की जो बुनियादी रूह है, उस पर हमला है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहां पर यह कहा गया कि इंडिया

एक फेडरल देश नहीं है और फेडरलिज्म इसके आईन का हिस्सा नहीं है। केशवानन्द भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसको पामाल दिए जाने की कोई इजाजत नहीं है। दरअसल, बात क्या है? मामला यह है कि लोकशाही और अफसरशाही के दरम्यान ही एक मामला है। यह प्रयास किया जा रहा है कि अफसरशाही हो और लोकशाही न हो। जब हमने खुद को एक आईन दिया तो हमने एक नजरिया दिया और यह कहा कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा। उसमें रियासतों को हुकूक दिए गए और मरकज़ को हुकूक दिए गए, उनको डिमार्केट किया गया कि उनकी स्फेयर एक्टिविटी क्या होगी तथा अपना-अपना क्या स्फेयर होगा। लेकिन यह जो बिल है, इस बिल से यह कोशिश की जा रही है कि जो हुकूक हैं, दिल्ली सरकार के जो भी इख्तियारात हैं, वे कम किए जाए । यहां पर बार-बार जम्मू-कश्मीर का जिक्र हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस सरकार का आईन पर आक्रमण करने का मामूल बन गया है। यह आक्रमण 5 अगस्त, 2019 को हुआ, जब एक स्टेट के दो हिस्से किए गए और दफा 370 और 35 ए को पामाल किया गया और आईन को रौंदकर वे सारे फैसले किए गए। आपके द्वारा आर्टिकल 356 का सहारा लेकर जम्मू-कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया गया। जो लेबोरेटरी बन गई और तजुर्बा किया गया, वह किसी भी सूबे के साथ या किसी भी स्टेट के साथ किया जा सकता है। आर्टिकल 356 का सहारा लेकर एक स्टेट के दो हिस्से किए गए और आर्टिकल 356 के तहत संविधान में सबस्टेंटिव चैंजेज किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, जबकि आर्टिकल 356 एक इमरजेंसी प्रोविजन है और वह एक रेस्टोरेटिव है। वह सिर्फ जम्हूरियत बहाल करने का एक प्रयास है। 9 सालों से डेढ़ करोड़ लोगों के पास कोई असेंबली नहीं है। कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है।

माननीय सभापति: आप बिल पर बोलिए ।

… (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी: सर, मैं बिल पर ही आऊंगा । यह उससे ही संबंधित है। वहां पर कोई हुकूमत नहीं है और न ही असेंबली का इंतेखाब करने के लिए इनके पास हिम्मत है। इस तरह की नॉर्मल्सी का एक नरेटिव बनाया जा रहा है।… (व्यवधान) आज जम्मू-कश्मीर में जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी

जायदादें जब्त की जा रही हैं। कल यहां पर कहा गया कि 800 यूनिट्स बनाए गए हैं, लेकिन आज ही मुझे कश्मीरी पंडित दोस्त ने फोन किया कि उनको जम्मू-कश्मीर के काज़ीगुंड में रखा गया है।

माननीय सभापति: आप बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी: मैं अब बिल पर आता हूँ। जनाब, यह भी उसी तसलसुल में है। जो वहां पर किया गया, वह भी उसी तसलसुल में है और यही बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। एक स्टेटमेंट है कि इंडिया में फेडरलिज्म नहीं है। यह फेडरल स्टेट नहीं है। आप इस बिल को देखिए। सारा प्रयास यही है कि पूरी पावर केन्द्र सरकार के पास आ जाए, ताकि जो चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार के जो हुकूक हैं, उनको बिल्कुल खत्म किया जाए और उनको बिल्कुल गैर-मोअस्सिर बनाया जाए।

इसमें यह कहा गया है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें सारी पावर्स केन्द्रीत होंगी। अब उसके क्या इख्तियारात हैं? अगर वहां पर सर्व-सहमति भी हो, अभी यह कहा गया कि चीफ मिनिस्टर्स को ओवर रूल करेंगे, दो ब्यूरोक्रेट्स जो मरकज़ के बनाए हुए होंगे। यह कैसा सिस्टम है? अगर वह सहमति भी हो, रेकमेंडेशन यूनैनिमस भी हो, फिर भी लेफ्टि. गवर्नर को उसे दरकिनार करने का, वापस भेजने का इख्तियार है। जनाब, यह कैसा सिस्टम बनाया जा रहा है? यह कैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई असेम्बली है, उसके भी इख्तियारात हैं। उसका जो चुना हुआ वजिरेआला है, उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करके, उसके सारे इख्तियारात को बिल्कुल डाउनग्रेड करके, एक इख्तियारात मरकुज़ किए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के सिलसिले में जनाब सदरे जमहूरियत ने खुद यह कंकरंस ली, क्योंकि वहां के गवर्नर उनके बनाए हुए थे। वह कैसा कंसल्टेशन हुआ, जो आईन का तकाजा था, वह दरकिनार किया गया।

जनाब, यह मुल्क बहुत ही खतरनाक दिशा की ओर जा रहा है। यह क्या किया जा रहा है? जम्मू-कश्मीर के मामले में बाकी जगह तीन लिस्ट्स थीं, कंकरंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट

लिस्ट। लेकिन जम्मू-कश्मीर की जो खुद मुखतार थी, उसमें स्टेट लिस्ट थी ही नहीं। क्योंकि हम ने जो केन्द्र को दिया था, सिर्फ वही केन्द्र के पास था।

माननीय सभापति: आप बार-बार उस तरफ चले जाते हैं।

श्री हसनैन मसूदी: सर, और कहां जाऊं। मैं जम्मू-कश्मीर को रिप्रजेंट करता हूं। जम्मू-कश्मीर के अलावा और कहां जाऊं।...(व्यवधान) सर, अब मैं कंक्लूड करूंगा।

जनाब, एक और बात कॉंस्टिट्युशनल मोरालिटी की है। अगर यह कहा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला है, तो प्रोपरायटी यह है, मोरालिटी यह है, कॉंस्टिट्युशनल इथिक्स यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए कि वह क्या कहेगा, फिर यह किया जाए। यह हो नहीं रहा है। जिस तरह से यहां बिल अमेंड हो रहा है, तो कांस्टिट्युशनल मोरालिटी यह है कि हम टॉप कॉंस्टिट्युशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। उनको अपना फैसला देने दें। जैसे ऑर्डिनेंस बिल की जो अमेंडमेंट लाई गई है और उसको ऑपरेशनल किया गया, जो मोरा :टी है, जो इथिक्स है, जो संविधान का एक हिस्सा है, उससे इसको पास कीजिए।

मै अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल की मुखालिफत करता हूं और यह इल्तिजा करता हूं कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि यह बिल आईन के मुखालिफ है।

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): چیرمین صاحب،آپ نے مجھے اس بِل پر بولنے کی اجازت دی اس کے لئے آپکا بہت شکریہ ، جناب میں گورنمنٹ آف نیشنل کیپیٹل ٹیریٹری آف دہلی بِل 2023 کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ جناب یہ دراصل آئین پر حملہ ہے اور آئین کی جو بنیادی روح ہے اس پر حملہ ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا جب یہ کہا گیا کہ انڈیا ایک فیڈرل اسٹیٹ نہیں ہے، اور فیڈرلزم اس کے آئین کا حصہ نہیں ہے۔ کیشونند بھارتی کیس میں سپریم کورٹ نے صاف کیا کہ فیڈرلزم ایک بیسِک اسٹرکچر کا حصہ ہے اس کو پامال کئے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دراصل بات کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ لوک

شاہی اور افسر شاہی کے درمیان ایک معاملہ ہے، اور یہ کوش کی جارہی ہے کہ افسر شاہی ہو اور لوک شاہی نہ ہو۔ جناب ہم نے خود کہ ایک آئین دیا تو ہم نے ایک نظریہ دیا اور یہ کہا گیا ہے ہمارا ملک کیسے چلے گا۔ اس میں ریاستوں کو حقوق دئے گئے اور مرکز کو حقوق دئے گئے، ان کو ڈیمارکیٹ کیا گیا کہ ان کی اسفیر ایکٹیوِیٹی کیا ہوگی اور اپنا اپنا اسفیر کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو بِل ہے اس بِل سے یہ کوشش کی جارہی ہےکہ جو حقوق ہیں دہلی سرکار کے جو بھی اختیارات ہیں، وہ کم کئے جائیں۔ یہاں پر بار بار جموں و کشمیر کا ذکر ہوا، اور ہونا بھی چاہئیے، کیونکہ اس سرکار کا آئین پر حملہ کرنے کا معمول بن گیا ہے۔ یہ حملہ 5 اگست، 2019 کو ہوا، جب ایک اسٹیٹ کے دو حصّے کئے گئے اور دفعہ 370 اور 35اے کو پامال کیا گیا اور آئین کو روند کر وہ سارے فیصلے لئے گئے۔ آپ کے ذریعہ آرٹیکل 356 کا سہارا لے کر جموں وکشمیرکو لیبوریٹری بنایا گیا جو لیبوریٹری بن گئی اور تجربہ کیا گیا، وہ کسی بھی صوبے کے ساتھ یا کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے ۔ آرٹیکل 356 کا سہارہ لیکر ایک اسٹیٹ کے دو حصّے کئے گئے، اور آرٹیکل 356 کے تحت آئین میں سبسٹینٹیو چینجز کئے گئے، امینڈمینٹس کئے گئے، جبکہ آرٹیکل 356 ایک ایمرجینسی پرووِیزن ہے اور وہ ایک ریسٹوریٹیو ہے۔ وہ صرف جمہوریت بحال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ 9 سالوں سے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کے پاس کوئی اسمبلی نہیں ہے۔ کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں ہے۔

جناب، میں بِل پر ہی آؤں گا۔ یہ اس سے ہی متعلق ہے۔ وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، اور نہ ہی اسمبلی کے انتخابات کرانے کی ان میں ہمت ہے۔ اس طرح کا نارمیلسی کا ایک نریٹیو بنایا جا رہا ہے۔ (مداخلت)۔ آج جموں و کشمیر میں جو چھوٹے کاروباری ہیں، ان کی جائدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔

کل یہاں پر کہا گیا کہ 800 یونٹس بنائے گئے ہیں، لیکن آج ہی مجھے میرے ایک کشمیری پنڈت دوست نے فون کیا کہ ان کو جموں و کشمیر کے قاضی کُنڈ میں رکھا گیا ہے۔

میں اب بِل پر آتا ہوں۔ جناب، یہ بھی اسی تسلسل میں ہیں، جو وہاں پر کیا گیا، وہ بھی اسی تسلسل میں ہیں، اور یہ باقی اسٹیٹس میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اسٹیٹمینٹ ہے کہ انڈیا میں فیڈرلزم نہیں ہے۔ یہ فیڈرل اسٹیٹ نہیں ہے۔ آپ اس بِل کو دیکھئے۔ ساری کوشش یہی ہے کہ پوری پاور مرکزی سرکار کے پاس آجائے، تاکہ جو چُنی ہوئی سرکار ہیں، اس چُنی ہوئی سرکار کے جو حقوق ہیں، ان کو بالکل ختم کیا جائے اور ان کو بالکل غیر موثر بنایا جائے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ایک نیشنل کیپٹل سِول سروِس اتھارٹی بنائی جائے گی، جس میں ساری پاور کیندرت ہوگی۔ اب اس کو کیا اختیارات ہیں؟ اگر وہاں پراتفاق رائے بھی ہو، ابھی یہ کہا گیا کہ چیف منسٹر کو اور رول کریں گے، دو بیروکریٹس جو مرکز کے بنائے ہوئے ہوں گے، یہ کیسا سسٹم ہے؟ اگر وہ سہمتی بھی ہو، ریکمنڈیشنس یونینمس بھی ہوں، پھر بھی لیفٹننٹ گورنر کو اسے درکنار کرنے کا واپس بھیجنے کا اختیار ہے۔ جناب، یہ کیسا سسٹم بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیسا اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جو چُنی ہوئی سرکار ہے، جو چُنی ہوئی اسمبلی ہے، اس کے بھی اختیارات ہیں۔ اس لا کو چُنا ہوا وزیرِ اعلیٰ ہے، اس کو بالکل ڈاؤن گریڈ کرکے، اس کے سارے اختیارات کو بالکل ڈاؤن گریڈ کرکے یہ اختیارات مرکوز کئے جا رہے ہیں جو نومینی ہے۔ جموں کشمیر کےسلسلے میں جناب صدرِ جمہوریہ نے خود یہ کنکرنس لی، کیونکہ وہاں کے گورنر انکے بنائے ہوئے تھے، وہ کیسا کنسلٹیشن ہوا، جو آئین کا تقاضہ تھا وہ درکنار کیا گیا۔

جناب، یہ بہت ہی خطرناک سِمت میں ملک جا رہا ہے۔ یہ کیا کیا جارہا ہے؟ جموں کشمیر کے معاملے میں۔ باقی جگہ تین لِسٹس تھے، کنکرن لِسٹ، یونین لِسٹ اوراسٹیٹ لِسٹ۔ لیکن جموں کشمیر کی جو خود مختیاری تھی اس میں اسٹیٹ لِسٹ تھا ہی نہیں۔ کیونکہ ہم نے جو مرکز کو دیا تھا، صرف وہی کیندر کے پاس تھا۔

سر میں اور کہاں جاؤں، میں جموں کشمیر کی نمائندگی کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے علاوہ اور کہاں جاؤں (مداخلت)۔ سر اب میں کنکلوڈ کروں گا۔

جناب، ایک اور بات کانسٹی ٹیوشنل موریلٹی کی ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مانئے سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے، تو پرایوریٹی یہ ہے، کانسٹی ٹیوشنل ایتھِکس یہ ہے کہ مانئے سپریم کورٹ کا انتظار کیا جائے۔ وہ کیا کہے گا، پھر یہ کیا جائے۔ یہ ہو نہیں رہا ہے۔ جس طرح سے یہ بِل امینڈ ہو رہا ہے، تو کانسٹی ٹیوشنل موریلٹی یہ ہے کہ ہم ٹاپ کانسٹی ٹیوشنل کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ ان کو اپنا فیصلہ لینے دیں۔ جیسے آرڈینینس بِل کی جو امینڈمینٹس لائی گئی ہیں اور اس کو آپریشنل کیا گیا، جو موریلٹی ہے، جو ایتھِکس ہے، جو آئین کا حصہ ہے، اس سے اس کو پاس کیجئے۔

میں اپنی پارٹی کی طرف سے اس بِل کی مخالفت کرتا ہوں اور یہ التجا کرتا ہوں کہ اس کو واپس لیا جائے کیونکہ یہ بِل آئین کےمخالف ہے۔]

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I oppose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. It is a very critical legislation that is definitely going to

upset and disrupt the delicate balance between the Centre and the States. It is against the very basic Constitutional dictum that India shall be a Union of States. I am sorry to say that it is a move for greater centralisation, which is against Part XI of the Constitution, which governs relations between the Centre and the States. This is not well-intended and is ill-motivated. The motive behind this legislation is very ulterior. It is equal to nullifying the recent verdict of a Constitutional Bench which says:

> "The subject of 'Services', covered under Entry 41 (State List), will fall under the Executive and Legislative domains of the Delhi Government."

Sir, that is why, the legislative quality and competence of this Bill is under question. We all know that it is against cooperative federalism. Nobody can justify it. Whatever points may be brought forward by the learned Members on the other side, you cannot conceal the negative aspects of this Bill which goes against the very spirit of cooperative federalism.

Sir, it is highly condemnable that potentially divisive issues are brought to focus. It is not for the good of the nation. Maybe, it is done by the Government in the run up to the next year's elections. But, Sir, it will not be for the good of the nation.

Sir, another worst example of this kind of negative attitude is pitchforking and triggering the dormant and contentious debates around the Uniform Civil Code. That is also done at this juncture.

India has remained uniquely unified despite infinite multiplicities of the country in various ways of its life. We have to protect the values and ethos of cooperative federalism. It is by protecting the diversity alone. Will we be able to protect the values of federalism. The diversity cannot be subsumed in an artificial uniformity. That is what we want from the Government also. I cannot understand why the Government is rushing for and pushing for this kind of negative legislation, which is against the norms of social, religious, linguistic, ethnic, and political diversity of the country. It is going to surely affect badly our structures of fiscal federalism, linguistic federalism, cultural federalism, and also political federalism. I would also add our service federalism, which this new legislation is definitely going to badly affect. So, I have to say that it is an attempt to bolster Centre's hold on the Capital's administration, an encroachment on the remit of the State Government, and expanding the ambit of the Centre.

Sir, we can't understand this legislation. Instead of intervening in the matters and setting right the burning matters in States like Manipur and Haryana, why is the Government bringing this kind of very negative legislation, which are against the spirit of the Constitution? This Bill, under discussion, is against Article 239AA, and also it is against the recommendations of the Sarkaria Commission, the Venkatachelliah Commission. Nobody can conceal this. The foundation of this enactment is very weak.

जो शाख़-ए-नाज़ुक पे आशियाना बनेगा वो ना-पाएदार रहेगा । The nest built on a very weak and tender branch of the tree will not last. सर, यह सारी कोशिश दिल्ली

को जीतने के लिए हो रही है। दिल्ली को हिन्दुस्तान का दिल कहा जाता है। दिल जीतने के लिए यह काफी नहीं होगा। इस तरह के कानून से दिल को जीत नहीं सकते हैं। दिल्ली को जीतने के लिए मोहब्बत, प्यार, रवादारी और भाई-चारा चाहिए। यह आपके पास नहीं है और इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी चाहिए, जो गवर्नमेंट के पास नहीं है।

I have to remind the Government that the Supreme Court had held that States are not mere appendages of the Centre. This is the decision and declaration made by the Supreme Court. Also, I have to request the Government to pay urgent notice to Ambedkar's December 1952 lecture – On Conditions *Precedent for the Successful Working of Democracy*. What I feel is that this kind of negative legislations will affect the spirit of our federalism, our cooperative federalism. Hence, I oppose this kind of an enactment, and I would request the Government to withdraw this kind of legislation. Thank you, Sir.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, आज मैं जब संसद में आ रहा था, तो हमें दिल्ली का एक व्यक्ति मिला और बोला कि जरा मुझे बताना कि जो व्यक्ति लगातार सब को चोर कहता रहा, आज उसी को सही ठहराने के लिए कैसे लोग बैठे हैं? मैं यह बात छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आज जो व्यक्ति बैठा है, वह पहला मुख्यमंत्री नहीं है। वह 5वां मुख्यमंत्री है। इनके पहले शीला दीक्षित जी बैठी थीं, उनके पहले सुषमा स्वराज जी बैठी थीं, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी बैठे थे और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे। कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था, जो आज आया है।

अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोकलाज की बात कर रहे थे। वह बिहार के नेता हैं। बिहार के नेता के मुंह से लोकलाज सुनकर मुझे भोजपुरी की एक कहावत याद आ रही है।

"सुपवा बोले त बोले, चलनियों बोलत् बाटे, जौना में बहत्तर छेद बाटे।"

माननीय सभापति महोदय, हम भी चुनकर आए हैं। हमारे साथियों ने कई बार कहा कि वे चुनकर आए हैं, चुनकर आए हैं। हम भी चुनकर आए हैं, दो-दो बार चुनकर आए हैं। यही नहीं, हम निगम में भी चुनकर आए। ये सभी चुनकर आए हैं, जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं। लेकिन पता नहीं, क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की क्षमता और योग्यता पर संदेह हो गया है। कोई बात नहीं, इसे देश की जनता डिसाइड करेगी।

जब कोविड आया था, तो याद कीजिए क्या हुआ था। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सड़कों पर थे। जब कोविड आया, तो ये अस्पताल-दर-अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वे कहीं अन्दर, पता नहीं कौन-सी मच्छरदानी ओढ़कर बैठे हुए थे। जब दिल्ली में बाढ़ आई, तो अमित शाह जी की व्यवस्था उसे संभाल रही थी। जब इस व्यक्ति के घर में पानी घुसने लगा, जैसे कभी-कभी बिल में पानी जाता है, तो कुछ जानवर निकलकर बाहर आ जाते हैं, उस तरह से हमने देखा और दिल्ली बर्बाद हो गई।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपको बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री या तो शीशमहल में सो रहे होते हैं या शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इस डिबेट से वह व्यक्ति बहुत खुश होगा, क्योंकि उससे तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। कोविड में जिसने किरायेदारों से वादा किया था कि किरायेदार लोग यहाँ से भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी। लेकिन आज तक किरायेदारों को यह सुविधा नहीं मिली। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा कि यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों बंद हो गई, यहाँ बुज़ुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ नौ साल से गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है?

माननीय सभापति महोदय, आप वहाँ बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जहाँ गरीबों के लिए कितनी भारी मात्रा अनाज दे रहे हैं, वहीं जब आप दिल्ली की गलियों में जाएंगे, तो देखेंगे कि राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूँ, कल शाम

को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। यदि पुलिस नहीं होती, तो पता नहीं उनका क्या हाल होता? हम चाहते हैं कि नेताओं पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस तरह से रो रही है। यहाँ 10 साल में एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नया स्कूल नहीं बना। अब यह सवाल पूछे तो कौन पूछे? झुग्गीवासियों को घर देने का वादा किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को। अभी उन्होंने 3,025 लोगों को घर दिया।

हमारे कई साथियों ने पूछा कि यह अध्यादेश क्यों आया। आप याद कीजिए, जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो दूसरे ही दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जिस व्यक्ति ने फोन पर कहा है कि यह व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपए दे देना, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, अभी उसकी स्पष्टता भी नहीं हो रही है, जैसा कि हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि 'स्पष्टता' को बनाये रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है, उसके बाद भी बिना उस पैरा 95 को बिना पढ़े, उन्होंने तुरंत सवेरे उस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विज़िलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री जी से कहूँगा कि मुझे कई एंगल्स से यह शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साज़िश कर रहा है। इसकी जाँच होनी चाहिए।... (व्यवधान) अभी जब यमुना जी में बाढ़ आई, जब मैं बाढ़ में गया, तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूँ, वे कह रहे थे कि कई लोगों के कागज़ बह गये हैं, उनके कागज़ फिर से बनाये जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसके कागज़ बहे? हम तो जिन लोगों के लिए खाना लेकर गये, जिनके लिए हम रोटी लेकर गये, जिनके लिए हम नाव लेकर गये, वे तो अपना सारा सामान लेकर सड़क पर सिर्फ टेंट का इंतजार कर रहे थे। वे किसका कागज़ बनाने की बात कर रहे हैं, यह जाँच का विषय है। मुझे बिहार और यूपी की महिलाओं ने कहा, मैं आपको विडियो दे सकता हूँ, उनका बयान दे सकता हूँ, वे महिलाएं कह रही हैं कि हमें तो ये मुआवज़ा भी देने को तैयार नहीं है।

मेरे सभी साथियों, आप इस पर विचार कीजिएगा। मैं यह बात बताना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि किस कारण से यह बिल आ रहा है? श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी यहां बैठी थीं, वे अभी यहां नहीं हैं। … (व्यवधान) उन्होंने सदन में मिसक्वोट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के बारे में हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में वर्ष 2013 से हूं। न वर्ष 2013 के चुनाव में, न वर्ष 2014 के चुनाव में, न वर्ष 2015 के चुनाव में, न वर्ष 2017 के चुनाव में, न वर्ष 2019 के चुनाव में, न वर्ष 2020 के चुनाव में, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें।

सभापति महोदय, जहां तक एलजी की बात है, एलजी वहीं टोकते हैं, जहां संविधान का हनन होता है। दिल्ली में जी20 बैठक होने वाली है। मैं एक दिन अपने घर में रात के 12:30 hrs सोने की तैयारी कर रहा था, तब ही पता चला कि एलजी महोदय बाहर सड़कों पर पेड़-पौधों की सुंदरता देखने आए हैं। मैं हैरान था, मैं घर से बाहर निकला। उस समय दिल्ली के मुख्य मंत्री अपने शीशमहल में सोए हुए हैं, तब मुझे यह कहना पड़ता है कि सभापति महोदय, यह जो बिल है, यह दिल्ली की खुशियों का बिल है।

सभापति महोदय, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप बहस कीजिए, बहस करनी ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी साथी बोल रहे हैं। कई दिनों के बाद सबको बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन यह बिल दिल्ली के झुग्गीवासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, और सबके अधिकारों की रक्षा करने वाला बिल है।

अत: इस बिल को आप सब पास करें, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय सभापति महोदय, शिव सेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पक्ष की तरफ से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इसी के साथ दिल्ली के बारे में जो बिल आया है, मैं इसको स्ट्रॉन्गली अपोज़ कर रहा हूं।

महोदय, यदि देखा जाए तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना जो विवेचन किया, उसमें इस बिल को वे क्यों ला रहे हैं, इसकी स्पष्टता तो की है। … (व्यवधान) उसी के साथ इस बिल के पीछे केंद्र सरकार की जो कपट नीति है, वह सामने आ चुकी है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2015 से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्ष 2015 के बाद दिल्ली में जिस तरीके से मतदाताओं ने राजकीय क्षेत्र में परिवर्तन निर्माण किया और इस परिवर्तन से मतदाताओं की इच्छा से जिन लोगों ने सरकार स्थापित की, ऐसी आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसी कपट नीति निर्मित हुई, उसके लिए आज के बिल का जन्म हो चुका है।

सभापति महोदय, अगर देखा जाए तो दिल्ली के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकशाही के मंदिर में हम सब लोग बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसी लोकशाही के मंदिर में दिल्ली के इस विधेयक के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत हो रही है, ऐसा डर मुझे लगता है। दिल्ली में विधान सभा है, लोगों के माध्यम से पार्षद, विधायक चुने जाते हैं। लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का निर्माण हो चुका है। पार्षदों-कॉरपोरेशन का जो पिछला चुनाव हुआ, उस चुनाव में पूरी की पूरी दिल्ली में दिल्लीवासियों का जो रवैया है, वह स्पष्ट हो चुका है। काफी प्रयासों के बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन न आने से उनके दिल में जो बुरी भावना थी, वह आज तक उनको सता रही थी। वे देख रहे थे कि एक न एक दिन इसके बारे में हमें कुछ न कुछ करना ही होगा।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने के बावजूद भी ऐसा हुआ। 19 मई को आदेश दिया कि दिल्ली में लोकतंत्र से निर्मित हुई राज्य शासन की जो प्रक्रिया है, उन्हें पूरे तरीके से हक प्राप्त होने चाहिए, ऐसा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देने के बावजूद उसी दिन ऐसा ऑर्डिनेंस निकालकर लोकतंत्र की हत्या करना और उसे प्रशासकीय अमल में लाना निंदनीय बात है। मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन पूरे देश को बाबा

साहब अंबेडकर जी की कृपा से या उस वक्त के हमारे पूर्वजों की कृपा से लोकतंत्र की जो यह देन हमें मिली है, ऐसे लोकतंत्र का विसर्जन यमुना नदी में करने की शुरुआत क्या केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है?

महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के आज के जो राज्यकर्ता हैं, चाहे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी हों, चाहे कहीं कोई हों, जैसे गृह मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके बंगला बनाया, ऐसा उनके बयान में आया है। अगर यह एक ही कारण है तो आपके पास, पिछले कई दिनों से, आप जेब में ईडी का एक राक्षस लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में, चाहे बंगाल हो, असम हो, ईडी के डायरेक्टर का तो आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिव सेना का गद्दार गुट हो या एनसीपी का गद्दार गुट हो, उनके कई लोगों के ऊपर ईडी की रेड हुई थी, कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। कल उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे और आज आप उनको मंत्री परिषद में लेकर बैठे हैं। यह तो वाशिंग मशीन से भी ज्यादा लॉन्ड्री हो चुकी है।

महोदय, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, लॉन्ड्री में डालना और मंत्री परिषद में लाकर बिठाना दुर्भाग्य की बात है। अभी जो इनकी एनडीए की मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बायीं और दायीं तरफ ऐसे दो लोग बैठे थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, ऐसे आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी लम्बी दूरी पर बैठे थे। यह शासन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है और इसीलिए आप एलजी के हाथ में पूरी दिल्ली दे रहे हैं।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? यह सिर्फ लोकतन्त्र की हत्या नहीं है, आप दिल्ली की सारी जनता का अपमान कर रहे हैं। सारे दिल्लीवासियों ने, आपके इतना प्रयास करने के बाद भी कारपोरेशन में बहुमत अरविन्द केजरीवाल की पार्टी को दिया। आपने कई दिनों तक उन्हें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं चुनने दिया, कई दिनों तक मेयर नहीं चुनने दिया। यह कौन सी राजनीति हो सकती है? अभी खुल्लम-खुल्ला हो गया है

कि चलो एलजी के हाथ में राज्य दे दो और अपने को जो चाहिए, वे वैसा करें, ऐसा आप इस बिल के माध्यम से करने जा रहे हैं।

महोदय, ऐसे लोकतन्त्र की हत्या करने वाले बिल का शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी कड़ा विरोध कर रही है और करती रहेगी। धन्यवाद।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, on behalf of CPI(M), I vehemently oppose the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023.

It is very interesting to note that the hon. Supreme court gave its judgement on 11th May upholding the power of the Delhi Government in matters related to Delhi Services and within seven days, the Ordinance was promulgated to override the Supreme Court's judgement. What was the exigency to bring an Ordinance in such a hasty manner? According to Article 123(1), the President can promulgate an Ordinance only when the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. And, the hon. Supreme Court has pointed out several times that the power to promulgate an Ordinance under Article 123 should be exercised with due diligence and caution. It shows that the BJP Government cannot wait even for a single minute to act upon matters which it considers are affecting their supremacy.

Sir, by interpreting Article 239AA, the hon. Supreme Court made it clear that the Delhi Government has the power to make laws and administer Civil Services. That is why, the hon. Supreme Court limited the role of the Lieutenant Governor over bureaucrats except to three specific areas such as public order, police and land. The apex court made it clear that the Lieutenant

Governor's role is to either act on the aid and advice of the Council of Ministers or implement their decisions.

Sir, the Supreme Court recognised that the concept of federalism applies to Delhi despite it not being accorded the status of a State. The Bill envisages the setting up of a new statutory body, National Capital Civil Services Authority, which consists of two bureaucrats – Chief Secretary and Principal Secretary of Home – and the Chief Minister of Delhi.

Sir, as decisions made by the authority will be based on majority, the opinion of the Chief Minister, who is an elected representative, can be overruled by the bureaucrats who are supposed to work under him. The irony does not stop there. If difference of opinion prevails, the final decision will be made by the Lieutenant Governor, effectively reversing the verdict of the hon. Supreme Court. So, the object of the Bill is nothing but to place the Lieutenant Governor of Delhi, as an autocratic ruler above the elected Government. Because a non-BJP Government is ruling Delhi, this Government is trying to sabotage the spirit of democracy in Delhi.

Sir, this Government is finding one or the other way to jeopardize people's mandate in the States. Either they will dissolve the Assembly and impose Governor's rules as done in Kashmir or they will purchase legislators outrightly as we witnessed in many States like Goa, Karnataka, and everywhere where non-BJP Government comes to power. And if that is also not possible, it comes up with a Bill of this kind to snatch the power using bureaucrats. One more tactic is there. That is of using the Enforcement

Directorate, headed by the one and only life-long Director, Shri Sanjay Kumar Mishra, to threaten the legislators and to switch their sides.

Sir, this Government is claiming that the Supreme Court judgment has given it the powers to bring a new legislation, if needed, to control the services of the Delhi Administration. Why is this Government silent on the Supreme Court's remarks against its handling of violence in Manipur? Even after the Supreme Court indicting that there has been a complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, the BJP has not removed its Chief Minister from the post. Why is BJP's central leadership silent on Manipur? It is because they have a clear political agenda in Manipur, which is the agenda of RSS.

We have seen how this Government tried to bring BJP to power in municipalities in Delhi by merging the four municipal corporations into one by bringing a legislation in this House. Then, we saw how vehemently the BJP has opposed the election of Delhi Mayor to sabotage people's mandate as they failed to get majority even after court's directions. They registered a case against the hon. CM, Shri Kejriwal, only because he asked about the degree certificate of our PM. This Government is again and again making it clear that they are not ready to accommodate any State or Union Territory Government that is non-BJP. It will be repetition – no doubt it will be repetition – of what we have seen in Lakshadweep, Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal where the

Governors and Lieutenant Governors are behaving like …* in the hands of the Union Government.

HON. CHAIRPERSON: No. You cannot say like this, Mr. Ariff.

… (*Interruptions*)

ADV. A.M. ARIFF: Sir, only one minute. The Tamil Nadu …* even ordered the removal of a Minister of the Cabinet at his wish and later had to withdraw his order as it went against the Constitution.

HON. CHAIRPERSON: No. That cannot go on record.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Asaduddin Owaisi ji.

… (*Interruptions*)

ADV. A.M. ARIFF: This Bill is with the same intention of what you have been doing in other States to make a mockery of the democratic principles using the Governors.

HON. CHAIRPERSON: No.

… (*Interruptions*)

ADV. A.M. ARIFF: Sir, I reiterate that this Bill is anti-democratic and anti-constitutional and against the federal principles. So, I request the Government to withdraw this Bill and uphold the sanctity of the Supreme Court's judgement.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I thank you for giving me the opportunity. I stand to oppose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023.

---

* Not recorded

Sir, let us deal with Article 123. In 2017, Supreme Court in Krishna Kumar judgement held that an ordinance cannot be made to serve an oblique purpose. An ordinance cannot be made to perpetrate a fraud on the constitutional process and to achieve a purportedly oblique purpose. Supreme Court has repeatedly said the ordinance making powers are not routine legislative powers and are supposed to be used solely in emergent situations. The word that has been used by the Supreme Court in terms of ordinance is 'necessity and immediate action', which indicates that ordinance making powers are not to be used on mere whims. This is what this Government has done. The Court held that if ordinance-making power is based on extraneous grounds, then the purpose of ordinance was to perpetrate a constitutional fraud. The courts will interfere and strike down such an ordinance. I hope that third time again you lose this case in Supreme Court. What was this ordinance if not petty politics in the garb of law making within eight days of Supreme Court judgement? The purpose was mala fide because it snatched the mandate of the electorate and gave it to an unelected civil servant. This is constitutional fraud being perpetrated in broad daylight.

Sir, may I give you an example of what the Government proposes to do? Sir, you are a very seasoned politician, a senior politician.

Look at Section 45-I(4). It requires that before issuing any order, a Minister must submit his proposal to the Chief Secretary, Chief Minister, and the Lieutenant Governor. The list of matters that must be submitted to the Lieutenant Governor is expansive. It includes Section 45-I(4), which says:

"matters likely to affect peace and tranquillity of NCTD." Then, Section 45-I(4)(9) says: "any other matter of administrative importance which the President of India may consider necessary." This basically means that before doing anything at all, the Minister will have to seek the permission of Shri Amit Shah. Of what use is having a Minister at all?

Similarly, let us look at Section 45-J(3) which places a duty on the Secretary to the Council of Ministers to bypass the CM and inform the LG. Similarly, Section 45-J(4) requires the Department Secretaries to determine that something is likely to cause controversy with the Central Government, Supreme Court, other State Governments, and other High Courts. Once they have determined it, they are required to report it to the LG. The CM is a showpiece. He is a show oy over there.

Now, under Section 45-J(5), the Chief Secretary is required to ignore the orders of the CM or Minister, and report to the LG anything he determines is a violation of the Act. On violation of Act, you go to the Court. That is why, in our Constitution, we have Article 311, and every legislation states that if a civil servant does not act in good faith, he is protected. But you are saying that: 'Oh, now you should determine what is violation.' Then, why do we have courts. Let us close down the courts.

Sir, I want to give you another example. The recital of the Ordinance says that the Ordinance wants to ensure that the will of the officers of the GNCTD is represented. The officers have no will of their own. The only will that matters in our democracy is the will of the people that is expressed

through elections. This Bill which you have brought is horrible and absurd. It is patently absurd and horrible. It violates the principles of federalism. Why I say it is because the elected Government is being provided for, but the Administrative Officers under it are answerable to the Union Government. For any appointee, the principle of federalism clearly applies in this. You have an elected Government. The elected Government decides the policy and not the officials. I can understand the pressure which the Ministers are facing. But for God's sake, do not put your pains on other elected Governments. Here, it is patently wrong.

The hon. Home Minister is here. He quoted Pandit Nehru. Let me quote what Nehru said in Ludhiana's State Peoples' Conference in 1939.

Nehru said, and I quote:

> "The only final authority and paramount power that we recognise is the will of the people."

Then, in 1938, our freedom fighters moved a Resolution in Haripura stating that the 'Purna Swaraj' meant freedom for all of India including Princely States. The Resolution said that the only kind of a federation that can be acceptable is one in which the States participates as free units, enjoying the same measure of democratic freedom as the rest of the India. Now, the hon. Home Minister says that they will do a better job. Yes, we know it. You did a fantastic job when a law was protested. We know that you did a fantastic job by arresting people of only one community in the North-East Delhi riots. You did a fantastic job, which will be written in annuals of history, on January 26,

when the farmers protested. So, what is the point of taking on more responsibility when you cannot discharge these responsibilities?

Sir, at the same time, it is unfortunate that it is a lesson for this Delhi Government. You supported the removal of Article 370. So, what goes around comes around. You cannot shout, 'we are victims' now.

I want to know this from the hon. Home Minister when he replies. Atal Bihari Vajpayee's Government had tabled the Bill in this House for complete statehood. May be, you were there, Sir, at that time. You placed a Bill in this House for complete statehood. What is your policy? Why is the Government demeaning the dignity of this august House? Take your political fight outside this House. We want to know what is your position on that.

If you want to end this farce, remove this 69th Amendment. Remove this farce. There is no need of that Amendment.

Lastly, why are you opposing this man? He is your genetically modified product. He came out of your think tank. What went wrong? I am surprised. We knew that he was your man, and he is still your man. Ideologically, he is the closest to you. Maybe you want to keep him for some rainy day when you are not in power, but that is a different chapter.

I conclude by saying that I oppose this unconstitutional Bill, which violates federalism which is part of the basic structure of our Constitution. This is completely wrong. Moreover, I am warning all regional Parties that the day is not far when Bengaluru, Chennai, Hyderabad or Mumbai can become a Union Territory. Let us be careful. Thank you, Sir.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): *I thank you for giving me the opportunity to speak on the Delhi Bill. Aam Aadmi Party is shouting from roof-tops that States should be given more rights.*

Sir, there is a lot of talk going on about more power, especially from Aam Aadmi Party. Mr. Kejriwal who is travelling across the length and breadth of the country is demanding support for more powers for the State of Delhi. I would like to tell this august House that this Bill is nothing new. I do not know what the noise is about because all the things in this Bill have already been implemented in Punjab. Punjab is totally under the control of Kejriwal. A Leader of a small Union Territory is ruling the State of Punjab. He is asking for more powers over here, but he has suppressed every power of Punjab.

Sir, you will be surprised to know that पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है। पंजाब में एजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है। चीफ सैक्रेट्री, प्रिंसिपल सैक्रेट्री आदि सभी का फैसला केजरीवाल करता है। हमारे पंजाब की राज्य सभा की सीटों पर भी दिल्ली के लोग जा कर बैठते हैं तो ये कौन सी पॉवर्स की बात कर रहे हैं? … (व्यवधान) जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हैलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्डस और हमारा मुख्य मंत्री इनका ड्राइवर बन कर देशभर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग गुहार लगा कर मुख्य मंत्री से बोल रहे हैं कि पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बंटाने के लिए कर्नाटक के स्टेज पर चढ़े होते हैं, तो सर, ये कौन सी पॉवर्स की बात कर रहे हैं? हमारा स्टेट तो पूरी तरह से इनको आउटसोर्स हो गया है। इसलिए जो प्रैक्टिस ये करते हैं, उसको पहले तो ये प्रीच करें। हर तरीके से पंजाब के साथ … (व्यवधान)

..... English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

*The AAP has cheated the people of Punjab. Shri Kejriwal is trying to improve his image at the cost of people of Punjab. Money of Punjab is being wasted. From Kashmir to Kanyakumari, advertisements worth crores of rupees are being published and telecast in media and newspapers. This is sheer wastage of public money. The rights of Punjab are being trampled. Whether it is the claim of Punjab on our capital city, or the share of Punjab in river waters, the AAP has weakened Punjab's position in these matters. In Punjab, both the ruling party and the Opposition party *i.e.* Congress have united.*

It is amazing that in Punjab the Ruling Party and the Opposition Party have become one. Congress and Aam Aadmi Party have become one. The cat is out of the bag. They were always together. Now, it has been proved. What further proof is needed? They fought the elections together only to keep Akali Dal out. अब ये यहां पर कह रहे हैं कि ओहो! हमारे साथ विंडेटा हो रहा है, हमारे पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी है तो वहां पर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की विजिलेंस कांग्रेसियों के साथ क्या कर रही है? वे तो यही रो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की विजिलेंस हमें मार रही है। The Congress Party has totally disbanded and discarded its Punjab Unit, and they are only together for an unholy alliance. सर, लेकिन ये क्या करेंगे? अलायंस अनहोली नहीं है, I would call it a very 'holy' alliance क्योंकि कांग्रेस का इतिहास कौन नहीं जानता है। इन्होंने क्या नहीं किया है। इन्होंने पंजाब के टुकड़े-टुकड़े कर के इतने बड़े पंजाब को हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, दिल्ली, राजस्थान सब बना दिया। पंजाब के साथ जो ज्यादती की है, 12 सालों तक इन्होंने राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा कर रखा। ... (व्यवधान)

...... English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

HON. CHAIRPERSON: Please speak on the Bill.

… (*Interruptions*)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सिखों के कत्लों आम किए। … (व्यवधान) हमारे अकाल तख्त पर हमले किए। … (व्यवधान) This Party has always attacked Punjab and Punjabis, and now they have come together to attack … (*Interruptions*)

सर, ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और हरेक तरह की फेडरल चीज़ों की धज्जियां उड़ाई। सारे इंस्टिट्यूशंस पंजाब में वीक कर दिए हैं। आज ये दोनों खतरनाक लोग इकट्ठा हो गए हैं तो यह खतरे की घंटी है। … (व्यवधान) सर, लेकिन इनको भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। … (व्यवधान) क्योंकि ये भी जो कर रहे हैं, वह भी कोई खास चीज़ नहीं है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि हमारी रिलीजियस बॉडी एसजीपीसी है। SGPC is a democratically elected body by the Sikhs, and formed out of an Act of this Parliament. हम सिख, अपनी एसजीपीसी को इलेक्ट करते हैं, अपनी धार्मिक समस्याओं को चलाने के लिए। इंटर-स्टेट बॉडी पूरे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक की भी है। ये क्या करते हैं, वही जो ये सब करते हैं। They are interfering in our religious rights. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी हरियाणा की एसजीपीसी को तोड़ने के लिए बिल ये कांग्रेस ले कर आई और उस बिल को इम्पिलिमेंट इन्होंने किया। गुरूद्वारा और एसजीपीसी को बाहर कर के कब्ज़ा कर लिया और यह आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है, इनके तो सिख मुख्य मंत्री ने अपनी ही विधान सभा में बिल ला कर, हमारी एसजीपीसी के ऊपर एक लेजिसलेशन ला कर direct interference and total violation किया है, तो ये बिल फॉल्स है। ऐसा बिल किसी टू फेडरल स्ट्रक्चर में होता है।

18.00 hrs

ये सब गिरगिट हैं। कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है और इनकी सोच बदल जाती है।

Shri Prakash Singh Badal ji was imprisoned for 18 years because he championed the rights of Punjab. To protect Punjab's rights, he went to jail. I want to remind this party … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: यदि सदन की इजाजत हो तो समय को एक घंटा बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सर, इस हाउस का एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम पावर टू स्टेट की बात कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाते समय ही पंजाब सरकार और केजरीवाल की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन कर ली, जो कहती है कि "enables the Government to send and receive officials, ministers and other personnel". इसका मतलब है कि एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में एश्योरेंस के लिए मंत्रियों के नीचे आदमी लगा दिए गए हैं। आप देखिए कि उधर की जो ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ दिल्ली के प्राइवेट बंदे होते हैं। यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हैं। यहां आपने एक्साइज के बंदों को पकड़ लिया। यह सरकार जब पंजाब में पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है और हमारे खजाने का करोड़ों रुपये लूट ली तो उधर क्यों नहीं हाथ लगा रहे हैं? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आप उधर भी एक्शन लीजिए। मैं सवाल पूछती हूं कि किस बात की डिले है। कल आपके पास मेरा पत्र आएगा। आप अगले हफ्ते तक एक्शन लीजिए। वहां करोड़ों रुपये की …** लूट कर रही है। मैं पत्र लिख रही हूं। कल आपके पास यह पत्र आ जाएगा।… (व्यवधान)

सर, मैं यह भी बता दूं कि यह सरकार पंजाब के करोड़ों रुपये लूट रही है। मैं आपको यह भी दिखा देती हूं। गुजरात के इलेक्शन में सबसे ज्यादा फेसबुक की ऐड पंजाब की सरकार ने दी है। उधर केजरीवाल जी इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं आपसे यही कहती हूं कि आप इस इंस्टीट्यूशनल रॉबरी को रोकिए। I would end by saying कि प्रकाश सिंह बादल जी ने वर्ष

…… English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

** Not recorded.

1996 में बीजेपी के साथ प्री पोल अलाएन्स किया था। उसमें बादल साहब ने कहा था कि "Now, the regional parties and national parties who believe and strive for the internal autonomy of the States by giving more powers to them are coming together". यह हमारे अलाएन्स के पहले की बात है। "Shiromaniomani Akali Dal is very keen to cooperate with them. We want and demand that the Constitution of India should be shaped in such a way that it should be able to fulfil the hopes, aspirations, and desires of different regional, linguistic, ethnic, religious, and social groups of the country".

Today, I will request this Government कि आप इस डिक्लियरेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए। उस समय आपने जो बोला था, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। So, Akali Dal does not trust them or the Aam Admi Party. ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। They do not practice what they preach. मैं कहना चाहती हूं कि Punjab does not stand with any Government. आज यहां फेडरलिजम की चर्चा हो रही है, यह बड़ी अच्छी बात है। आप ट्रू फेडरलिजम पर बिल लेकर आइए। सबसे पहले हम आपके साथ खड़े होंगे।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी पार्टी का भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का समर्थन के लिए यहां पर खड़ा हूं।

महोदय, मैं शुरुआत में ही सदन, देश और विपक्ष को बताना चाहता हूं। हम जिस दिल्ली की बात करते हैं, वह एक यूनियन टेरिटरी है, कोई राज्य नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार राज्य का अधिकार मांगा जा रहा है। विपक्ष के ये सारे दल गठबंधन बनाकर आज उनका समर्थन कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत ही विचित्र बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न जाने कैसा-कैसा अपशब्द बोला है। यहां पर कांग्रेस और डीएमके के लोग बैठे हैं। जितनी भी पार्टियां आज उनका समर्थन कर रही हैं, उन सारी बातों को सोच कर अपमान जैसी स्थिति हो जाती है कि उन्होंने

कैसी बातें गठबंधन को बोला। आज ये सारे नेता उनके साथ बैठकर सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी बात को दो लाइनों से शुरू करूंगा-

"जिनका विरोध करने राजनीति में उतरे,

आज करने को गठबंधन, उनके यहां पर प्राइवेट जेट से उतरे।"

वे सारे राज्यों में जाकर ऐसे प्रधान मंत्री जी को हराना चाहते हैं जो प्रधान मंत्री जी आज हमारे देश के गरीबों की चिंता कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने 60 सालों में आज तक कभी नहीं की।

मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली, हम जिसको भारत का दिल कहते हैं, वह देश की राजधानी है। विश्व में जितने बड़े-बड़े देश हैं, वहां की जो राजधानी होती है, उसके संचालन का अधिकार वहां की केन्द्र सरकार के पास होता है। हमारी दिल्ली में यह संसद भवन भी है, तो हमारी दिल्ली में सारी नेशनल एजेंसीज़ के हेडक्वार्टर्स भी हैं। हमारी राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो हमारी राजधानी दिल्ली में विदेश की सारी एंबेसीज़ भी हैं। अब ये सारे अधिकार किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चलाने के लिए नहीं दिए जा सकते। जब आज हमारी राजधानी दिल्ली की बात आती है तो हमारे देश की छवि, हमारे देश की विश्वसनीयता, हमारे देश का वैभव, हमारे देश की प्रतिष्ठा, ये सारे विश्व के पटल पर ताक पर होती हैं। देश का ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां के लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। हम दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। … (व्यवधान) मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम यह बार-बार कहते हुए सुनते हैं कि मुझे राज्य के अधिकार चाहिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार चाहिए। एक आदमी दुकान पर टीवी खरीदने के लिए जाता है और वह वहां पर सारा मुआयना करके बोलता है कि मुझे यह वाला टीवी खरीदना है। वह दुकानदार बोलता है कि आपको यह वाला टीवी नहीं देना है। वह अगले दिन फिर मफलर पहनकर जाता है, फिर कहता है कि मुझे ये वाला टीवी चाहिए, तो वह दुकानदार फिर से मना कर देता है। वह अगले दिन फिर टोपी पहनकर, मफलर पहनकर जाता है, बोलता है कि मुझे ये वाला टीवी चाहिए। वह दुकानदार उसे फिर से मना कर देता है। वह आदमी पूछता है कि आप यह मेरे को क्यों नहीं बेच रहे हैं? वह दुकानदार कहता है कि यह टीवी नहीं है, माइक्रोवेव है। दिल्ली

के मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि मुझे राज्य के अधिकार चाहिए। यह राज्य नहीं है, यह देश की राजधानी है और हमारी यूनियन टेरटिरी है। हमारी दिल्ली में कोई भी सर्विस कमीशन नहीं है। हमारी दिल्ली का कोई भी कैडर नहीं होता है। सारे आईएएस, आईपीएस आफिसर यूटी कैडर के बोले जाते हैं। हमारे देश की आठ जो यूटीज़ हैं, दिल्ली के अधिकारी इन सारी यूटीज़ में सर्विस करते हैं। एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सारी यूटीज़ का अधिकार दे देना कि हमारे दिल्ली के अधिकारी का ट्रांसफर, दिल्ली के मुख्यमंत्री लक्षद्वीप में करेंगे, जम्मू कश्मीर में करेंगे, लद्दाख में करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सम्भव ही नहीं हो सकता है। वे जो अधिकार मांगते हैं, वह क्यों मांगते हैं? वे अधिकार इसलिए मांगते हैं कि उनके जो उपमुख्यमंत्री हैं, वे पिछले छ: महीने से जेल में हैं, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे पिछले डेढ़ साल से जेल में हैं। आज वे जिस कोर्ट की बात करते हैं, वही कोर्ट उनको जमानत नहीं देती है। डेढ़ साल से जो स्वास्थ्य मंत्री वहां पर …* रहा है, वह कौन से आरोप में जेल गया, वह हवाला के आरोप में गया और जो दिल्ली का उपमुख्यमंत्री है, वह शराब घोटाले में जेल में गया और इनका एक मंत्री एक महिला की इज्जत लूटकर राशन कार्ड के नाम पर जेल गया। ऐसे-ऐसे इनके मंत्री, जो जेल में जा रहे हों और जिनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। वर्ष 2013 में, मैंने भी विधान सभा का चुनाव लड़ा था, मैं भी विधायक बना। कांग्रेस के समर्थन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा।

कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बनायी। उस सरकार को क्यों गिराया? जन लोकपाल के मुद्दे पर सरकार गिरा दी। आज साढ़े आठ साल हो गए, लेकिन दिल्ली में जन लोकपाल नहीं आया। दिल्ली के लोगों को इतना …* व्यक्ति मिला है।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Not recorded

इस सदन को जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साढ़े आठ साल से सरकार में हैं। साढ़े आठ साल में वह आठ बार भी सचिवालय नहीं गए। वे सारे आईएएस ऑफिसर को अपने घर पर बुलाते हैं। एक बार दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव …* को रात में अपने घर बुलाकर अपने विधायकों द्वारा पिटाई कराई, वह केस आज भी चल रहा है। क्या कोई सोच सकता है कि एक मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को पिटता हो, एक मुख्यमंत्री आईएएस ऑफिसर को बुलाकर बेइज्जती करता हो, वहां पर उनको गालियां देता हो। फिर ये बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार हमें मिलना चाहिए।

जब दिल्ली में कोविड आया तो दिल्ली के इसी मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों को संभालने की बजाए, यूपी और बिहार के लोगों को संभालने की बजाए लाखों लोगों को बार्डर पर मरने के लिए भेज दिया कि आप अपने-अपने राज्य चले जाइए।

हमारी सरकार थी, हमारे गृह मंत्री जी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने दिल्ली में हॉस्पिटल्स बनाएं, हमारे लोगों को वैक्सीन्स दी, हमारे लोगों को इंजेक्शन्स दिए और दिल्ली के लोगों की जान बचायी। वरना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमको मरने के लिए छोड़ दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, वे कहते हैं कि बिहार के लोग केवल पांच सौ रुपये का टिकट लेकर दिल्ली में लाखों का इलाज कराकर चले जाते हैं। यहां पर नीतीश कुमार जी के सांसद बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप हमारे बिहारियों के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं। … (व्यवधान)।

दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं और यहां की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। मैं डीएमके से पूछना चाहता हूं कि कभी आपने पूछा कि हमारे बच्चों को दिल्ली में पढ़ने के लिए क्यों मना करते हैं? ये गठबंधन तो कर रहे हैं लेकिन वह इनको गाली दे रहे हैं। जब यह बिल पास होगा तो यह गठबंधन ताश के पते की तरह गिर जाएगा, ढह जाएगा।

---

* Not recorded

18.11 hrs

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो उनकी सुरक्षा भी करते हैं, उनके मंत्रियों की भी सुरक्षा करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, … * अगर ऐसा कोई शब्द का प्रयोग करेगा तो क्या कोई आईपीएस आफिसर उसके अंदर काम कर सकता है? हम उसको दिल्ली पुलिस संभालने के लिए अधिकार दे सकते हैं? दिल्ली में सबसे पहले विधान सभा का चुनाव वर्ष 1993 में हुआ। उसके बाद से जब तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब तक किसी सरकार ने कोई शिकायत नहीं की। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी तो केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती थी। मगर आपस में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई।

यह पहली बार वर्ष 2014 के बाद हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे वायदे पूरे नहीं कर पाए। वह अपनी विफलता के कारण एलजी को दोष देते हैं, प्रधानमंत्री जी को दोष देते हैं। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाऊंगा, एक भी स्कूल नहीं बनाया। वह कहते थे कि 50 कॉलेजेज बनाऊंगा, एक भी कॉलेज नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया।

जब भी चुनाव आता है तब वह बड़े-बड़े वायदे करते हैं। मैं आपको बिजली दूंगा, पानी दूंगा, तब कोई ऑफिसर उनको नहीं रोकता, तब हमारे उप-राज्यपाल उनको नहीं रोकते। मगर जब वह काम नहीं कर पाते हैं तो उप-राज्यपाल और प्रधानमंत्री जी का बहाना लेते हैं। आज ऐसी हालत हो गई है कि आज इनकी सारी सरकार जेल में है। घोटालों से इतना कमा लिया है कि अब तिहाड़ जेल को ही पार्टी कार्यालय बना लिया है। सारे मंत्री जेल जा रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। यहां पर गठबंधन के जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उसे अधिकार देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी

---

* Not recorded

इसने कुछ समय पहले दिल्ली में फीडबैक यूनिट बनाया था। उस यूनिट में इसने एलजी ऑफिस का, सभी सांसदों का, सभी बीजेपी के विधायकों का, आईएएस और आईपीएस अफसरों का फोन टैप करना शुरू कर दिया था।

यहां गठबंधन के लोग बैठे हैं, अगर आप अधिकार दे देंगे तो आपके सारे फोन भी …* टैप करेगा फिर आपको ही चिंता होगी, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। मैं आखिर में दो लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं –

"अन्ना आंदोलन के वे महान् उसूल, सारे यमुना में बह गए
और रामलीला मैदान से निकलकर सर जी
आज केवल अपने विज्ञापन में सिमटकर रह गए ।"

यह केवल विज्ञापन की सरकार है। 13,000 करोड़ रुपये के विज्ञापन से यह सरकार चल रही है और कोई कारण नहीं है, इसलिए मैं सारे सदन से हाथ जोड़कर कहूंगा कि इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद ।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Hon. Chairperson, Sir, thank you.

Hon. Chairperson, Sir, this is a very paradoxical Government. Where it has to intervene, it does not intervene, and where it should not intervene, it meddles. Manipur is burning. Hundreds of people are dead. Ethnic violence is happening there. Women are murdered. Looting and arson is happening. This Government has Articles 355 and 356, which it can use to intervene, but it does not choose to intervene. But it intervenes in places where its political capital is low. Like in Kashmir, they abrogate Article 370, degrade a State, demote a State, and make it into two Union Territories because they do not

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

have a political capital there and they need to dismember it. That is exactly what they are doing to Delhi with its anti-federal and a pro-colonial law. They have lost successive local elections here. They have lost successive State elections here. So, in order to meddle, they are bringing in this law here. They do not want to act when Manipur is burning. They were mute and blind to the atrocities which were happening there but they want to meddle in places where their political capital is low.

Hon. Chairperson, Sir, this Bill is totally anti-federal and completely colonial. An unelected Lieutenant Governor with unbridled power reeks of colonialism. Our hon. Prime Minister always says that this country has to move away from its colonial past. But I will tell you that this Government is more colonial than our past colonial masters. They want unelected people and unelected representatives of theirs to rule over the population.

Hon. Chairperson, Sir, other colleagues have all alluded to Sections here. The National Capital Civil Service Authority (NCCSA) is made up of three people, two of whom are bureaucrats – one is the Chief Secretary and the other is the Principal Home Secretary, and the third one is the Chief Minister. The two of them can overrule the Chief Minister. The two of them can even convene a meeting because the quorum is only two. On top of that, if by some chance there is unanimity among all three, the Lieutenant Governor can overrule them. In fact, by the vehemence of the speeches from my colleagues on the other side, particularly the MPs of Delhi, I think the real job they all want

is to be Lieutenant Governor and not contest the next election as MPs. That is why, they are all supporting this Bill with such great vehemence.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude your speech. You have got only three minutes' time.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: Hon. Chairperson, Sir, this Bill goes against the federal spirit. This Bill goes against the sentiments expressed by the hon. Supreme Court. This Bill is going in this path because of their brute majority. You have such a big majority and you can pass any law. Tomorrow morning, you can say that all the crows are white, and you can pass a law and that will also get passed in this House. I do not expect that you would change your minds about anything.

Hon. Chairperson, Sir, this Bill will lead to a path like what is happening in Israel today, a country which they profess great friendship with. It always baffles me how the Ruling Party says that they are friends with Israel, but they admire Hitler.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much. Please conclude.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: Sir, this Bill will one day negate the hon. Supreme Court of India. Like what is happening in Israel, there will be civic strife there.

Hon. Chairperson, Sir, mark my words. India is watching. India is angry. India will give you a befitting reply for your anti-federal and pro-colonial laws which you are bringing in.

Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: You have three minutes. Kindly conclude in three minutes.

*SHRI K SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I strongly oppose this Bill on behalf of Communist Party of India.

HON. CHAIRPERSON: You have three minutes. Kindly conclude in three minutes.

*SHRI K SUBBARAYAN :** Ok Sir. This Bill is vindictive and unconstitutional. This Bill has been introduced with an intent to destroy our democratic values. Therefore, on behalf of Communist Party of India I strongly oppose this Bill. Firstly, the Union Government has brought this Bill to punish Shri Arvind Kejriwal, who has been elected by the people of Delhi. This Bill is a testimony to the fact that BJP do not have the democratic value of tolerating those who defeated them in elections. Hon. Supreme Court has given a verdict against the Union Government. This Union Government has now attempted to dilute the verdict of the Hon. Supreme Court. I therefore strongly oppose the undemocratically, unconstitutionally drafted Bill and I stress that this Bill should be withdrawn. Similarly, in the democratic political set-up, who is vested with powers? People's representatives who are directly elected by the people have the powers. With a malafide intention of making the public representative, i.e. the Chief Minister of Delhi, Shri Kejriwal powerless, this Union Government has brought two Bureaucrats from the Union to be part of the Delhi State Civil Services Authority. Are they truly democratic? If they are to uphold the

---

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

democratic values, they would have given powers to the Chief Minister who is elected by the people of Delhi. On the contrary, they are trying to appoint two bureaucrats, the ones who can act as per their whims and fancies, in the Authority. This is aimed to dilute the powers of the elected representatives. I strongly condemn this. Generally, BJP can never tolerate those who have different ideologies or those who talk against them. They show their vindictive attitude. This Bill is in a form that highly vindictive. Therefore, I stress that this Bill should be withdrawn as it is undemocratic and unconstitutional. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much.

Sir, I rise to oppose this Bill as well as the Ordinance because it is the draconian legislation the Parliament has seen during the last six decades of Independence.

Sir, it is totally anti-democratic anti-federal and it is authoritarianism of the Union Government of India with the centralisation of power.

Sir, the ulterior motive, the malafide intention behind this is just to curb and destruct the proper functioning of the democratically elected Government of Delhi. That is the sole political ulterior motive behind this Bill. There is nothing of merit in this Bill. That is why, I am strongly opposing the Bill.

Sir, what is meant by democracy? The populistic definition of democracy is, 'the Government is of the people, by the people and for the people'.

Sir, what is the content of the Bill? If you critically examine, this is by the bureaucrats, of the bureaucrats, and for the Union Government. It is just to

score the political motives and political gains of the Government at the Centre, that too, led by BJP. So, that is the sole intention behind this Bill.

A popular Government got consecutively elected in the Assembly - not only in the Assembly elections, but also in the local body. They have proved their mettle. The people are with the Delhi Government. So, if you are having any laches on the part of the Government, there are so many other options by which the Government can be corrected. This is not the way by which the State Government has to be dealt with - that is by bringing a legislation without amending the Constitution. The basic feature of the Constitution is being taken away; is being violated without any justifiable means; and without any justifiable reason.

See the way in which it was brought in. It is through the Ordinance promulgation. Article 123 is very clear and specific. Most of the Members have specifically stated in the House that only during the extraordinary exceptional circumstances can an Ordinance be promulgated under Article 123 of the Constitution.

On 11th May, 2023, the Supreme Court Judgement has come. Within eight days from the date of pronouncement of the Judgement, promulgation of an Ordinance has come from Her Excellency, the President of India.

What is the exigency and what are the exceptional circumstances by which the Ordinance was promulgated? Let the hon. Minister explain and convince the House.

Coming to the principles of federalism, since the case of Kesavananda Bharati, the basic federal character is the foundation of the Constitution. That is being disturbed. So, it is unconstitutional and in violation of all the basic principles of the Constitution

Coming to certain provisions of the Bill which have already been stated by Shrimati Supriya Sule and Dr. Shashi Tharoor, kindly examine Section 45C. The rule-making power is exclusively with the Central Government. What is the scope of the State Legislative Assembly? Rule-making is a legislative function of the State. The legislative function of the State is being taken by the Union Government. Only the Union Government is having the authority to promulgate or pronounce or make rules. Then what for is the State Government existing? The legislative functions of the State Government are being taken away by Section 45C. We have repeatedly spoken about the three Member Committee. It is bureaucracy versus democracy. Bureaucracy overrides democracy. Is it the policy of the BJP? Is it the cooperative federalism pronounced by the Prime Minister always in his speeches? All the powers like transfers, postings, penalty, wages, and salaries will be determined by the Union Government and the National Capital Civil Services Authority is the ultimate body.

I would like to draw the attention of the hon. Home Minister who is piloting this Bill to one point. You may kindly see Section 45J. Nobody has mentioned this point. It is on preparing a Cabinet note. You dissolve the Government. Why is a State Government required? Why is a political

executive required? Even before preparing a Cabinet note for the Council of Ministers, it has to be intimated and informed to the Lieutenant Governor. That will be at the discretion of the Lieutenant Governor. What is the collective responsibility of the elected Government in a State? Why should it be? If preparation of Cabinet note, transfer, posting, and everything are dealt with by the Lieutenant Governor, then there is no need of an elected Government in the State of Delhi. You please dissolve that Government and have the administration from the Centre. That is the best way by which you can rule the State of Delhi.

There are many other means by which the Government of India can intervene. I am not going into any political issues like Manipur. This is absolutely a draconian legislation *ultra vires* the Constitution. The basic democratic federal principles are being taken away by this legislation.

So, I strongly oppose the Bill as well as the Ordinance which is lacking *bona fides*. With these words, I conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): धन्यवाद सभापति महोदय । आज सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व दोनों पक्षों के वरिष्ठ सांसदों ने इस पर लंबा-चौड़ा भाषण दिया। अच्छा यह होता कि जब सदन चालू हुआ, उसके एक-दो दिन बाद ही बैठकर यह तय हो जाता तो हमारे 15 दिन बेकार नहीं जाते। 15 दिन ऐसे ही चले गए। … (व्यवधान) यह बात तो बैठकर वैसे ही हो जाती। … (व्यवधान) सदन नहीं चलाने में आप लोग भी साथ थे । … (व्यवधान)

सभापति महोदय, जब हमने इसके उद्देश्यों और कारणों की तरफ देखा तो ध्यान में आया कि इसका उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 में संशोधन करना

है। इससे केन्द्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तों सहित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के कार्यों के सिलसिले में नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा।

सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या सदन में पढ़कर सुनाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह कहा था कि जो अध्यादेश आप लाएं हैं, वह गलत है। उसके बाद, केंद्र सरकार ने 19 मई को यह अध्यादेश लाकर न केवल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया बल्कि निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश भी की है। … (व्यवधान) बालियान जी, मुझे बात तो करने दीजिए। आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री हनुमान बेनिवाल जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: सर, मुझे शुरुआत तो करने दीजिए। मैं धीरे-धीरे फ्लो में आऊंगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके पास तीन मिनट है। आपको तीन मिनट में कन्क्लूड करना है।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के प्रभाव को भी खत्म किया है। इससे यह साफ हो गया है कि एनडीए की यह सरकार संविधान, लोकतंत्र के संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है।

मैं सरकार द्वारा लाए गए इस बिल की बारीकियों में न जाते हुए, सरकार की इस बिल को लाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को नकारने वाला यह बिल असंवैधानिक है। अनुच्छेद 239एए में साफ-साफ कहा गया है कि दिल्ली में एक विधान सभा होगी, जबकि अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में …(व्यवधान) आपके कई सांसद यह कह रहे थे कि दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है, लेकिन आप इसको पढ़िए कि दिल्ली में

एक विधान सभा होगी, जबकि अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में विधान सभा हो भी सकती है और नहीं भी। यह दिल्ली को भारतीय राज्यों के समान एक सामान्य संघीय ईकाई बनाता है, जिससे दिल्ली सरकार को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। सभापति महोदय, यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हैं। मैं इनसे यह आग्रह करूंगा कि इस देश में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जो आपके एनडीए में भी थीं, आप इन छोटी पार्टियों से न डरा करें। ये कहीं न कहीं हमेशा आपकी मदद करती रही हैं। ये हर जगह मदद करती हैं। इनसे कुछ भी नहीं होगा। सही बात तो यह है कि आप दिल्ली की विधान सभा का चुनाव न जीतने से परेशान जरूर हैं।…(व्यवधान) आप इनका पीछा न करें, क्योंकि आप जितना इनका पीछा करेंगे, ये उतना ही जीतकर आएंगी, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। महोदय, मेरा गृह मंत्री जी से एक निवेदन है। जो सरकार चुनी जाती है, वह जनता की सरकार होती है। आपको उस सरकार को काम करने का अधिकार देना चाहिए। आप बड़ा मन रखकर उसको काम करने का अधिकार देंगे, तभी यह खूबसूरत लोकतंत्र कहलाएगा। हिन्दुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राज्य से जुड़े हुए विषय पर निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार राज्य को मिले। मेरा आपसे ऐसा आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वह यह कहता है कि हम दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आप अपने मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं कहते, या तो वह झूठा है, या फिर ये झूठा है। मंत्री जी, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि दिल्ली के जितने भी सासंदगण हैं, ये मेरा विशेष ख्याल रखते हैं। आज ये सब पर्ची देकर कह रहे थे कि जैसे ही गृह मंत्री जी सदन में बैठें, तब मेरा भाषण कराओ। ये लोग जिद कर रहे थे । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, बिधूड़ी जी, मनोज तिवारी जी और प्रवेश वर्मा जी ने अच्छा भाषण दिया है। इनकी पर्फार्मेंस को देखते हुए, मंत्रिमंडल में विस्तार के समय इनका भी नंबर लगाइए। …(व्यवधान) मेरा एक और आग्रह है कि आप मणिपुर और हरियाणा की तरफ भी ध्यान दीजिए। गृह मंत्री जी, आपने एनडीए की बैठक बहुत लेट बुलाई है। आपको साढ़े चार साल तक याद नहीं

आई। अबकी बार तो ऐसे दलों को बुलाया है, जिनकी पार्टी का एक भी एमपी नहीं है। लंबी सूची पढ़कर सुनाई गई कि एनडीए के अंदर के इतने दल हैं। उनका क्या करेंगे?...(व्यवधान)

महोदय, मैं बस अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं इधर भी तो कुछ वार करूंगा । …(व्यवधान) ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात बार-बार उठाई जा रही है। यह सही बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया था और उन्होंने खुद की पार्टियों के मंत्रियों को जेल में डाला था। यह सही बात है। कई सरकारों को बर्खास्त किया।…(व्यवधान) दोनों मिले हुए हैं, मैं तो यह कहूंगा। …(व्यवधान)

*__श्री सुशील कुमार रिंकू (जालंधर):__ Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. Sir, this Bill contravenes the judgement of Supreme Court regarding governance of Delhi. This Bill is beyond the purview of the Parliament. This Bill usurps the powers of an elected and popular government. This Bill grants all powers to the bureaucrats of the Central Government. It is anti-democratic and will weaken democracy. Elected representatives will take a back seat. This Bill destroys the federal structure of the country and is against the Constitution framed by Baba Saheb Shri Bhim Rao Ambedkar. So, this Bill should not be passed at all. Several members have passed all kinds of remarks regarding our Party Chief and the Chief Minister of Punjab. Some accused him of taking opium and being an addict. Sir, Punjab provides food to entire country. It is the granary of the country. Punjab has a population of 3 to 3.5 crores and Delhi has a population of 2.5

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

crores. Delhi Police is under the control of Central Government. One should be ashamed that more drugs are being sold in Delhi than in Punjab.

Sir, our Delhi CM has provided free electricity to people and reformed the health system. Welfare schemes for people are being run. Derogatory comments have been made against the Delhi CM. He has been called 'Duryodhan', If providing welfare schemes to people is becoming 'Duryodhan', we should have such 'Duryodhans' in every State. He works in the interest of the people. In Punjab, 32,000 jobs have been provided to people of Punjab. This is the Government of our Aam Aadmi Party. 13,000 adhoc teachers were made permanent. We try to serve the people of Punjab and country.

I oppose this Bill tooth and nail. It destroys the federal structure of the country. It is against the ideology of Dr. Bhim Rao Ambedkar. We oppose it totally.

Waheguru ji Ka Khalsa,

Waheguru ji ki Fateh.

Jai Bhim.

Jai Bharat.

श्री अमित शाह : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत अच्छा लगा कि बहुत समय के बाद संसद में चर्चा हो रही है। चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, मगर जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए संसद बनी है, आज उसके मकसद को पूरा होते हुए देख रहे हैं।

<u>18.37 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ, उसमें अधीर रंजन चौधरी से लेकर सुशील कुमार रिंकू तक 26 सांसदों ने हिस्सा लिया है। किसी ने पक्ष में बात

की, किसी ने विपक्ष में बात की, किसी ने पार्टी लाइन पर बात की, किसी ने अपने मन की बात की, परंतु आज चर्चा हुई, इसका मुझे आनन्द है। मेरा एक छोटा सा सवाल विपक्ष के सारे मित्रों से है कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर यह सत्र जब से शुरू हुआ है, तब से 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी-अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे और हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा कि पीएम आकर जवाब दें। पीएम आएंगे, तभी संसद चलने देंगे। आज क्या हो गया है? मैं तो स्वागत करता हूं कि आपने चर्चा की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? अगर डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है? किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषयों के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, न डेमोक्रेसी की चिंता है, न देश की चिंता है, न जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए ये सारे लोग यहां आए हैं।

आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए, लेकिन आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई और आप लोगों ने ही बहुत स्पष्ट कर दी। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा और सबको पढ़ा। सब बड़ी-बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाएं।

माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो भी कारण हो, लेकिन मणिपुर उनके ऐब्सेंट रहने का कारण नहीं है। मैंने पहले दिन से ही यहां पर कहा है कि मणिपुर पर जितनी भी लंबी चर्चा करनी हो, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हर चीज का जवाब दिया जाएगा और जवाब मैं दूंगा।... (व्यवधान) मैं दूंगा जवाब।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक ही प्रॉब्लम है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूँ कि जनता है, जो सब जानती है, उनके मन में कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती

है। आज आपने अपने आपको यहां पर एक्सपोज कर दिया है। मैंने पूरी चर्चा को सुना है। प्रेमचन्द्रन जी से लेकर सारे सदस्य, जो विषय पर बोलें, मैंने ध्यानपूर्वक नोट्स भी पढ़े हैं और सुना भी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है। यह तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है, जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीकों को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं आए थे, बल्कि आप ही लाए थे। 69वां संविधान संशोधन आप ही लेकर आए थे। आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अनुच्छेद 239एए (3)(बी) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उससे संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं समझता हूँ कि आप समझकर ही बोले होंगे। आप समझते हैं, मगर पॉलिटिकली बोले होंगे। मैं ऐसा समझकर बोलता हूँ कि आप नहीं समझे होंगे। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश और राजधानी क्षेत्र, ये संविधान में अलग-अलग एन्टिटीज हैं। अभी किसी सदस्य ने कहा कि आप कल को किसी भी राज्य में ऐसा कर सकते हैं। भाई, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य के काम में दखल नहीं दी जा सकती। यहां संसद दखल इसलिए कर सकती है, क्योंकि 239एए (3)(बी) के अन्दर इस संसद को आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, तब से अधिकार दिया हुआ है। अभी किसी को लगता है कि मेरे अधिकार कम हैं तो चुनाव लड़ने से पहले आर्टिकल 239एए (3)(बी) पढ़ना चाहिए था। अब पढ़े नहीं, लड़ लिए और कहते हैं कि मेरे अधिकार कम हैं। मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सारे विपक्षी दलों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1993 में यह राज्य बना तथा वर्ष 1993 से वर्ष 2015 तक इन्हीं नियमों के अनुसार उस वक्त भी सर्विस केन्द्र सरकार के हाथ में ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रेटेशन किया और इंटरप्रेटेशन करके यह भी कहा कि अगर आपको सर्विस हाथ में लेनी है तो कानून बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हम कर रहे हैं। वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2015 तक किसी भी मुख्य मंत्री का कभी भी झगड़ा नहीं

हुआ। आप भी आए, हम भी आए। ऊपर हम भी थे, आप भी थे। अधीर रंजन जी मैं आपका बखान कर रहा हूँ, आप समझिए कि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आएं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आएं, उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करना पड़ेगा और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो। अब क्या कर सकते हो? आपको दिल्ली की जनता ने चुना है। आप झगड़ा करना चाहते हैं। रूल्स बनाने के पावर के बारे में अभी किसी सदस्य ने कहा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्ट बनाने का अधिकार जिसके पास है, उसी के पास रूल्स बनाने का अधिकार रहता है। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है तो एक्ट के रूल्स बनाने का अधिकार भी उसी के पास है। यह एक बेसिक समझ का विषय है।

आपने कैबिनेट नोट का सवाल किया है। इसमें भी आप गलत भ्रांति खड़ी कर रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कैबिनेट नोट के विषय में आज कोई भी राज्य हो, आपकी कई राज्यों में सरकार है, वहां भी कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव के साइन से ही कैबिनेट में जाता है। फाइल पर मंत्री का अप्रूवल होता है।

यहां पर क्या होता था? जब घपले-घोटाले वाले कैबिनेट नोट हो, तो वह सचिव के पास नहीं जाती थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिगनेचर से, पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में माननीय अध्यक्ष जी, कोई कैबिनेट नोट गई है, ऐसा सुना है। मंत्री के सिगनेचर से यह कभी नहीं जाती। इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था। रूल्स के हिसाब से चले, उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। वर्ष 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ। उसने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1955 में दिया। उसके पहले पट्टाभि सितारमैया की कमेटी बनी। उसके बाद वर्ष 1956 में संविधान संशोधन करके इंडियन टेरिटरी की अवधारणा आई। इसके साथ-साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट-1957, नगर

निगम अधिनियम लागू कर दिया गया और वर्ष 1987 में जब सरकारिया कमेटी बनी, उसके बाद दिल्ली को राज देने का निर्णय किया गया। आर्टिकल 239एए के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया है। जो रिपोर्ट है, मैं इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूं। पहले मैंने जवाहर लाल नेहरू जी को पढ़ा, अम्बेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी अम्बेडकर जी के बारे में कह रहे थे कि अम्बेडकर जी की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तो अम्बेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि केन्द्र के तहत रहना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, बालकृष्णन रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा। मैं कोट-अनकोट कहता हूं:

"दिल्ली की कार्य प्रणाली और सेवा प्रणाली केन्द्र सरकार के अधीन होनी चाहिए।"

संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में यह बात, इस रिपोर्ट को कोट किया और उन्होंने कहा कि बालकृष्णन समिति ने पूरे विश्व की राजधानियों की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणालियों का अध्ययन करके ही प्रस्तुत किया है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। उस वक्त गृह मंत्री कांग्रेस के थे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप एक अंगुली हमारे सामने करते हैं, तो तीन अंगुलियां आपके सामने होती हैं। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त उचित ही किया था और आज हम जो कर रहे हैं, वह भी उचित ही कर रहे हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हैं। आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे, तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई, आप और दो-तीन लोगों को ढूंढ़ कर लाओ, जितने हो सके, उतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ जनता के सामने इतना एक्सपोज न हो। हर बिल आता है तो कहते हैं, नहीं, मणिपुर पर चर्चा हो। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे। यहां आ जाएंगे । मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। देखो, सभी इकट्ठा हो कर सामने बैठे हैं और 130 करोड़ जनता को बताते हैं

कि हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति में हैं। आप बाहर जाकर मीडिया को बताइए। अगर यह नहीं है, तो सारे बिल्स में क्यों ऐबसेंट रहे। क्या सारे बिल्स महत्वपूर्ण नहीं हैं? सारे बिल्स महत्वपूर्ण हैं। आपको यहां रहना चाहिए था। मगर यह बिल इस लिए महत्वपूर्ण है कि यह बिल आपके गठबंधन को क्षति पहुंचाता है। मैं एक बात आगे कहता हूं कि यह बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी, आपको बाय-बाय कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात आई कि अध्यादेश क्यों लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11.05.2023 को संविधान पीठ ने एक फैसला लिया। संविधान पीठ के फैसले को यदि कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वह फैसला कहता है, इन-ए-वे संविधान पीठ ने दो जजों की खंडपीठ, बेंच का गाइडेंस किया है, फाइनल निर्णय दो जज की बेंच ने करना है। अभी उसकी डेट लगी भी नहीं है, मैटर लगा भी नहीं है। 11.05.2023 को जजमेंट आया और 11.05.2023 को ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के मंत्री ने अपने सिग्नेचर से एक परिपत्र घोषित कर दिया। मैं फिर से कहता हूं, परिपत्र सचिव करते हैं, यहां मंत्री करते हैं, आज 5.30 hrs तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पर तैनात किए जा सके, सचिव, सेवाएं की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी है। इन प्रिंसिपल निर्णय किया है। इसके ऊपर दो जजों की बेंच ने निर्णय करना है, इसको घोषित करना है। आप अमल करने के लिए कह रहे हो। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी कि सेवा विभाग के सचिव श्री आशीष माधवराव मोरे का ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्यान देने की बात है, जो मैं कह रहा हूं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि 11.05.2023 के निर्णय के पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो अभी बैठी ही नहीं है। इन्होंने शाम को ही इम्प्लिमेंटशन चालू कर दिया। इसके बाद सतर्कता (विजिलेंस) विभाग के मंत्री जी ने सभी सहायक निदेशकों को आदेश दे दिया कि

विशेष सचिव, सतर्कता विजिलेंस के सचिव को रिपोर्ट मत करिये। ऐसा क्यों? अभी जजमेंट नहीं आया है। अब मैं आपको कारण कहता हूं और इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको बताता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बनाया गया। अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा। रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने के पानी की चिंता करेगा, साफ-सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा, इन्होंने विजिलेंस की चिंता की। साहब, इनके साथी की प्रायरिटी तो देखिये कि विजिलेंस की चिंता की। भला विजिलेंस की चिंता क्यों की, इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाला था? मैं बताता हूं। विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बनाया गया कि इसमें बहुत सारी संवदेनशील फाइलें बंद पड़ी हैं। वे कौन सी फाइलें थीं, जरा आप ध्यान से सुनना, जिसके बारे में बड़ी-बड़ी आवाज से ऑर्ग्युमेंट्स कर रहे थे। उनका एक्ट सुनना, आबकारी घोटाले से संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल। न्यायालय ने जो आदेश किया था, इसका ऑपिनियन जो देना था, वह फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत् उनके पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में गए। अब वह फाइल कैसे इनके हाथ में दें। मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे से संबंधित शीश महल की फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते। दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वह 90 करोड़ रुपये पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी इस सतर्कता विभाग में थी।

माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दी । अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो। यह एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता है। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपये खर्च करके एक स्वतंत्र गैर कानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई। वह फाइल भी विजिलेंस में थी। जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है बीएसईएस और बीवाईपीएल, इन कंपनियों का 21 हजार

करोड़ रुपये का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21 करोड़ हजार करोड़ रुपये लेना है, वह साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसकी भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इन सारी फाइलों के लिए सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया। मैं तो नहीं मानता कि सारे दल ऐसे काम का समर्थन करते होंगे। लेकिन गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल सर्तकता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए हैं।

एक ने कहा कि सत्र बुला लो । सभी दलों की कहीं न कहीं पार्टियाँ रही हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि क्या आपने एक भी एसेम्बली ऐसी देखी है, जिसका सत्रावसान ही न हो। माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप यहाँ सत्रावसान करते हैं, राष्ट्रपति महोदया साइन करती हैं और सत्र का अवसान होता है। नये सत्र को फिर से आहूत किया जाता है। लेकिन देश में एक ऐसी एसेम्बली है, दिल्ली संघ-राज्यक्षेत्र की, जिसका सत्रावसान ही नहीं होता है। वह चालू ही रहती है। जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रेस्पांसिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली-गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर, गाली बोलकर फिर से सत्र निलम्बित कर देते हैं। वहाँ सत्र का अवसान ही नहीं होता है। आपने ऐसी कोई सरकार देखी है? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं, आप किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। देश की जनता को यह सब मालूम है।

ये कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, एसेम्बली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली विधान सभा का एक ही सत्र बुलाया गया, केवल बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई , दो दिनों की, क्योंकि बजट पास कराने की मजबूरी है। वर्ष 2021 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, वह भी बजट सत्र था, जिसमें 3 दिनों में चार बैठकें की गई, यह भी बजट सत्र की मजबूरी थी। वर्ष 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, केवल बजट सत्र, क्योंकि बजट पारित करने की मजबूरी है। वर्ष 2023 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, केवल बजट सत्र । इसके अलावा विधान सभा का कोई सत्र

ही नहीं बुलाया गया । हमारे विपक्षी दल के मित्र विधान सभा के अधिकारों की बात करते हैं। कौन-से अधिकार भाई, विधान सभा बुलानी है या नहीं है? ओवैसी जी, आप मुगालते में हैं।… (व्यवधान) विधान सभा बुलानी ही नहीं है।… (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : गृह मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि मैं किसकी टीम का हिस्सा हूँ? …(व्यवधान)

श्री अमित शाह: ओवैसी जी, ऐसा है, मैं तो चाहता हूँ कि आप स्वयं अपनी टीम बनाओ।… (व्यवधान) वे परेशान हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्वयं अपनी टीम बनाओ। आपके मुद्दे सबसे अलग हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब कैबिनेट बैठक पर आता हूँ। वर्ष 2022 में कैबिनेट की सिर्फ छ: बैठकें बुलायी गईं। छ: बैठकें ही पूरे साल में हुई। जिनमें से तीन बैठकें बजट से संबंधित थीं और एक बैठक एक कम्पनी को फायदा कराने के लिए बुलायी गई थी। इसलिए कुल देखें तो दो बैठकें बुलाई गईं।

वर्ष 2023 में अब तक दो ही बैठकें बुलाई गई हैं, दोनों बैठकें बजट के लिए हैं। ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं। भइया ! कैबिनेट नहीं बुलाते हैं, दिल्ली के जनता की यही तकलीफ है। ये तो कैबिनेट की बैठक बुलाते ही नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि कैबिनेट की बैठक बुलायी जाए। आप किसका समर्थन कर रहे हो? गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं, मगर इस तरह से कि एक भी बिल पर चर्चा नहीं करना और इस पर खड़े हो जाना?

माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसमें भी कोर्ट ने स्ट्रिक्चर किया। दो साल से कैग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखते हैं। यह एक संवैधानिक प्रॉविज़न है। आप हमें संविधान सिखाते हो, आप थोड़ा अपने साथी को सिखा दें कि आप कैग की रिपोर्ट को नहीं छिपा सकते हैं। दो साल से कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष जी, आरआरटीएस, एम्स, यूईआर, आईआईटी, दिल्ली जैसी संस्थाओं के 13 परमिशन वहाँ लंबित हैं। ये परमिशन नहीं देते हैं। उनको डर है कि ये सब होगा, तो मोदी जी बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे।

मैं सरकार चलाने का इनका तरीका बताता हूँ। 5-जी टेक्नोलॉजी लाने के लिए वर्ष 2016 में एक अधिनियम बना। देश के 16 राज्यों ने, यहाँ तक कि डीएमके ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। परंतु, दिल्ली नहीं करता है क्योंकि इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है।

19.00 hrs

परंतु दिल्ली एक्सैप्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको विकास से कोई सरोकार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2013 से हमने जिस सिविल सर्विस बोर्ड की रचना की, इसको लेकर ये आगे गए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश और बाद में, अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है, वह विधेयक लेकर मैं यहां आया हूं। यह संपूर्णत: संविधान सम्मत है और केवल और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। … (व्यवधान) इसके लिए हमारा कोई राजीनतिक उद्देश्य नहीं है। … (व्यवधान) मारन जी पूछ रहे हैं? … (व्यवधान) अधीर जी, ये भी खड़े हो गए हैं, मैं क्या करूं? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, if the Home Minister raises anything … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. राजा जी – आप क्या बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यहां 2जी या 5जी पर बहस नहीं हो रही है।

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, through you, I want to submit one thing before the House and the hon. Home Minister and other Members of Parliament on the other side, the Treasury Benches that as far as 2G is concerned … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

माननीय गृह मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: It has gone on record. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यहां 2जी या 3जी पर बहस नहीं हो रही है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कुछ नहीं बोला है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है? आप क्यों 2जी पर नाराज हो रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: 2जी पर इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? पुरानी बातों को लेकर मत चलिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, यह रिकॉर्ड पर नहीं है, यह इनको बता दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, देखिए, वह रिकॉर्ड पर नहीं है, आप क्यों बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऑनरेबल मेंबर, वह रिकॉर्ड में नहीं है।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Okay. No record.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No record, Mr. Baalu.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU: Sir, this matter has to be settled. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: वह रिकॉर्ड में नहीं गया। आप क्यों बिना बात के उसको रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बालू जी, जब आप कहेंगे, तब 2जी/3जी पर चर्चा करवा लेंगे। अभी गृह मंत्री जी को चर्चा करने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं बाद में चर्चा करता हूं। … (व्यवधान) बालू जी, वह रिकॉर्ड पर नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां की हैं, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो नियमों के अनुसार सीधा-साधा भाषण करने आया था, लेकिन राजनीतिक टिपपणियां की गई हैं, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा।

श्री राजीव रंजन जी ने कहा कि लोक-लाज होनी चाहिए। … (व्यवधान) श्री राजीव रंजन जी, लोक-लाज के बारे में आप तो मत ही बोलिए। … (व्यवधान) जिस चारा घोटाले को लेकर

बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे हो और फिर से गठबंधन के लिए हो। … (व्यवधान) लोक-लाज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यूपीए का यह जो गठबंधन बना है, यह यूपीए का गठबंधन नहीं है, यह सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। … (व्यवधान) बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, तीनों लड़ती हैं।

ममता जी को हर रोज हमारे अधीर रंजन जी क्वैश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलुरु में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ।… (व्यवधान) यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया। …(व्यवधान) वह जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वे आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने-सामने थे।… (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठे आए हैं।… (व्यवधान) सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी।… (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना।… (व्यवधान) वे बहुत पैशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे।… (व्यवधान) मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, 'एन मन, एन मक्कल' से आप डरे हुए हैं।… (व्यवधान) हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रही थी, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। वोटिंग बाकी है।... (व्यवधान) यही समय है।... (व्यवधान) सही समय है।... (व्यवधान) विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आप गठबंधन बचाने के लिए अखाड़े में उतर गया है।... (व्यवधान) सदन के अंदर निहित राजनीतिक उद्देश्यों के कारण न भाषण देने चाहिए, न वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए।

मैं अंत में फिर से अपील करता हूँ कि अभी भी जनता देख रही है। यही समय है मन बदलने का, एक बार मन बदल दीजिए, तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि यह अध्यादेश लाकर केन्द्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। यह संघवाद के बुनियादी सिद्धांत को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को जो अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केन्द्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया है।... (व्यवधान)

सर, मोटा-मोटी यही हमारी इस सरकार के खिलाफ शिकायत है।... (व्यवधान) सर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने अपनी बात बोल ली है। आपने यह क्या बोला है?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, बोलने दीजिए ।... (व्यवधान) सर, हमें रेस्पांड करने का अधिकार है।... (व्यवधान) सर, एक मिनट बोलने दीजिए ।... (व्यवधान)

अमित शाह जी, आपने हमें इतना सारा भाषण सुनाया। हमें यह लगा है कि आप चुनावी मोड में आ गए हैं।... (व्यवधान) मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कम से कम आज की तारीख में, जब मणिपुर की बात का आपने जिक्र किया तो कम से कम आप इस पर ध्यान देते कि सुप्रीम कोर्ट ने

मणिपुर के मुद्दे पर क्या टिप्पणी की।... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मणिपुर में सरकार नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो। माननीय सदस्य, आप विषय पर बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: पुलिस नहीं है।... (व्यवधान) कोई शासन नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपने भाषण में बहुत सारी बातें बिना विषय के बोली थीं। मैंने तब कोई आपत्ति नहीं की थी।

... (व्यवधान)

<u>19.11 hrs</u>

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19.5.2023 को प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

<u>19.11½ hrs</u>

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri N.K. Premachandran, Shri A. Raja and some other hon. Members left the House.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं, परंतु वे सभी इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। अगर सभा की सहमति हो, तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ रख दूं?

अनेक माननीय सदस्य: हां-हां।

… (व्यवधान)

<u>19.12 hrs</u>

At this stage, Shri Sushil Kumar Rinku came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

… (व्यवधान)

<u>19.12½ hrs</u>

At this stage, Shri Sushil Kumar Rinku left the House.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

19.13hrs

SUSPENSION OF A MEMBER FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रहलाद जोशी जी।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, आम आदमी पार्टी के सांसद श्री सुशील कुमार रिंकू हैं, जिन्होंने वेल में आकर, कागज को फाड़कर आसन के सामने फेंका है। इनको सस्पेंड किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप प्रस्ताव करिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्री सुशील कुमार रिंकू जी, जो कि नए निर्वाचित सदस्य हैं। मैंने प्रयास किया है कि वह सदन की गरिमा बनाए रखें, लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा नहीं बनाए रखी और सदन की मर्यादा को कम करने का प्रयास किया। मैं माननीय सदस्य को नेम करता हूं।

19.13½hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBER

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं नियम 374 में यह रेजोलुशन मूव करता हूं कि श्री सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने वेल में आकर दुर्व्यवहार किया है, कागज फाड़कर आसन के ऊपर फेंका है, उनको सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि सदस्य श्री सुशील कुमार रिंकू को सत्र की बची हुई अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सदस्य श्री सुशील कुमार रिंकू को सत्र की बची हुई अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सुशील कुमार रिंकू को इस सत्र के बची हुई अवधि तक के लिए निलंबित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही शुक्रवार, 4 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 4, 2023/Sravana 13, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)